खण्ड-344, अंक-9
मंगलवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1902
(5 अगस्त, 1980 ई0)

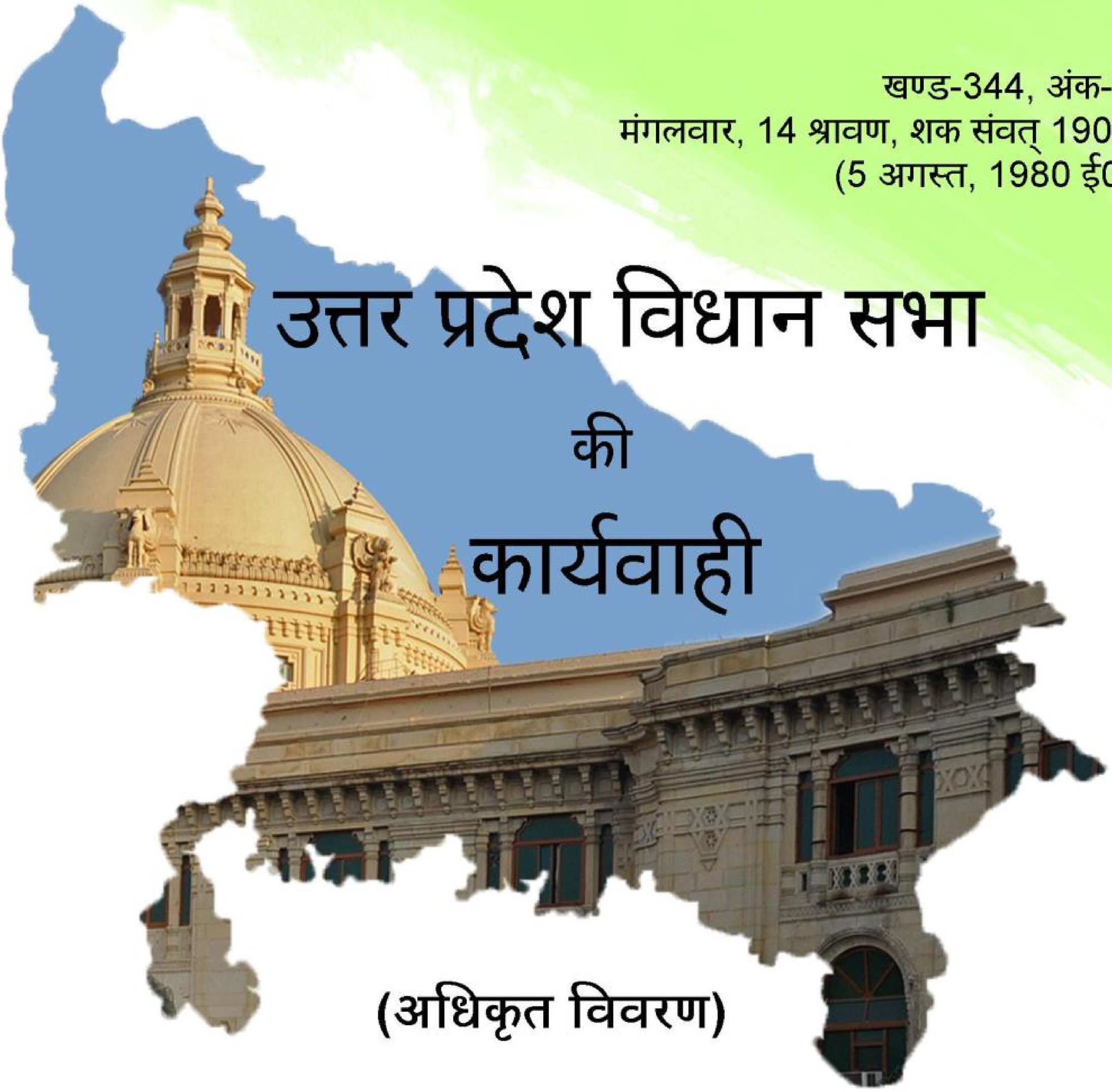

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 344 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	679–683
प्रश्नोत्तर	684–713
बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील में चीनी की चोर-बाजारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	713–714
आगरा में एक जर्मन युवती के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	714
देवरिया जिले के थानाध्यक्ष, बिशुनपुरा द्वारा ग्राम भगड़ा में श्री चोकट गोनिया के घर लूट पाट तथा कत्ल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	714–715
प्रदेश के दुग्ध विकास विभाग के डेरियों में घाटे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	715
कानपुर के केसा कर्मचारियों द्वारा सदस्य विधान सभा श्री बिलायती राम कत्याल के घर पर हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	715–716
सिनेमा जगत के प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी के निधन तथा उर्दू जगत के प्रसिद्ध शायर श्री रघुपति सहाय 'फिराक' के चिरायु होने से सम्बन्धित प्रस्ताव लाए जाने की माँग ..	716–717
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना	717
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	717–719
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	719
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव के इस्तीफे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	719–727
1980-81 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	728–763
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	763
उत्तर प्रदेश से नागालैण्ड को हथियारों और कारतूसों की आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	764–765
बागपत जिला मेरठ में पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या एवं एक महिला के साथ कथित बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	766–780
नस्थियाँ	781–789

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 5 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मि की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--377

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन श्री, (गोण्डा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल कुमारी. (बस्ती)
अशफाक अहमद, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल. श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुबेर, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टंडन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)

गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंदल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बाँदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरन जीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छतर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झंगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेणी, श्री (आजमगढ़)
धन्नन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोण्डा)
दीपू, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहाँपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परवीन कुमार, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)

प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोण्डा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्धपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर, श्री (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानुप्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भृगु नाथ, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोण्डा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोण्डा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोण्डा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)

राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण, श्री (जौनपुर)
राम कृष्ण, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम पश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बाँदा)
रिजवानुर्रहमान, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नरायन, श्री (वाराणसी)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बाँदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बाँदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बाँदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
सश्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)

संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्य पाल सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमाँश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी, बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बाँदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरी शंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हेम चन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

अवर सचिव

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

मंगलवार, 5 अगस्त, 1980

गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेंशन सम्बन्धी राजाज्ञा

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर-शिक्षा सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उ0 मा0 विद्यालयों के वह अध्यापक जो वर्ष 1974 के बाद रिटायर हुए हैं उन्हें पेंशन की धनराशि समायोजित किए जाने के बारे में कोई राजाज्ञा शिक्षा अनुभाग द्वारा जनवरी अथवा फरवरी, 1980 में जारी की गयी ? यदि हाँ, तो वह क्या है तथा उसके अनुसार सीतापुर जिले में कितने अवकाश प्राप्त अध्यापकों का समायोजन कर दिया गया है तथा कितनों का समायोजन शेष है ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी)—

जी हां ।

राजाज्ञा की प्रतिलिपि संलग्न है ।

अभी तक किसी भी अध्यापक/अध्यापिका को देय पेंशन का समायोजन नहीं किया गया, 9 शिक्षकों का समायोजन होना है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 781–782 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मन्त्री जी स्वयं प्रिंसिपल हैं, इसलिए वह अध्यापकों की कठिनाईयों को समझ सकती हैं, तो क्या शिक्षा मन्त्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सन्दर्भित राजाज्ञा 6 महीने पहले जारी की जा चुकी है और अभी तक 9 अध्यापकों को धन नहीं मिला, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगी कि धन न मिलने का क्या कारण है और यह धन उनको कब तक दिला देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, 13 अध्यापक सीतापुर में हैं, जिसमें कि समायोजन की कार्यवाही चल रही है, इसमें 4 का प्राविडेंट फण्ड का गवर्नमेंट शेयर और प्रबन्धक का शेयर, जो होता है, वह जमा हो चुका है और कार्यवाही पूरी है, इसलिए 3 को पेंशन भी मिलने लगी है, इनके नाम हैं श्री शिववंश मिश्रा, श्री आर0 एस0 कोहली और श्री कन्हैया लाल । मुन्नी देवी प्रधानाचार्य एच0के0पी0 इण्टर कालेज, सीतापुर को 15 तारीख तक पेंशन मिलने लगेगी। श्री श्री कृष्ण पाण्डेय, सीतापुर का मामला जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ को 1–7–80 को भेज दिया गया है । इस समय उप-शिक्षा निदेशक के कार्यालय में इनकी फाइनल विचार हेतु है । इनको जल्दी ही पेंशन मिलेगी ।

श्री सतगुरु प्रसाद बाजपेयी, श्री उमा शंकर आर्य, श्री परशुराम वर्मा, श्री राम स्वरूप गुप्ता, श्री मुकुट बिहारी लाल, श्री हरि प्रसाद गुप्ता और श्री रामस्वरूप अवस्थी, जिला सीतापुर के शिक्षकों का समायोजन प्रकरण कई बार स्मरण कराए जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा अब तक जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध नहीं कराया गया । अतः इन मामलों में समायोजन की कार्यवाही होनी शेष है ।

श्री विश्म्भर दयाल श्रीवास्तव की सेवा पुस्तिका वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को भेज दी गयी है । इसमें विचार किया जा रहा है ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य जिलों में भी जो समायोजन के अन्तर्गत अध्यापक आते हैं, उनको पेंशन सम्बन्धी भुगतान की व्यवस्था मन्त्री जी शीघ्र कराने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ। विद्यालयों को निर्देश जा चुके हैं और जैसी राजाज्ञा है, उसके अनुसार कार्य वाही हो रही है। उनका जल्दी से समायोजन हो जाय यह हम चाहती हैं। मैनेजिंग कमेटी की तरफ से देर हो रही है, इसलिये उनको फिर से रिमाइन्डर्स दे दिये गये हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि 13 अध्यापकों का समायोजन होना था, लेकिन मूल उत्तर में 9 को बताया है और 3 को पेंशन मिलना शुरु हो गई है तो वह एक अध्यापक कौन है, जिसका उत्तर नहीं दिया गया ? दूसरी बात जो मामले विद्यालय से निरीक्षण होकर उप शिक्षा निदेशक के वहाँ पड़े हैं, उनके बारे में क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि उनके उत्तर एक सप्ताह में यहाँ से चले जाँय ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ, अब जल्दी ही इस पर कार्य किया जायगा। जहाँ तक नाम का प्रश्न है, वह तो मैंने लिस्ट पढ़ी थी। इसमें श्रीमती मुन्नी देवी, प्रधानाचार्या, एच0के0पी0 इण्टर कालेज, सीतापुर. . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

किन कारणों से रुका हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इसका कोई कारण रहा होगा। इसे जल्दी कर दिया जायगा। मैं आश्वासन देती हूं कि इस कार्य को शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

श्री पंचानन—

माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि छः महीने हो गए और सीतापुर जिले में एक आदमी के पेंशन का समायोजन नहीं हुआ, तो पूरे प्रदेश में किसी का नहीं हुआ होगा। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का प्रयास करेंगी कि शिक्षा विभाग में कागजात शीघ्रता से निपटाए जायं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह प्रश्न तो काल्पनिक है। आप कैसे समझते हैं, ऐसा हुआ होगा ?

श्री पंचानन—

मेरी निश्चित जानकारी है कि किसी अध्यापक के पेंशन का समायोजन छः महीने से नहीं हुआ। शिक्षा मन्त्री जी. . . .

श्री अध्यक्ष—

अलग से प्रश्न पूछिए।

श्री सूबेदार सिंह—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। अक्सर पेंशन के मामले में देरी हो रही है और पूरे प्रदेश की मिसाल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या शिक्षा मन्त्री यह निर्देश देंगी कि डिप्टी डायरेक्टर के लेवुल के बजाय पेंशन के मामले जिला स्तर पर ही तय हो जाया करें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सुना नहीं, जरा जोर से कह दीजिए।

श्री सुबेदार सिंह—

मैं चाहता था कि चूंकि पूरे प्रदेश में बीमारी है। अक्सर पेंशन के मामले दो-दो, चार-चार साल हो जाते हैं, तय नहीं हो पाते। वे उच्च लेविल तक जाते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक भी आप का एक अधिकारी है, उस पर भी एतराज करते हैं, तो क्या उसी को आप अधिकार देने की कृपा करेंगी कि वह पेंशन के सभी मामलों को अपने लेविल पर निस्तारण कर दिया करें ?

श्री मती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह कहना कि सारे प्रदेश में महामारी है, इसका मैं प्रतिवाद करती हूं। यदि महामारी ही होती है, तो हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। लेकिन यह जरूर कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर ऐसे केसेज हैं, उनको जल्दी एक्सपिडाइट किया जायगा। निर्देश आल-रेडी दिये जा चुके हैं, जितने अधिकारीगण हैं. उनको। रहा डी0आई0ओ0एस0 के लेविल का सवाल, इस पर विचार करेंगे . . . . . .

श्री सूबेदार सिंह—

जिला विद्यालय निरीक्षक को इस प्रकार का अधिकार देने की कृपा करें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

केसेज आप जरूर हमारे पास लाए और उन्हें एक्सपिडाइट किया जायगा . . . . .

(हंसी)

श्री इन्द्रजीत—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि जो उच्चतर और माध्यमिक विद्यालय हैं और जिन के पेंशन का सवाल है, जो प्राइवेट संस्थायें हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करने का शीघ्र ही प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह अलग प्रश्न है।

इलाहाबाद में हिन्दू–मुस्लिम दंगा

*2—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महानगर के अन्तर्गत जून, 1980 के प्रथम सप्ताह में हिन्दू–मुस्लिम दंगे का कारण क्या था ? दंगे में कितने लोग घायल हुए, कितने आदमियों को जेल भेजा गया तथा कितना जन व धन की क्षति हुई ?

सहकारिता मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 6–6–80 को प्रात: लगभग 9 बजे नक्खास कोना, थाना अतरसुइया (इलाहाबाद) में स्थित एक सार्वजनिक नल से पानी लेने के प्रश्न पर एक हिन्दू व एक मुसलमान के बीच आकस्मिक झगड़े ने दंगे का रूप धारण कर लिया। घटना में 15 सरकारी सेवकों सहित कुल 28 घायल हुए तथा दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 163 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये। लगभग 30,000 रु0 की क्षति होने का अनुमान है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक मिनट मुझे अनुमति दे दें। अब तक यह परम्परा रही है। मान्यवर, एक मिनट, प्रश्न नहीं कर रहा हूं मान्यवर, बड़ा आपत्तिजनक है, हिन्दू और मुसलमान की बात प्रश्नों पर नहीं की जा सकती, आप भी सहमत होंगे। हिन्दू और मुसलमान की बात कह कर सरकार क्या जानबूझ कर साम्प्रदायिक द्वेष फैलाना चाहती है ?

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि साम्प्रदायिक दंगा नहीं था। उनको इस प्रश्न के उत्तर में हिन्दू–मुस्लिम दंगा नहीं कहना चाहिए था. . . .

(व्यवधान)

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, इस दंगे में जिन दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनके नाम क्या हैं, क्या सरकार उनके मरने का मुआवजा देगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्रीमन, जो दो व्यक्ति मरे हैं, उनके नाम हैं--एक श्री मोहम्मद नफीस पुत्र श्री मुहम्मद इदरीस और दूसरे हबीबुल्ला पुत्र अताउल्ला, दोनों व्यक्ति इलाहाबाद के हैं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जो उत्तर दिया है, उनमें दोनों में विरोधाभास है। क्या माननीय कार्यवाहक मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि मुख्य मन्त्री जब इलाहाबाद गये थे, तो उन्होंने समाचार पत्रों में एक वक्तव्य दिया था कि यह दो व्यक्तियों का झगड़ा था। साम्प्रदायिक दंगा नहीं था, तो मान्यवर, अगर यह दो व्यक्तियों का झगड़ा था, तो जिन व्यक्तियों ने इसको साम्प्रदायिक दंगा कराकर इस तरह की कुचेष्टा की, उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्रीमन, मैंने निवेदन किया कि दो व्यक्तियों के बीच में सार्वजनिक नल से पानी लेने के प्रश्न पर झगड़ा हुआ और आकस्मिक झगड़ा हुआ और उसने दंगे का रूप धारण कर लिया। यह तो उत्तर से ही स्पष्ट है। साम्प्रदायिक दंगे की तो मैंने बात ही नहीं कही।

श्री मोहन सिंह--

जो मरे हैं, वे दोनों मुसलमान हैं।

श्री ब्रह्म दत्त--

जो लोग मरे हैं, मैंने उनके नाम बताए हैं। जिनमें झगड़ा हुआ उनके नाम नहीं बताए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

किन-किन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था उनके नाम जानने जरूरी हैं ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री सूबेदार सिंह--

मैंने पूछा था कि जो झगड़ा हुआ, उसके फलस्वरूप किन-किन लोगों के खिलाफ किस-किस दफे के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ और किस स्थिति तक उसमें कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इसमें 163 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और मैजीस्टीरियल जांच जारी है।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी--

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें जो 30,000 रुपए की क्षति दिखाई गयी है, वह किस तरह की क्षति है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

चल और अचल दोनों सम्पत्ति की क्षति हुई है।

श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन व्यक्तियों का नल पर झगड़ा हुआ, वह किसी मामले को लेकर हुआहोगा, तो उन दोनों का क्या नाम है ?

नोट--[×××]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त--

दो व्यक्तियों का झगड़ा हुआ और उसके बाद ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ। उन दो व्यक्तियों के बारे में अभी मैजिस्टीरियल जांच चल रही है। निश्चित रूप से नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि किन के बीच हुआ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा चाहता हूं। (व्यवधान)

यह हमारा अधिकार है। (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं मैंने अभी किसी को नहीं बुलाया है। सब लोग क्यों खड़े हैं ?

श्री मोहन सिंह--

सारा उत्तर अस्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। बिना आज्ञा के आप बोल रहे हैं।

श्री भीखा लाल--

नाम बतलाने में क्या कठिनाई है, वह कौन व्यक्ति हैं, जब नाम मालूम नहीं है, तो कैसे निश्चय कर लिया कि एक हिन्दू था और एक मुसलमान ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जिलाधिकारी से जो रिपोर्ट आई है, उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जिलाधिकारियों से, पुलिस अधीक्षक से जो तथ्य हमको प्राप्त हुए हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक हिन्दू था और एक मुसलमान . . . . (व्यवधान) (कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या सबूत था इस बात का. . . .

श्री मोहन सिंह--

इस पर आधे घंटे की चर्चा करा दें। मैं चाहता हूं इसका आपको अधिकार है कि जिन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट नहीं आता है, उस पर आप चर्चा करा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न पूछा गया था उसका माननीय मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं, उत्तर पूरा नहीं हुआ, पहले उत्तर सुन लीजिए उसके बाद जो कहना चाहें, कहें।

श्री मोत लाल देहलवी--

हम नाम जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कर सकते हैं, देहलवी जी, उत्तर नहीं दे सकते। उत्तर उन्होंने दे दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

पहला जो सवाल हुआ उसका जवाब नहीं आया।

श्री ब्रह्म दत्त--

मैंने कहा कि दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ उसकी मैजिस्टीरियल जांच हो रही है। (व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

नाम क्या हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

निश्चित नहीं है। सुनिश्चित होने पर बता दिया जायगा। (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

नाम का पता नहीं हो रहा है। इस पर आधे घंटे की चर्चा करा दें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, आपके सामने इन्होंने कहा कि दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, उसके बाद कैसे कह सकते हैं कि नाम का पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, सदन को स्थगित करा दें, यह महत्वपूर्ण सवाल है. . . . (व्यवधान)

श्री अशोक कुमार बाजपेयी--

वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे।

श्री मोहन सिंह--

जिलाधिकारी और एस0एस0पी0 ने कम्यूनल राइट कराया यह महत्वपूर्ण विषय है और मन्त्री जी इस तरह से उत्तर दे रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सवाल का जवाब अखबारों में आएगा. . . .(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार बाजपेयी--

उसमें कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कितने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के. . (व्यवधान)

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप लोग बैठ जाइए। मेरा सबसे नम्र निवेदन है, इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हैं, किन्तु उत्तर उनके मुंह में आप नहीं डाल सकते हैं। यदि उनका उत्तर पर्याप्त नहीं है, तो पुनः आप प्रश्न कर सकते हैं, अपर्याप्त उत्तर आने पर पुनः आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं इसको रोक नहीं सकता हूं। मोहन सिंह जी ने कहा कि इस पर चर्चा कराई जाय। इतन लोग खड़े हैं और आप लोग एक साथ बोल रहे हैं,तो मैं नहीं सुन पा रहा हूं कि आप लोग क्या कह रहे हैं यदि यह चर्चा लायक विषय होगा, तो चर्चा करा दी जायगी, लेकिन आप लोग कृपया बैठ जाइए। मैं खड़ा हुआ हूं, आप तो नियमों का ख्याल रखें। अब मोहन सिंह जी आप जो कहना चाहते थे, कहें।

श्री मोहन सिंह--

मैं यह कहना चाहता था कि जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट आते हैं, नियमों के अनुसार उन पर आधे घंटे की चर्चा कराने का आपको अधिकार है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे सूबे में दो वरिष्ठ अधिकारियों ने अफवाह फैलाई है कि वहां पर साम्प्रदायिक दंगा हुआ। मुख्य मन्त्री ने जांच की और पाया कि वहां पर दो व्यक्तियों का यह दंगा था साम्प्रदायिक दंगा वह नहीं था। उनके सारे कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए मंत्री जी यहाँ पर इस प्रकार अस्पष्ट और हास्यास्पद उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने लिखकर दे दिया कि एक हिन्दू और एक मुसलमान था। अब कहते हैं कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी विचाराधीन है और उनके नाम सुनिश्चित नहीं है, तो आप सारे तथ्य सदन के सामने आने दें और इस पर आध घंटे की चर्चा करा लें। उनके पास इस समय पूरा उत्तर नहीं है, इनको तथ्यों की पूरी जानकारी कराई नहीं गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह बड़ा गम्भीर मामला है मान्यवर, आप हम लोगों के अधिकारों के संरक्षक हैं। आप यदि हमें संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, तो लोकतन्त्र कैसे चलेगा ? मैंने पहले आपत्ति की थी, मैं इस बात को जानता हूं कि जिस समय प्रश्न हो रहे हों, व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। यह प्रश्न बड़ा गम्भीर हैं कल जब अखबारों में छपेगा कि हिन्दू और मुसलमान के कारण दंगा हो गया और उनके नाम सरकार के पास नहीं हैं, तो पब्लिक में इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी केवल प्रश्नोत्तर पूछना ही हमारा काम नहीं है हम प्रदेश में ला-एण्ड-आर्डर की स्थापना करना चाहते हैं। हमें अफसोस है कि जो मन्त्री जी यहां पर इसका उत्तर देने के लिए बैठे हुएहैं, संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं और अभी थोड़े दिन पहले तक कौंसिल में विरोध पक्षमें बैठकर नोक-झोंक किया करते थे, वह आज इस तरह का यहां उत्तर दे रहे हैं। उन दो व्यक्तियों के यहां नाम बता दिए जाते, यह आवश्यक था, यहां पर हिन्दू और मुसलमान की बात नहीं है और इस दृष्टि से हम इस पर विचार करते हैं और आज तक यहां ऐसी बातें नहीं हुई हैं। यदि झगड़ा है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

इन शब्दोंके साथ मेरा आपसे निवेदन हैकि आप प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था की रक्षा के लिए, प्रतिपक्ष के अधिकारों की रक्षा के लिए यदि मन्त्री जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं--विरोध पक्ष का उससे समाधान नहीं हो रहा है,तो आपको अधिकार है कि आप उसे स्थगित करा दें और किसी अग्रेतर तिथि में,उसका जवाब दिलवा दें। ऐसे यहां हजारों उदाहरण हैं कि यदि अध्यक्ष का समाधान हो गया, तो उन्होंने प्रश्न स्थगित कर दिए हैं और प्रदेश में अकारण भ्रम फैलने से बच गया. . .

श्री अध्यक्ष--

गुप्त जी, आपकी बात अब स्पष्ट हो गयी, अब आप बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुख्य मन्त्री जी अपने स्थान पर यदि होते, तो शायद आज यह स्थिति न आती। उन्होंने स्वयं समझदारी से काम किया और उन्होंने कहा था कि इलाहाबाद का दंगा साम्प्रदायिक नहीं है, दो व्यक्तियों के बीच का झगड़ा है। और आज हिन्दू और मुसलमान का नाम लेकर यह कांग्रेस सरकार षडयन्त्र कर रही है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी ने यह स्पष्ट कह दिया कि हिन्दू और मुसलमान के बीच में झगड़ा हुआ और यह जिलाधीश की रिपोर्ट है, तो क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि सदन को गुमराह करने की जो रिपोर्ट डी0एम0 ने दी है, उसके खिलाफ वे अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का वायदा करते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह मैंने कहा ही नहीं था। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आपने हिन्दू-मुसलमान की बात कही थी। मूल प्रश्न यह था कि "इलाहाबाद महानगर के अन्तर्गत जून, 1980 के प्रथम सप्ताह में हिन्दू मुस्लिम दंगे का कारण क्या था" मने जो उत्तर दिया वह था कि"दिनांक 6-6-80 को प्रात लगभग 9 बजे नक्खास कोन, थाना अतरसुइया (इलाहाबाद) में स्थित एक सार्वजनिक नल पर पानी लेने के प्रश्न पर एक हिन्दू व एक मुसलमान के बीच आकस्मिक झगड़े ने दंगे का रूप धारण कर लिया।"

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

कभी भी हिन्दू और मुसलमान का नाम लेकर जवाब नहीं दिया गया है। 2 सम्प्रदायों का नाम नहीं लिया गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह और माननीय मोती लाल देहलवी ने एक प्रश्न किया कि उनके नाम बता दिए जायं कि किन-किन व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ। वे जरूर कहते हैं कि वे सेक्ट जानते हैं, एक हिन्दू और एक मुसलमान था। यह बात तो साफ हो गयी। माननीय मुख्य मन्त्री ने बयान दिया था कि यह हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा नहीं था। जो उत्तर माननीय मन्त्री जी की ओर से दिया गया यह फिर अखबारों में छापा जायेगा कि यह झगड़ा साम्प्रदायिक होगा। हम नहीं कहते हैं कि यह साम्प्रदायिक झगड़ा हो, आप भी श्रीमन्, नहीं कहते हैं, तो जैसा माननीय मोहन सिंह जी ने प्रार्थना की है, इसे आप स्थगित कर दें और आधे घंटे की चर्चा करा दें। इस पर निर्णय देने के पूर्व ही आपने ओझा जी को प्रश्न करने का मौका दे दिया, तो जब आधे घंटे की चर्चा की मांग की गयी थी, उसकी इजाजत दे देते जिससे यह प्रश्न वेग न हो पाता ?

श्री अध्यक्ष---

मैं आप सबकी बात सुन रहा हूं। अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री राजेन्द्र सिंह---

श्री मोहन सिंह आदि को सुनने के बाद आपने माननीय ओझा ने जी को प्रश्न करने का मौका दे दिया ?

श्री अध्यक्ष---

जब वे खड़े हो गये, तो मुझे उन्हें बुलाना पड़ा।

माननीय मन्त्री जी यह घटना 6 जून, 1980 की है। आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि सार्वजनिक नल से पानी लेने के प्रश्न पर एक हिन्दू और एक मुसलमान के बीच आकस्मिक झगड़े ने दंगे का रूप धारण कर लिया। लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि वे कौन-कौन व्यक्ति थे। यह घटना 6 जून की है और काफी समय भी हो चुका है, तो जिनसे भी आपको यह सूचना मिली, आपको यह ज्ञात नहीं हुआ ? क्या आप इस समय प्रकाश डाल सकेंगे कि किन-किन व्यक्तियों के बीच में यह झगड़ा हुआ ?

श्री ब्रह्मदत्त---

यह प्रश्न जो किया गया था वह दो व्यक्तियों के झगड़े के बारे में नहीं है। प्रश्न में स्वयं ही हिन्दू-मुस्लिम झगड़े की बात कही गयी है. . . . .

(व्यवधान)

आप सुन लें. . . . .

(व्यवधान)

उन दो व्यक्तियों के झगड़े ने दंगे का रूप ले लिया. . . . .

(व्यवधान)

मैं प्रयास करूंगा जिनके बीच झगड़ा हुआ उनके नाम मालूम करने की, मालूम करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

तो फिर मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

शिक्षा विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान

*3---श्री काशी नाथ मिश्र---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के दस जिलों में शिक्षण कार्यालयों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन से 64.30 लाख रुपए का जो अनुदान स्वीकृत हुआ था उनमें किन 10 जिलों को लिया गया ? उनके चुनाव का आधार क्या रहा है ? क्या यह सही है कि उन दस जिलों की सूची में बलिया जनपद को नहीं शामिल किया गया जबकि बलिया में शिक्षा का प्रतिशत शायद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

10 जिलों के लिए यह 64 लाख रुपया दिया गया कार्यालयों के बनाने के लिए उसमें बलिया जिला नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि बलिया जिला को क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

डिटेल्स की तो सूचना एकत्र की जा रही है। मैं इतना निवेदन करना चाहती हूं कि इन दस जिलों में आवास के लिए नहीं, बल्कि दफ्तरों के बनाने के लिए यह रुपया दिया गया है। यह इसलिए दिया गया ताकि दफ्तर किराए पर न लेना पड़े। जहां-जहां आसानी से जमीन मिल गयी, वहां यह योजना शुरू कर दी गयी। बलिया को क्यों नहीं दिया गया, इसके लिए यह कहना है कि शिक्षा की रेलगाड़ी जो पटरी से उतर गयी थी, वह अब फिर पटरी पर आ गयी है और वह अब बलिया भी पहुंचने वाली है।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मैं जानना चाहता हूं कि यह रुपया किस सिद्धान्त के आधार पर दिया गया है ? हमारे यहां भी शिक्षा अधिकारियों के सभी कार्यालय किराए के मकान में हैं और नजूल की भूमि भी उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी, अभी तो सूचना एकत्र की जा रही है, यह प्रश्न पुनः आएगा, तब आप प्रश्न कर लीजिएगा।

किंग जार्ज कालेज, उतरौला, जिला गोंडा में विज्ञान सेक्शन खोलने की मांग

*4--श्री मसरूर जाफरी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज कालेज, उतरौला में इण्टरमीडिएट कक्षा में विज्ञान सेक्शन खोलने हेतु मान्यता के लिए कोई दरख्वास्त वर्ष 1979-80 में दी थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। मामले में विचार हेतु सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा से आख्या माँगी गयी है जिसके प्राप्त होने पर मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद से संस्तुति प्राप्त कर विषय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा ?

श्री मसरूर जाफरी--

क्या माननीया मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जब यह दरख्वास्त डी0 आई0 ओ0एस0, गोण्डा के यहां से इलाहाबाद भेज दी गयी है और लेट फीस भी 500 रुपए लगा दी गयी है तो अब कौन सी आख्या डी0आई0ओ0एस0, गोण्डा से मांगी गई है और वह कब आयेगी और यह मसला कब साफ होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो मान्यता दी जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी डिटेल में वहां से आख्या ली जाती है, डी0आई0ओ0एस0 के द्वारा और वह फिर मान्यता कमेटी के सामने पेश की जाती है। इसके बारे में कह दिया गया है कि जितने भी मान्यता के केसेज, हैं, उसके विषय में शीघ्र ही आख्या मंगवा कर शीघ्र ही निर्णय लें।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मान्यता सम्बन्धी जो भी प्रार्थना-पत्र विद्यालय से प्रेषित किये जाते हैं, उन पर जिला विद्यालय निरीक्षक, उप जिला विद्यालय निरीक्षक अपनी आख्या के साथ प्रेषित करते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आख्या पहले प्रस्तुत हो चुकी थी, तो दुबारा क्यों आख्या किस आधार पर मांगी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आख्या उसमें अपूर्ण थी, इसीलिए दुबारा मांगी गयी है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, कौनसी अर्हताएं पूरी नहीं हुई थीं ?

श्री अध्यक्ष--

एक इण्टरमीडिएट कालेज की बात है, आख्या अपूर्ण थी, आख्या मांगी जा रही है। अब आप बैठिए।

हरदोई जिले के कतिपय विकास खण्डों के भवनविहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

*5--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई जिले के बिलग्राम, माधोगंज एवं मल्लावां विकास खण्डों के अन्तर्गत चलने वाले भवनहीन प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों की संख्या कितनी है तथा उनके भवन निर्माण के सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम, माधोगंज एवं मल्लावां में क्रमशः 4, 3 व 3 जूनियर हाई स्कूल तथा 22, 22 व 16 प्राइमरी स्कूल भवनहीन हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित भवनहीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण के सम्बन्ध में शासन ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यालयों के निर्माण के लिए दो योजनाएं क्रमशः प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण की योजना सम्मिलित की हैं ? योजनान्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए जो परिव्यय निर्धारित होता है उसी में से अन्य योजनाओं के साथ -साथ इन योजनाओं के लिए धन का प्राविधान किया जाता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, उसमें ऐसा लगता है कि जो नये विद्यालय खुले थे, उन्हीं को भवनहीन बता दिया, पुराने विद्यालय जो बाबा आदम के जमाने में बने रहे होंगे, उसकी सारी इमारतें ढह चुकी हैं, उनको भवनहीन विद्यालय की श्रेणी नहीं दिया है ? मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि क्या वह पुनः इस बात की जांच करायेंगी कि यह जो संख्या दिखायी गयी है, वह संख्या गलत है और वहां पर बिलग्राम, माधोगंज के ग्रामों में जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल शायद ही कुछ ऐसे हैं जो भवन में लग रहे हों, बाकी सारे विद्यालय भवनहीन हैं। पहले तो मान्यवर, यह चाहूंगा क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देगी कि इसकी जांच पुनः करायेंगी और जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इस बात की जांच अवश्य करवाई जायेगी जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे कितने विद्यालय हैं, जो पुराने भवनों में थे, लेकिन वह रिपेयर्स न होने के कारण डैमेज हो गये हैं, खस्ता हालत में हैं। मान्यवर, यह बात सही है कि कुछ भवनों का रिपेयर कुछ दिनों से नहीं हुआ है। अब जो भी विद्यालय खोले जायेंगे, उनके साथ भवनों के निर्माण की व्यवस्था भी साथ में कर दी जायगी।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि जिन जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों को भवनहीन बताया है, इनके भवनों के निर्माण की व्यवस्था जल्द से जल्द कब तक करा देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जहां भवन नहीं है, वहां भवन बनवाने की कोशिश की जायेगी और मैं समझती हूं कि यह बजट के बाद बता दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं इसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूं कि जहां भवन न होने के कारण स्कूल बंद हैं, उसमें प्रवेश भी नहीं हुए हैं। क्या वे इस सेसन में प्रारम्भ हो सकेंगे।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शिक्षा के लिए स्कूलों की सबसे पहले जरूरत होती है और जहां अध्यापक हैं, वहां शिक्षा है और जहां अध्यापक ही नहीं वहां शिक्षा भी नहीं। हमारे पास अध्यापक मौजूद हैं, इसलिए यहां शिक्षा भी है और रही भवन की बात, वह भी जरूरी है।

(शोर)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, प्रदेश में भवन न होने के कारण जो विद्यालय इस समय बंद कर दिये गये हैं, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहीं हैं।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

जिला चमोली, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं नैनीताल के हाई स्कूलों और इन्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण

*6--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 1979-80 में जिला चमोली, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनीताल के जिन-जिन हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण किया गया है, उनके अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के वेतन स्वीकृति के आदेश प्रत्येक विद्यालय के प्रान्तीयकरण के कितने माह पश्चात भेजे गये हैं इन आदेशों को भेजने में जो देरी हुई है उसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, यह प्रश्न 16-6-80 को दिया गया था और सरकार के पास मान्यवर, 27-6-80 को पहुंचा और आज हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी कह रही है कि अभी सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के उत्तर के जानने के लिए माननीय मंत्री जी अब कितनी पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता समझती हैं ? मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि अब सूचना कब तक मिल जायेगी ?

(शोर)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना जल्दी ही दी जायेगी ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

सूचना जल्दी ही दी जायेगी, मान्यवर, यह एक ऐसा भ्रामक जवाब है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता ।

श्री अध्यक्ष--

अब यह प्रश्न 15 दिन के अन्दर फिर आयेगा, तब देख लीजिएगा ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

भाई क्या करें, अभी कुछ समय पूर्व शिक्षा की गाड़ी पटरी पर से उतर गयी थी और अब फिर लाईन पर आयी है, इसलिए समय तो लगेगा ही ।

फर्रुखाबाद-कायमगंज मार्ग का निर्माण

*7--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद--कायमगंज बाई पास का निर्माण स्वीकृत हो चुका है ? यदि हाँ, तो यह निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

जी हां ।

भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ? उसके पूरा हो जाने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भूमि अध्याप्ति करने की कार्यवाही कब की गयी और फर्रुखाबाद--कायमगंज बाई पास का निर्माण किस सन् में स्वीकृत हुआ ?

श्री जगदीश प्रसाद--

मान्यवर, दिनांक 3-2-79 को यह स्वीकृति मिली ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि इस बाई पास की स्वीकृति सन् 76 में मिली थी और जहां तक मैं समझता हूं कि मंत्री जी को शायद अधिकारियों ने गलत सूचना दे दी है ।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि कब स्वीकृत हुई ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इसकी जो स्वीकृति हैं वह 3-2-79 द्वारा हुई है और इसके बाद की जो सूचना है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी से निर्माण कार्य पहले स्वीकृत हो गया था ? कृपया मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि अध्यापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कब प्रारम्भ की गयी और यह अध्यापित करने का कार्य कितने समय में समाप्त हो जायेगा । पिछले दशक से पूरे फर्रुखाबाद के जीवन को प्रगति पर लाने के लिए आवश्यक हैं, इसी तरह से पड़ी हुई है ।

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन, सर्वेक्षण में काफी समय लग गया, जैसे ही भूमि अध्यापित करने की कार्यवाही समाप्त हो जायगी, कार्य शुरू हो जायगा ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह भूमि अध्यापित करने की कार्यवाही कब आरम्भ की गयी, इसका उत्तर नहीं आया ।

श्री मोती लाल देहलवी—

यह सदन जानना चाहेगा कि एक विधायक ने एक सूचना दी की यह सड़क सन् 1976 में स्वीकृत हुई थी और, माननीय मन्त्री जी ने सदन को जानकारी दी कि सन् 1979 में स्वीकृत हुई। मान्यवर, क्या समझा जाय माननीय मन्त्री जी की सूचना सही या विधायक को।

श्री अध्यक्ष—

मोती लाल जी एक प्रश्न चल रहा था मन्त्री जी उत्तर दे रहे थे और आपने बीच में एक प्रश्न और कर दिया ।

श्री मोहन सिंह—

यह सदन गुमराह हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—

यह सदन गुमराह नहीं होता है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अध्यापित करने की कार्यवाही कब आरम्भ हुई और भूमि अध्यापित हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी क्या आप बता सकेंगे कि भूमि अध्यापित करने की कार्यवाही कब प्रारम्भ हुई ?

श्री जगदीश प्रसाद—

सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मुख्तार अनीस—

क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस बाई-पास को बनाने में कितना धन व्यय होगा, राज्य सरकार का और इस वर्ष कितना धन आवंटित किया जा रहा है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन, 14·7 लाख रुपया प्राप्त हुआ है ।

श्री मुख्तार अनीस—

इस वर्ष कितना रुपया आवंटित किया गया, व्यय करने के लिए ?

श्री जगदीश प्रसाद—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष—

अब तो सब कुछ आ गया ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर बिल्कुल अस्पष्ट आया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करुंगा कि इसे पुनः किसी तिथि के लिए कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

सूचना एकत्रित होने दीजिए ।

बस्ती जिले में शोषित समाज दल के सम्मेलन के अवसर पर अग्निकाण्ड की घटना

*8—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि 5 मार्च, 1978 को शोषित समाज दल उत्तर प्रदेश के तृतीय राज्य सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष की ओर से थानाध्यक्ष कोतवाली, बस्ती जिला बस्ती को एक लिखित रपट दी गयी जिसमें पुलिस की उपस्थिति में सम्मेलन का तम्बू अराजक तत्वों द्वारा पेट्रोल डाल कर फूंके जाने की शिकायत थी ? यदि हां, तो उस रपट की मुख्य बातें क्या हैं और उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि उक्त काण्ड की सूचना उसी दिन तार द्वारा तत्कालीन मुख्य मन्त्री को भी उपर्युक्त स्वागताध्यक्ष ने दी थी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मुख्य बातों की सूचना संलग्न है ? इस मामले की जांच अपराध शाखा द्वारा कराई गयी ।

जी हां ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 783 पर)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जो अपराध शाखा से जांच कराई गयी उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अपराध अनुसन्धान शाखा ने जो जांच की है, उसके अनुसार निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए—सम्मेलन हो रहा था, 3 मार्च, 1978 से 5 मार्च, 1978 तक। 3 मार्च को एक जुलूस निकाला गया और 4-3-78 को खुला अधिवेशन हुआ। नागरिक परिषद् और जनपद बस्ती के कुछ लोगों द्वारा सम्मेलन में पर्चे बांटे गये उसके बाद सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष ने कोतवाली को अवगत कराया 4-3-78 को जहां एक नाटक खेला जा रहा था, सम्मेलन में। उसमें एक बजे रात के करीब आग लगा दी गयी। उसे बुझा दिया गया। आग बाहरी व्यक्तियों ने लगाई है या खुद लगी है या कार्यकर्ताओं ने लगाई है, इसकी जांच अपराध अनुसन्धान शाखा ने की और कहा कि आग आकस्मिक रूप से लगी।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बतायेंगे कि पर्चे बांटने के बाद एक रिपोर्ट हुई थी ? उसके पहले भी रिपोर्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सम्मेलन को नहीं होने देंगे ? जो पर्चे वितरित किये गये थे, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं का अपमान किया था तथा धमकी दी थी कि सम्मेलन भंगी और ब्राह्मण को बराबर करना चाहता है उनका सवेरा नहीं होगा। उस समय पुलिस वहां मौजूद थी और तब सम्मेलन के तम्बू में आग लगी और सोते हुए लोगों को किसी तरह निकाला गया। अगर यह बात सही है तो 3 सम्भावनाएं कैसे हुईं ? एक ही है।

श्री ब्रह्म दत्त—

अपराध अनुसन्धान शाखा ने जांच की। उन्होंने तीनों पर विचार किया और कहा कि न पर्चे बांटने वालों ने और न सम्मेलन करने वालों ने आग लगाई ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

अराजक तत्व कौन थे तथा जुलूस में किस प्रकार के नारे लगाये गये. . . .

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न में बातें दिखायी गयी हैं और जैसा कि स्पष्ट है पुलिस की मौजूदगी में घटना घटी, तो क्या इसकी जांच करा लेंगे कि वे पुलिस वाले नाम दर्ज करके भेजे गये थे या औपचारिक निर्वहन के लिए भेजे गये थे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

चूंकि तीनों बातें हुई थीं। पर्चे भी बांटे गये थे और पुलिस भी थी लेकिन जो अपराध अनुसन्धान की विवेचना हैं, उसमें यह विचार हुआ कि न पर्चे बांटने वालों ने और न सम्मेलन करने वालों ने आग लगाई। आग आकस्मिक रूप से लगी।

श्री काशी नाथ मिश्र--

× × ×

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

× × ×

श्री अध्यक्ष--

आपसे मैंने सवाल पूछने के लिए नहीं कहा था। अब मैं आपसे कह रहा हूं। आप पूछिए।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने जवाब में स्वयं कहा कि जुलूस निकाला गया, जुलूस में किस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे। वह अराजक तत्व कौन थे, जिन्होंने आग लगाई, उनके नाम क्या थे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा। इसमें ज्यादा तथ्यों में न जायं। हमसे ज्यादा सूचना शायद आपके पास होगी। नारा लगाने की बात है, और भी बातें हैं। असल में शिकायत आग लगने की हुई। पूरी विवेचना की गयी। पुलिस ने तीन सम्भावनायें व्यक्त कीं जिन पर सी0आई0डी0 ने विवेचना की और इस नतीजे पर पहुंची कि न तो सम्मेलन वालों ने आग लगाई थी न उन लोगों ने जो पर्चे बांट रहे थे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

सही बात यह है कि रामस्वरूप जी का जहां समाज होगा, आग लगेगी।

(हंसी)

श्री सूबेदार सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सम्भावना व्यक्त की है कि सी0आई0डी0 ने। साफ जाहिर है कि सी0आई0डी0 निश्चित मत पर नहीं पहुंच सकी। इससे मालूम होता है कि वह अक्षम है। क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि किसी सक्षम अधिकारी से पुनः जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर दे दिया गया है।

श्री मुख्तार अनीस--

यह जो सम्मेलन हुआ था, माननीय मन्त्री जी के बयान से जाहिर होता हैं कि शान्ति पूर्वक हो रहा था। नागरिक परिषद् के लोंगों ने सम्मेलन में पर्चे फेंके। जिन लोंगों ने सम्मेलन में पर्चे बांटे, उससे तनाव हुआ। क्या नागरिक परिषद् के कुछ लोंगों को गिरफ्तार किया गया ?

नोट--(×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त--

गिरफ्तार नहीं किया गया। इसका कारण था कि खद्दर चौधरी की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि शोषित समाज दल सम्मेलन में सहायता करेगा और उसने पर्चे वितरित किया, सहायता भी किया। उनकी गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता। अगर गिरफ्तार किया जाता तो, यह प्रश्न आता कि सहायता करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

माननीय मन्त्री जी क्या बतायेंगे, रिपोर्ट में साफ है कि पेट्रोल डाल कर आग लगाई गयी। कम से कम आग लगी तो पेट्रोल कहां से आया ?

श्री ब्रह्मदत्त--

लिखा तो जरूर है, लेकिन कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। सी0आई0डी0 जिस नतीजे पर पहुंची, वह स्पष्ट बता दिया।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

यह बता दें कि अपराध अनुसन्धान शाखा के कौन-कौन जांच करने वाले थे ?

श्री अध्यक्ष--

हो गया प्रश्न। अब बैठें। काफी प्रश्न हो गये।

*9--श्री सुनील शास्त्री--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त किया गया]

फैजाबाद जिले के मथेलू--कनावा मार्ग पर विसुही नदी का पुल

*10--श्री मित्रसेन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि योजना नं0 5 के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्ग मलेथू, कनावा विकास खण्ड हरिगंटनगंज, फैजाबाद पर विसुही नदी के पुल निर्माण की संस्तुति रिपोर्ट शासन को सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद ने प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो शासन को उसे स्वीकृति प्रदान करने में क्या कठिनाई हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां।

धनाभाव के कारण प्रस्तावित स्वीकृति पर विचार करना सम्भव नहीं हो पाया है।

श्री मित्रसेन--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जानना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उस पुल के बारे में कितनी धनराशि की संस्तुति की है और वह धनराशि माननीय मन्त्री जी कब तक उपलब्ध करा देंगे. जबकि सड़क भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जैसा कि मैंने बताया यह अभी सम्भव नहीं है। इसकी व्यवस्था हो जाने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

अब 12 बज गये हैं। तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त।

मुरादाबाद जिले में चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस (इ) के कार्यकर्ताओं के बीच मार-पीट की घटना

*11--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में गत 31 मई, 1980 को चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस (इ) के कार्यकर्ताओं के बीच हुए संघर्ष में कितने व्यक्ति मरे तथा कितने घायल हुए, संघर्ष का कारण क्या था ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31 मई, 1980 को मुरादाबाद के टाउनहाल मतदान केन्द्र पर भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस (इ) के कार्यकर्ताओं के मध्य लगभग 4 बजे अपराह्न एक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मामूली रूप से घायल हो गया था। इस घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इस झगड़े का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान में व्यवधान उत्पन्न करना था। नगर के सभी मतदान स्थलों पर चुनाव कार्य 4-30 पर समाप्त हो गया था। इसके अतिरिक्त बुद्ध बाजार, मोहल्ला मानपुर, गोयल नगर, कोठीबाल नगर, खुशहाल नगर, आदि में चाकू बाजी की घटनाएं हुयीं जिनका इस झगड़े से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध ज्ञात नहीं हुआ है। इन घटनाओं में कुल दस व्यक्ति घायल हुए जिनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गयी।

बरेली जिले के थाना प्रेमनगर के अन्तर्गत सरदार जुगेन्द्र सिंह की हत्या

*12--श्री चेतराम गंगवार--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बरेली के थाना प्रेमनगर के अन्तर्गत पीलीभीत रोड स्थित जानकी मन्दिर के पास दिनांक 17-4-80 को सरदार जुगेन्द्र सिंह को तीन बदमाशों ने गोली मार कर घायल कर दिया जिसके कारण सरदार जुगेन्द्र सिंह की 30 अप्रैल, 1980 को स्थानीय मिशन अस्पताल में मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो इस केस में नामदर्ज रिपोर्ट के बाद भी आज तक कोई गिरफ्तारी न होने का कारण क्या है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

नामजद अभियुक्तों में से एक ने दिनांक 14-5-80 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया और उसी दिन जेल भेजा गया। शेष दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

हाई स्कूल के प्रश्नपत्र आउट होने की घटना

*13--श्री मोहन सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के कितने विषयों की दुबारा परीक्षा हुई? इन परीक्षाओं के परीक्षा फल कब तक सम्भावित हैं? दुबारा परीक्षा कराने के क्या कारण हैं और इससे सम्बन्धित धांधलियों के प्रति बोर्ड ने अथवा शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

केवल हाई स्कूल परीक्षा, 1980 के 9 प्रश्न पत्रों (हिन्दी, प्रथम व द्वितीय, गणित प्रथम व द्वितीय, सामान्य गणित प्रथम, विज्ञान प्रथम व द्वितीय, अर्थशास्त्र प्रथम तथा अंग्रेजी प्रथम) की दुबारा परीक्षाएं कराई गयी थीं। हाई स्कूल का परीक्षाफल 2 जुलाई, 1980 को घोषित किया गया। उक्त प्रश्न-पत्रों के परीक्षा पूर्व ही आउट हो जाने पर परीक्षाओं के महत्व व गुरुता एवं शिक्षा स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से इनमें दुबारा परीक्षाएं करायी गयीं। इस प्रकरण की जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराई जा रही है।

इण्टरमीडिएट परीक्षा में किसी भी प्रश्न-पत्र में दुबारा परीक्षा नहीं कराई गयी इसका परीक्षा फल 5 जुलाई, 1980 को घोषित किया जा चुका है।

*14--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर हटाया गया।]

*15--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त किया गया।

कृषकों को विद्युत की आपूर्ति एवं मिनिमम चार्ज में छूट दिए जाने की मांग

*16—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् आपूर्ति के घंटों में कुछ वृद्धि किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? क्या सरकार कृषकों को जिन्हें विद्युत् आपूर्ति बहुत कम हुई मिनिमम चार्ज में कुछ छूट देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां।

व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट के उपभोक्ताओं से कोई न्यूनतम चार्ज नहीं लिया जाता है। इन उपभोक्ताओं को नियत दर पर विद्युत् आपूर्ति की जाती है। इन उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में कटौती न करके उनके चलाने के समय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इन्हें विद्युत् आपूर्ति इतने कम समय की नहीं की गयी है कि वे नियत चार्ज पूरा नहीं कर सकते। अतः इन उपभोक्ताओं को प्रतिबन्धित विद्युत् आपूर्ति की अवधि में नियत चार्ज में कोई छूट देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बिजली आपूर्ति में वृद्धि की मांग

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह तथा श्री जगदीश सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजली आपूर्ति में अत्याधिक कमी से कृषि कार्य एवं औद्योगिक उत्पादन की हो रही क्षति को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्री ब्रह्मदत्त—

प्रदेश में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विद्युत् परिषद् तथा प्रादेशिक सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं:—

1—भारत सरकार की सहायता एवं ऊर्जा मन्त्री जी के सहयोग से तापीय विद्युत् गृहों के लिए कोयले एवं ईंधन तेल की आपूर्ति में सुधार लाकर तथा ओबरा को 200 मेगावाट इकाइयों में बी0एच0ई0एल0 तथा आई0एल0 कोटा के द्वारा शीघ्र सुधार करा कर तापीय विद्युत् उत्पादन में वृद्धि लाने का प्रयास किया जा रहा है।

2—वर्ष 1979 के अभूतपूर्व सूखा के कारण जिन तापीय इकाइयों को सामान्य से अधिक समय तक लगातार चलाना पड़ा है, उनका मानसून प्रारम्भ होते ही एक विस्तृत ओवर हालिंग कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है ताकि रबी की फसल के लिए सिंचाई की मांग आने पर उनसे अधिक से अधिक विद्युत् उत्पादन सम्भव हो सके।

3—निर्माणाधीन इकाइयों को यथाशीघ्र चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं और आशा की जाती है कि ओबरा स्थित 200 मेगावाट की चौथी इकाई तथा चिल्ला जल विद्युत् गृह की 36–36 मेगावाट की 4 इकाइयां वर्तमान वित्तीय वर्ष में चालू हो जायेंगी।

4—छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) के प्रारूप में 2000 मेगावाट तापीय तथा 435 मेगावाट जलीय नई क्षमता के स्थापित करने का प्राविधान किया जा रहा है।

5—आगामी वर्षों में अपेक्षित बिजली की भारी कमी को देखते हुए केन्द्रीय शासन को 6 जलीय तथा 7 तापीय नई परियोजना स्वीकृति हेतु भेजी गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उपाय सुझाए गये हैं, उनमें बहुत समय लगने की सम्भावनायें है, सुधार करने और ओवर-हालिंग करने—

आदि में, और ये दीर्घ कालिक उपाय हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान कैपेसिटी कितने मेगावाट जनरेट करने की है और ये उपाय जब पूरे हो जायेंगे, तो कितनी अतिरिक्त बिजली जनरेट करेंगे ? तो ये तो दीर्घकालीन उपाय होंगे। लेकिन वर्तमान संकट बिजली का तो आज है। तो तत्काल ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे कि बिजली का जनरेशन बढ़ जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

तात्कालिक उपायों के लिए मान्यवर, कई बातें हैं। एक तो 1100 मेगावाट बिजली का विद्युत् गृह है। वह भी पानी पर निर्भर करता है। तापीय विद्युत् गृह ऐसे हैं जो सूखे वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। उनको चेंज करके और ओवरहाल किया जा रहा है। इससे बिजली की कटौती कम हो रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सवाल है कि कितने मेगावाट बिजली बढ़ा देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

यह तो मान्यवर, समय बतायेगा। लेकिन आशा है, इससे अवश्य बिजली बढ़ जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बिजली की सप्लाई के लिए एग्रीमेंट होते हैं, वे रूरल और अर्बन एरिया के लिए एक एग्रीमेंट होते हैं, तो क्या कारण है कि अर्बन एरिया को 18 घंटे, 19 घंटे और 20 घंटे बिजली मिलती है और रूरल एरिया जहां कि ट्यूब वेल चलते हैं, वहां केवल 6–7 घंटे ही बिजली दी जाती है, तो इसके क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, ट्यूबवेल के लिए तो एग्रीमेन्ट होते हैं और उसका एग्रीमेन्ट दूसरी किस्म का होता है। उसमें फिक्स्ड रूप से बिजली दिए जाने का एग्रीमेन्ट होता है। अब उसमें कोशिश की जा रही है कि आवश्यकतानुसार ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाय।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। माननीय मन्त्री जी ने केवल ट्यूबवेल की बात कर दी। लेकिन मान्यवर, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियल कनेक्शन भी हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन भी हैं और ट्यूबवेल भी हैं तो जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कनेक्शन हैं, उनका एग्रीमेंट अर्बन एरियाज के एग्रीमेंट के बिलकुल एक सा है, लेकिन बिजली की सप्लाई रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कनेक्शन को केवल 5–6 घंटे हैं और अर्बन एरियाज में 20—22 घंटे है। इसका क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, शहरी क्षेत्र में भारी लोड उद्योग पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम लोड ट्यूबवेल पर है। शहरी क्षेत्र में उद्योगों के हिसाब से और शहरी जनता की जन संख्या के जमाव को देखते हुए बिजली आपूर्ति की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए अधिक से अधिक बिजली दी जाती है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है। मन्त्री जी एग्रीमेन्ट में डिफरेंस क्यों नहीं करते ? जब दोनों जगहों पर एक किस्म के एग्रीमेंट हैं, तो बिजली की व्यवस्था एक सी होनी चाहिए या तो फिर एग्रीमेंट में डिफरेंस होना चाहिए ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री मोहन सिंह--

इसका उत्तर तो नहीं आया, बड़ा रेलेवेन्ट क्वेश्चन था। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या जैसा कि उत्तर के अन्त में लिखा है कि 6 जलीय तथा 7 तापीय नई परियोजना स्वीकृत हेतु भेजी गयी है, तो इन योजनाओं को कहां पर स्थापित किया जायगा, उनके स्थान के बारें में कुछ तय किया गया है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

यह जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे ऊंचा हार, रायबरेली में है। आनपारा, मिर्जापुर में है। दोहरीघाट, आजमगढ़ में हैं। परीक्षा, झांसी में है। रौजा, शाहजहांपुर में है। जवाहरपुर, एटा में है। मनेरी भाली, गढ़वाल में है। खारा, यमुना नदी पर है। पाला मनेरी, जिला देहरादून में है। किसाऊं, टोंस नदी पर है। लखवारा व्यासी, यमुना नदी पर टिहरी जिले में है।

(कुछ सदस्यों के आपस में मन्त्री जी से बातचीत करने पर)

श्री मोहन सिंह--

क्या यह कोई सचिवालय खोल रखा है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, आपस में विवेचना मत करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह आपके आदेशों की अवहेलना है। मान्यवर, सबका ध्यान वहां लगा हुआ हैं कोई सवाल कैसे पूछे ?

मान्यवर, मैं उत्तर से सम्बन्धित एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई आकलन नहीं है कि जब नई योजनाए पूरी हो जायेंगी, तो विद्युत् परिषद् को कितनी बिजली मिलेगी इससे विद्युत् परिषद् और शासन की दिशाहीनता का परिचय मिलता हैं। जो वर्तमान स्थिति हैं, जैसे अभी यहां कहा गया कि एग्रीकल्चर को, देहात को समय से बिजली नहीं मिलती है और निर्धारित मात्रा में मिलती है। मेरी जानकारी को सही मानकर कि सरकार बड़े उद्यमियों को मिनिमम चार्ज से छूट दे चुकी है, तो क्या सरकार जो गांव के छोटे काश्तकार हैं, उनको भी मिनिमम चार्ज से छूट देने पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

गांव में ट्यूबवेल पर मिनिमम चार्ज नहीं होता है, फिक्स्ड चार्ज होता है। आपने योजनाओं की क्षमता की बात की, मै हर योजना की क्षमता के बारे में पढ़कर बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने मिनिमम चार्ज के बारे में पूछा था कि क्या सरकार इसको खत्म करने पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मैंनें इसका उत्तर दे दिया है ट्यूबवेल के लिए ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स चार्ज है मिनिमम चार्ज नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा निवेदन हैं कि जो फिक्स चार्ज मिनिमम है, बिजली मिले चाहे न मिले इस प्रथा की समाप्ति के बारें में विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम चार्ज के रूप में देना पड़ता है, उससे अधिक बिजली पूर्ति हो जाती है ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो मिनिमम फिक्स चार्ज है, यह तो हर हालत में किसान से ले लिया जाता है, लेकिन यह चार्ज बहुत ज्यादा पड़ता है और बिजली कम कन्ज्यूम होती है। क्या मन्त्री जी उसकी जांच करके उसमें पुनः संशोधन करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

देहाती क्षेत्र में मुश्किल से एक-दो घंटे बिजली दी जाती है जबकि शहरों में 12 से 20 घंटे तक बिजली मिलती है लेकिन पैसा बराबर लिया जाता है ।

श्री भीखालाल--

इस वक्त तत्कालिक रूप से बिजली का उत्पादन बढ़ाने का सवाल है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिजली उद्योग में लगे हुए मजदूरों ने अपने विभिन्न संगठनों के जरिए से सामूहिक रूप से कुछ सुझाव सरकार को दिए हैं कि बिजली का उत्पादन इस तरह से बढ़ा सकता है ? क्या उसमें एक सुझाव यह भी है कि इंजीनियरों के अनावश्यक हस्तक्षेप से बिजली के उत्पादन में गिरावट आती है। उसका प्रमाण यह है कि जिस समय इंजीनियरों ने हड़ताल की और बिजली का उत्पादन मजदूरों के हाथ में रहा, उस समय उत्पादन आपका बढ़ा है, तो क्या आप इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं जिससे कि इंजीनियरों के अनावश्यक हस्तक्षेप के बिजली के उत्पादन में गिरावट न हो ? उत्पादन बढ़ाने के जो दूसरे सुझाव हैं, उन पर भी आप विचार कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

शासन के पास इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर या श्रमिक संगठनों द्वारा जो भी सुझाव आते हैं, हम उन पर उनसे निरन्तर वार्ता करके विचार करते हैं ।

श्री रूद्रप्रताप सिंह--

अभी तीन दिन पहले मैं देवरिया के एक इंजीनियर के यहां गया, उनके यहां दो कुत्ते हैं, जो 7 बजे छोड़ दिए जाते हैं। जब मैं गया, तो मुझे कुत्ते ने पकड़ लिया, मैं चिल्लाया तो जान तो बच गयी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम गांव में बिजली का पेमेन्ट करते हैं 24 घंटे का, और बिजली हमको एक घंटा मिलती है, आखिर हमारा क्या दोष है, ? शहर वाले बड़े लोग हैं, उनको आप 2 घंटे बिजली देकर 24 घंटे का वसूल करें लेकिन गांव वालों को 2 घंटे बिजली देते हैं तो 2 घंटे का ही चार्ज करें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री दलगंजन सिंह--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शहर के कंज्यूमर हैं, उन पर बकाया पर सरचार्ज नहीं लगता है और जो देहात का कंज्यूमर है,उनके बकाया पर 10 फीसदी सरचार्ज आपका विभाग लेता है क्या मन्त्री जी शहरी और देहाती दोनों कंज्यूमर्स में समानता स्थापित करके उनको ब्याज से मुक्त करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

शासन की नीति ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने की है और जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं, देंगे।

ग्रामों का विद्युतीकरण एवं विद्युत् कनेक्शन की योजना

**2—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या यह सही है कि विद्युत् उत्पादन में होने वाली कमी को देखते हुए सरकार ग्राम विद्युतीकरण और नए कनेक्शन देने की योजना को स्थगित करने जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी नहीं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

जब बिजली की इतनी कमी है कि जो वर्तमान बिजली कनेक्शन हैं, उनको ही आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं, तो नए कनेक्शन्स देने का विचार आपने कैसे कर लिया ?

श्री ब्रह्मदत्त—

ग्रामीण क्षेत्र में हरिजन बस्तियों को प्राथमिकता के आधार पर कुछ ऐसे उद्योग हो सकते हैं, जिनको नये कनेक्शन्स देने में कोई पाबन्दी नहीं होगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि 15 जून को जो बिजली बन रही थी, उस में पानी की बिजली ज्यादा और भाप की बिजली कम थी, तो भाप की बिजली की उत्पादन क्षमता जब 2 हजार मेगावाट है और उसको आप 30.25 परसेंट पर दे रहे हैं, तो किस प्रकार आप नए कनेक्शन देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मैं बतला चुका हूं कि थरमल पावर हाउसेज को रेपेयर किया जा रहा है। जो गिरावट आई, वह सूखे के कारण आई, गत तीन वर्षों में और उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मन्त्री जी का जवाब है कि सूखे के कारण गिरावट आई, तो यह गलत है। 17 फरवरी को जल विद्युत् 5.262 मिलियन बनी थी जबकि 15 जून, 1980 को सर्वाधिक सूखे का प्रभाव था, तब 6.393 मिलियन यूनिट वह बनी थी और वाष्प बिजली 17 फरवरी को 22.362 मिलियन यूनिट बनी और 15 जून को वह 18.631 मिलियन यूनिट बनी, तो सच्ची गिरावट तो वाष्प विद्युत् में आई जबकि अधिष्ठापित क्षमता 17 फरवरी को 1877 मेगावाट थी और 15 जून को 2077 मेगावाट वाष्प विद्युत् की थी, तो इस को देखते हुए क्या यह सही है कि सूखे के कारण यह गड़बड़ी हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त—

दो तरह की जल विद्युत् होती है। एक रनिंग पावर होती है, दूसरी जलाशय वाली होती है, जहां पर कि सूखे का प्रभाव पड़ा। सूखे के समय जरूरत के मुताबिक ज्यादा पानी छोड़कर हमको उसको चलाना पड़ा था और ताप विद्युत् गृहों की उत्पादन क्षमता निरन्तर गिरती जा रही है। 1977–78 में जहां वह 58 परसेंट थी, वहां अब 35 परसेंट पर आ गई और अब 42 पर ले आये हैं। सूखे से लोड बढ़ा है लेकिन वह मजबूरी का लोड है। जल विद्युत् के उत्पादन के जो आंकड़े दिए गये हैं, उनका सूखे से सीधा कनेक्शन नहीं है । उससे स्पष्ट नहीं होता है कि सूखे से सीधा कनेक्शन है, सूखे से रनिंग पावर का सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

नोटः—**अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में विधान सभा के चुनाव के दौरान हत्याओं का विवरण

1—डा० शिवानन्द नौटियाल, श्री मोहन सिंह तथा श्री हरि वंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मई, 1980 के विधान सभा के आम चुनाव में कितने कत्ल जिलेवार हुए हैं और उनमें से किन-किन के सम्बन्ध में दोषी व्यक्ति पकड़े गए हैं और कितने मामले ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मई, 1980 के विधान सभा के चुनाव में प्रदेश में कुल 13 हत्याएं हुई थीं, जिनकी जिलेवार संख्या निम्नवत् है :—

इटावा	..	.. 2
एटा	..	.. 1
अलीगढ़	..	.. 2
फैजाबाद	..	.. 1
मैनपुरी	..	.. 2
फतेहपुर	..	.. 1
मिर्जापुर	..	.. 1
फतेहगढ़	..	.. 1
मुजफ्फरनगर	..	.. 1
जौनपुर	..	.. 1

मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर तथा एटा को छोड़कर उपरोक्त शेष हत्याओं के अभियुक्त जेल भेजे जा चुके हैं।

उपरिलिखित जनपद इटावा, अलीगढ़, मैनपुरी में हुई हत्यायें पुरानी दुश्मनी के कारण तथा जनपद फतेहपुर में हुई हत्या, डकैती के अभिप्राय से की गयी बताई गयी हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में एक डकैत की हत्या ग्रामीणों द्वारा दिनांक 31—5—80 को की गयी थी।

राष्ट्रपति शासनकाल में हत्या, डकैती एवं राहजनी की घटनायें

2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप राष्ट्रपति शासन लागू होने के दिन से उसकी समाप्ति के दिन तक प्रदेश में हत्याओं, डकैतियों एवं राहजनियों की कितनी घटनाएं हुयीं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत, अवधि में प्रदेश में हत्या की 1652, डकैती की 1254 तथा लूट की 2261 घटनाएं हुयीं।

प्रदेश में विद्युत् उत्पादन का विवरण

3—श्री रास्वरूप वर्मा—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में 17 फरवरी, 1980 और 15 जून, 1980 को कितनी यूनिट बिजली अलग-अलग बनी और दोनों तिथियों को अलग-अलग बिजली की अधिष्ठापित ताप एवं जल-विद्युत् गृहों की कितनी क्षमता थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा 17 फरवरी, 1980 तथा 15 जून, 1980 को किए गये विद्युत् उत्पादन तथा उन तिथियों पर अधिष्ठापित क्षमता का विवरण निम्न प्रकार से है :—

विवरण विद्युत् उत्पादन	17 फरवरी, 1980	15 जून, 1980
(1) जल विद्युत्	5.262 मिलियन यूनिट	6.393 मिलियन यूनिट
(2) तापीय	22.362 मिलियन यूनिट	18.631 मिलियन यूनिट
टोटल—(1) (2)	27.624 मिलियन यूनिट	25.024 मिलियन यूनिट
2—अधिष्ठापित क्षमता (डेरेटेड)—		
(1) जल विद्युत्	1068.35 मेगावाट	1068.35 मेगावाट
(2) तापीय	1877.00 मेगावाट	2077.00 मगावाट
टोटल (1) (2)	2945.35 मेगावाट	3145.35 मेगावाट

सीतापुर जिले की सरायन नदी पर कनवा खेड़ा ग्राम के पुल का निर्माण

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीतापुर जिले में सरायन नदी पर कनवा खेड़ा ग्राम के पास निर्माणाधीन सेतु का निर्माण रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं, बरसात का मौसम आ जाने के कारण निर्माण रुका हुआ है।

5—डा० शिवानन्द नौटियाल—

[11-7-80 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त किया गया।]

चल-चित्र निगम के सिनेमाघरों के लाभ या हानि का विवरण

6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चल-चित्र निगम द्वारा इस समय प्रदेश में कितने सिनेमा घर चलाये जा रहे हैं? प्रत्येक पर कितना-कितना रुपया व्यय हुआ है? तथा चालू होने से अब तक प्रत्येक के लाभ-हानि का लेखा-जोखा क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

चल-चित्र निगम द्वारा इस समय प्रदेश में चौदह सिनेमाघर चलाए जा रहे हैं। जहां तक इन सिनेमाघरों पर किये गये पूंजीगत व्यय का प्रश्न है, इस समय वर्ष 1979-80 का लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है, जिसे अपने अन्तिम रूप में तत्काल प्रस्तुत कर देना अभी सम्भव नहीं है। वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 के अन्तिम लेखा के अनुसार तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, पूंजीगत व्यय का छविगृह वार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

सिनेमा घरों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, सिनेमाघर चालू होने के तीसरे वर्ष में लाभ देने की स्थिति में आता है। कार्यरत सिनेमाघरों की लाभ-हानि का पूर्ण ब्योरा संलग्न परिशिष्ट "ख" में प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 784 पर)

सीतापुर जिले में इंडस्ट्रीयल स्टेट हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा का भुगतान

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर में जो नवीन इन्डस्ट्रियल स्टेट बनाई जा रही है उसमें किन-किन काश्तकारों की भूमि अधिगृहीत की गयी है? क्या भूमि के मालिकों को मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक दे दिया जायेगा?

उद्योग मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)—

ग्राम सरहया मल्हुई, जनपद सीतापुर में बनाये जा रहे नवीन इंडस्ट्रियल स्टेट में तीन ग्रामों बिजवार खुर्द, हुसेनगंज तथा सरैया मल्हुई के निम्नलिखित 12 कास्तकारों की भूमि अधिगृहीत की गयी है :—

1—माता दीन पुत्र धनी	..	ग्राम बिजवार खुर्द
2—मोहन पुत्र धनी	..	,,
3—रूपन, सु कई, सकटू तथा मैलू	..	ग्राम सराय मल्हुई
4—छत्र सिंह	..	,,
5—आर्शीवादी लाल	..	,,
6—जगदीश पुत्र मैलू	..	,,
7—बेचे लाल	..	ग्राम हुसैनगंज
8—मोहन	..	,,
9—रफीक उर्फ भगोले	..	,,
10—पोखई	..	,,
11—उमेंदी उर्फ छोटंकी	..	,,
12—नन्दा आदि	..	,,

बिजवार खुर्द के दो काश्तकारों को मुआवजा दिया जा चुका है तथा सराय मल्हुई के 4 काश्तकारों के मुआवजे के भुगतान हेतु मण्डलायुक्त से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और उन्हें मुआवजा का भुगतान शीघ्र करने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम हुसैनगंज के 6 काश्तकारों को भी मुआवजे का भुगतान शीघ्र करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलो एवं अध्यापकों व विद्यार्थियों का विवरण

8—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1980 को प्रदेश में कुल कितने स्कूल और कुल कितने अध्यापक प्राइमरी शिक्षा के थे और उनमें कितने लड़के व कितनी लड़कियां शिक्षा पा रही थीं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सीतापुर जिले के अतिरिक्त निर्वाचन निरीक्षक श्री मकसूद अली की पेंशन एवं ग्रेच्युटी

9—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जनपद में निर्वाचन कार्यालय के अतिरिक्त निर्वाचन निरीक्षक श्री मकसूद अली को सेवा निवृत्त 30-9-77 से कर दिया गया था? यदि हां, तो अभी तक उनको प्रावीजनल पेंशन, प्रावीजनल ग्रेच्युटी तथा पेंशन न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां। श्री मकसूद अली की सेवा पुस्तिका उन्हीं के कार्यकाल में खो गई थी। सेवा पुस्तिका का पुर्नगठन कराया जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् की शोध योजनाएं

10—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद द्वारा इस नये वित्तीय वर्ष में स्वीकृत शोध परियोजनाओं की संख्या क्या है? और इस में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् द्वारा इस नये वित्तीय वर्ष में स्वीकृत शोध परियोजनाओं की संख्या शून्य है। अतः उसमें स्वीकृत धनराशि का प्रश्न नहीं उठता।

जिला पौड़ी गढ़वाल के कतिपय विकास खण्डों के ग्रामों का विद्युतीकरण

11—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोखाल, थलीसण, पोखड़ा, पाबो और नैनीडांडा के किन-किन ग्रामों का 31–3–80 तथा विद्युतीकरण हो चुका है तथा वर्ष 1980–81 में इन विकास खण्डों के किन ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

दिनांक 31–3–80 तक जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोखाल में 59, थलीसण में 3, पोखड़ा में 5, पावों में 11 तथा नैनीडांडा में 51 ग्रामों का विद्युतीकरण एल0टी0 लाइन बिछाकर किया जा चुका है।

(सूची संलग्न)

वर्ष 1980–81 में विकास खण्ड नैनीडांडा में 11, पावों में 5 तथा बीरोखाल में 7 ग्रामों का विद्युतीकरण विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 786–789 पर)

आपातकाल में बरती गयी ज्यादतियों से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कथित कार्यवाही

12—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आपातकाल में ज्यादतियां बरतने के आरोप में गत जनता शासन द्वारा कितने आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को पुरस्कृत करने पर भी विचार कर रही है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः पुरस्कृत करने का प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकायों एवं राज कर्मचारियों के लिए गठित वेतन आयोग एवं लम्बित रिपोर्ट

13—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए जो अलग-अलग दो वेतन आयोग गठित किये गये हैं, इनका कार्य-काल कब तक है और कब तक इनको अपना प्रतिवेदन देने के लिए शासन से अनुरोध किया गया है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

राज्य कर्मचारियों के लिए गठित वेतन आयोग की अवधि दिनांक 31-12-80 तक और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए गठित वेतन आयोग की अवधि दिनांक 31-10-80 तक है। दोनों आयोगों की रिपोर्ट निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त होने की सम्भावना है।

उद्योग निदेशालय के चीफ इंसपेक्टर आफ एकाउन्ट्स के रिक्त पद

14—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत प्रदेश में चीफ इंस्पेक्टर आफ एकाउन्ट्स के कितने पद कितने समय से रिक्त पड़े हुए हैं और उनके बारे में भरे जाने की कब तक सम्भावना है? अब तक उनके न भरे जाने के क्या कारण हैं?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत चीफ इंस्पेक्टर आफ एकाउन्ट्स का कोई पद रिक्त नहीं है। प्रदेश के ऐसे 13 स्थानों में जहां पर रोकड़ का लेन-देन तथा ऋण वितरण सम्बन्धी कार्य अधिक है, चीफ इंस्पेक्टर आफ एकाउन्ट्स के स्थान पर सहायक लेखाधिकारियों के पद स्वीकृत हैं जिन पर वित्त विभाग के परामर्श से नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही हैं।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन एवं लम्बित रिपोर्ट

15—श्री बलवीर सिंह तथा श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों हेतु गठित आयोग की रिपोर्ट शासन को कब तक प्राप्त होने की आशा है? क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए गठित वेतन आयोग की रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1980 तक प्राप्त होने की आशा है। इस आयोग ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

समता डिग्री कालेज, सादात, गाजीपुर का भवन

16—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समता डिग्री कालेज, सादात, गाजीपुर के पास कितने कमरों का निजी भवन है, क्या यह सही है कि इस महाविद्यालय के पास प्राभूत के रूप में आवश्यक अचल सम्पत्ति नहीं है? क्या यह भी सही है कि यह महाविद्यालय अनियमित रूप से एक इण्टर कालेज के भवन में चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

समता डिग्री कालेज, सादात, गाजीपुर के पास कोई निजी भवन नहीं है। प्राभूत के रूप में अचल सम्पत्ति रखने का नियम डिग्री कालेजों के प्रसंग में नहीं है। जी हां।

इस मामले में सम्बद्धता के वैधानिक नियमों के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय ही आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। शासन द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

किसान इण्टर कालेज, परशुरामपुर, जिला बस्ती के लिपिक श्री रामतेज पाण्डेय की शैक्षिक योग्यता

17—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान इण्टर कालेज, परशुरामपुर, जिला बस्ती जू0 हाई स्कूल, हाई स्कूल तथा इण्टर की मान्यता कब प्राप्त हुई ? उसमें कितने लिपिक है नियुक्ति के समय उन लिपिकों की योग्यता क्या थी और कब नियुक्त किये गये हैं ? क्या यह सही है कि किसी लिपिक ने फर्जी सर्टिफिकेट दे करके उक्त शिक्षा संस्था में नौकरी प्राप्त की ? यदि हां, तो सम्बन्धित लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

किसान इण्टर कालेज, परशुरामपुर, बस्ती को जूनियर हाई स्कूल की स्थायी मान्यता वर्ष 1963–64 में, हाई स्कूल की मान्यता 1965–66 में तथा इण्टर की मान्यता वर्ष 1970–71 में दी गयी।

इस समय इस विद्यालय में कुल तीन लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं। वे क्रमशः 8-7-58, 1–7–67 एवं 1–3–77 को नियुक्त किए गये थे। इस विद्यालय के प्रधान लिपिक श्री रामतेज पाण्डेय की शैक्षिक योग्यता मिडिल परीक्षा अनुत्तीर्ण है और शेष दो सहायक लिपिकों में से एक हाई स्कूल परीक्षा उत्तीण एवं दूसरे इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण हैं। प्रबन्धक का कहना है कि श्री रामतेज पाण्डेय ने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र दिखाया था परन्तु संस्थाधिकारियों द्वारा कोई अभिलेख इस सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। वर्ष 1974 में जब यह प्रकरण प्रकाश में आया तो प्रबन्धक को श्री पाण्डेय की सेवाओं को समाप्त करने का निर्देश दिया गया परन्तु श्री पाण्डेय ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत कर सेवा समाप्ति आदेश के विरुद्ध 21–11–74 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। उक्त स्थगन आदेश के अन्तर्गत श्री पाण्डेय अब भी सेवारत हैं तथा मामला न्यायालय के विचारार्थ है।

फर्रुखाबाद जिले के विकास खण्ड राजेपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की अनिवार्य जमा योजना की धनराशि

18—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास खंड राजेपुर के बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों का सस्पेंश एकाउन्ट का धन उन्हें अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसके दिए जाने की कब तक सम्भावना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों को उनके द्वारा अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गयी धनराशि की तीन किश्तों का भुगतान किया जा चुका है और चौथी किश्त के भुगतान के लिए धन अवमुक्त करने हेतु रीजनल प्राविडेंट फण्ड कमिश्नर, कानपुर को आवश्यक विवरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा 18–2–80 को भेजे गये थे किन्तु अभी तक धनराशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा भी रीजनल प्राविडेंट फण्ड कमिश्नर को खत लिखा गया है।

झांसी नगर पालिका एवं हसारी ग्राम का विद्युत् कनेक्शन

19—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगरपालिका एवं हसारी ग्राम के अन्तर्गत विद्युत् कनेक्शन हेतु ऐसे कितने व्यक्तियों की प्रतिभूत जमा है जिनके कनेक्शन 22-6-80 तक नहीं लगाये जा सके और यह कब तक लगा दिए जायेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

झांसी नगरपालिका तथा हसारी ग्राम के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनके प्रतिभूति विद्युत् कनेक्शन हेतु जमा होने के बावजूद भी कनेक्शन 22-6-80 तक नहीं दिए जा सके क्रमशः 109 और 2 है।

झांसी नगर के 24 कनेक्शन ऐसे हैं, जिनमें आवेदकों के अपने स्तर पर ही कुछ न कुछ कमी होने के कारण कनेक्शन देना शेष है, जिसे पूरा करने के बाद इन्हें डेढ़ माह के अन्दर कनेक्शन दे दिए जायेंगे।

झांसी नगर के शेष 85 आवेदकों तथा हसारी ग्राम के दो आवेदकों को कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है। आशा है कि आगामी अगस्त, 1980 के अन्त तक इन्हें विद्युत कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

थाना हरदी, जिला बहराइच के थानाध्यक्ष श्री कृपा शंकर मिश्र के विरुद्ध घूस लेने का आरोप एवं अधिकारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत

20--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 जून, 1980 को थाना हरदी, जनपद बहराइच के थाना इंचार्ज श्री कृपा शंकर मिश्र को परगनाधिकारी, बहराइच ने तथा सहायक पुलिस अधीक्षक ने घूस लेते हुए ट्रेप किया ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां।

इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष श्री कृपा शंकर मिश्र को दिनांक 15-6-80 को प्रातः निलम्बित कर दिया गया तथा एक मुकदमा धारा 161/342/189 भा0द0वि0/5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गयी है।

21--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या यह सही है कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित दरोगा के विरुद्ध कोई इस आशय की शिकायत कोतवाली बहराइच में 14 अथवा 15 जून, 1980 को लिखाई गयी कि उन्होंने अधिकारी तथा उप पुलिस अधीक्षक के साथ दुर्व्यवहार भी किया ? यदि हां, तो पूरी शिकायत क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उक्त मुकदमें के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अधिकारियों के थाना हरदी के हेड मुहर्रिर से चिक दस्तनदाजी रजिस्टर व सामान्य दैनिकी मांगने पर श्री कृपा शंकर थानाध्यक्ष ने हेड मुहर्रिर के हाथ से यह अभिलेख छीन लिए और कहा कि एक बार पहले ही देकर गलती हो गयी अब किसी को नहीं दी जायेगी। थानाध्यक्ष निलम्बित किए जा चुके हैं। अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा पंजीकृत अपराध की विवेचना की जा रही है।

गोरखपुर जिले में खोले गये प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

22--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में वर्ष 1979-80 में कितने प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल खोले गये ? विकास खण्ड पिपरौली, कौड़ीराम, खोरावार में कहां-कहां इन स्कूलों की स्थापना की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वर्ष 1979-80 में गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्राइमरी स्कूल तथा एक जूनियर हाई स्कूल खोला गया। विकास खण्ड पिपरौली, कौड़ीराम व खोरावर में ये स्कूल नहीं खोले गये, वरन् विकास खण्ड ब्रह्मपुर में राजो नामक स्थान पर एक जूनियर

हाई स्कूल तथा विकास खण्ड, सिसवा में बन्दो नामक स्थान पर एक प्राइमरी स्कूल खोला गया।

23—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले के कतिपय विकास खण्डों के ग्रामों का विद्युतीकरण

24—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के विकास खण्ड पिपरौली, कौड़ीराम, खोराबार के वर्ष 1979–80 में माह जनवरी तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया? कितने गांवों के हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाई गयी? क्या यह सच है कि वर्ष 1979–80 में लक्ष्य से बहुत कम विद्युतीकरण का कार्य हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

विकास खण्ड पिपरौली में शून्य, कौड़ीराम में चार तथा खोराबार में दो ग्रामों का विद्युतीकरण एल0टी0 लाइन बिछाकर किया गया।

विकास खण्ड, पिपरौली के शून्य, कौड़ीराम के चार तथा खोराबार के दो ग्रामों की हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाई गयी।

जी हां।

संसाधनों के अभाव में लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई।

गोरखपुर जिले के कतिपय विकास खण्डों में कारपेट सेण्टर की स्थापना की मांग

25—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के विकास खण्ड, पिपरौली, कौड़ीराम व खोराबार में वर्ष 1979–80 में 5 कारपेट सेन्टर खोलने का प्रस्ताव था? यदि हां, तो वे 5 कारपेट सेन्टर कब तक खोल दिए जायेंगे, इन कारपेट सेन्टरों के खोलने में विलम्ब होने का क्या कारण है?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड पिपरौली, कौड़ीराम व खोराबार में वर्ष 1979—80 में पांच कारपेट सेन्टर खोलने का उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं था।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील में चीनी की चोर बाजारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 5 सूचनाएं स्वीकार हुई हैं और शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुयीं। पहली सूचना श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मैं इस माननीय सदन के माध्यम से और आपकी अनुज्ञा से सरकार का ध्यान डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती में चीनी की भारी चोर बाजारी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। शासन के लोग माननीय मन्त्रीगण, विधायक इस माननीय सदन में बड़ी जोरदार तरीके से कहते हैं कि चोर बाजारी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जायेगी।

मान्यवर, यदि यह ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं और इनकी मंशा है तो मेरे तहसील में प्रतिमाह 500 बोरी से ऊपर चीनी की तस्करी हो जाती है। मैं याद दिला दूं यह वही सक्श है जिसने पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाजरा काण्ड किया था जिसकी गूंज

[श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ]

पूरे प्रदेश में हुई थी। पूरी तहसील की 200 दूकानें वहां का कुख्यात चोर सेठ जगदेब फर्जी तर के पर चलाता है और अपनी ट्रक के माध्यम से बिहार, नैपाल, कानपुर तथा अन्य जगहों पर ले जाकर रु0 700, 800 कुंटल बेच कर प्रति माह चार पांच लाख रुपया कमाता है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ जगहों का नाम लेता हूं जहां-जहां पर दुकानें यह चलाता है। बढ़नी चाका, सिकटा, कादा बाद न्याय पंचायत, भरवटिया, रमवापुर, जगतराम, शाहपुर हल्लौर. भानपुर नी, अजगरा न्याय पंचायतों में। यदि इसी तरह सभी दुकानदारों को तलब करके सब के फोटो और हस्ताक्षर लाये जायं तथा एफ0सी0आई0 पर रिलीज-आर्डर के हस्ताक्षर मिलाये जायं तो सब पकड़ जायेंगे।

अतः मैं जोरदार शब्दों में आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी खुली जांच जनता के बीच में बाहरी अधिकारी से कराई जाय।

उचित य होगा कि गोपनीय ढंग से सतर्कता द्वारा एक सप्ताह तक वहां भेजकर जांच कराई जाय तो सभी भण्डाफोड़ हो जायगा इससे यहां की जनता में बड़ा उत्पीड़न है। पूरी तहसील में हाहाकार मचा हुआ है।

आशा है सरकार मामले में अपनी ईमानदारी एवं चुस्त होने का परिचय देगी। इसमें वहां के अधिकारी डर वश सब जानते हुए कुछ बोल नहीं सकते। यदि जांच हुई तो वहां सभी प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा।

आगरा में एक जर्मनी युवती के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आगरा शहर में ताजमहल के निकट स्थित एवरग्रीन होटल में दिनांक 19 जुलाई, 1980 को 27 वर्षीय एक जर्मनी युवती अपने एक साथी के साथ ठहरी थी वहां से 21 जुलाई को होटल मालिक के परामर्श पर एक रिक्शा में बैठकर घूमने के लिए निकली और वह रिक्शा चालक दिन छिपे के करीब शाहजहां पार्क में उसको ले गया दो आदमियों ने मोती लाल नेहरू की मूर्ति के निकट उस रिक्शावाले को बांध दिया और 5 व्यक्तियों ने उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया ? जब युवती ताजगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गयी तो वहां के थानेदार इंचार्ज ने रिपोर्ट लिखने में आनाकानी इसलिये कर दी कि वहां पर सिविल वर्दी में पहने हुए एक सब इन्सपेक्टर पहचान कर बलात्कारियों में से यह कह कर इंगित किया था। बड़ी कठिनाई से उस विदेशी महिला की रिपोर्ट दर्ज की गयी।

महोदय, जर्मनी युवती अस्पताल में भर्ती है और आगरा पुलिस बलात्कारियों को बचाना चाहती है। अभी तक दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस कांड से भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान को बड़ा भारी धक्का लगेगा। और विदेशों में देश का नाम बदनाम होगा। आगरा एक पर्यटक स्थान होने के नाते से मैं शासन से मांग करता हूं कि दोषी बलात्कारियों को तुरन्त गिरफ्तार करके जेल भेजा जाय ? और कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनारावृत्ति न हो सके।

देवरिया जिले के थानाध्यक्ष, बिशुनपुरा द्वारा ग्राम भगड़ा में श्री चोकट गोनिया के घर लूट-पाट तथा कत्ल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, जिला देवरिया थाना तुर्क पट्टी ग्राम झगड़ा में 29-7-80 को थानाध्यक्ष, पटरेवा श्री डी0 एन0 राय के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बिशुनापुरा तुर्क पट्टी 40-50

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिपाहियों के साथ चोकट गोनिया के घर में घुस कर भीखम गोगिया ग्राम सोमवरसा गोनिया पट्टी जो छोटे लाल पुलिस सब इन्सपेक्टर के कत्ल में तथा कथित मुलजिम हैं की तलाश करने लगे। चोकट गोनिया ने घर में घुसने का एतराज किया जिस पर तीनों थानाध्यक्षों ने चोकट गोनिया पर लाठियों की वर्षा शुरू कर दी जिसमें चोकट गोनिया लहुलुहान हो कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लड़की जो गर्भवती थी बचाने दौड़ी तो उसे भी बुरी तरह से पीटा गया तथा उसके घर का सारा सामान जैसे नकद रूपया, जेवरात, बर्तन, कपड़ा आदि पुलिस वालों ने लूट लिया। तत्पश्चात चोकट गोनिया को घसीटते थाना तुर्क पट्टी ले गए। रास्ते में ही चोकट गोनिया की मृत्यु हो गई तथा उसकी लड़की की हालत चिन्ताजनक है।

देवरिया जनपद के गांव सोनबरसा गोनिया पट्टी पुलिस जुल्म ज्यादती एवं अत्याचार से वीरान पड़ा है। गांव तथा आस-पास के गांव के पुरुष तथा स्त्रियां गांव छोड़ कर भाग गए हैं। वहां पर थानाध्यक्ष, टी0एन0 राय नंगा नाच करवा रहा है। गांव के दुधारू पशुओं तथा बैलों को पुलिस वाले अपना मान कर बेच दे रहे हैं। उनके घरों के सामान को बेच रहे हैं। गांव वालों के रिस्तेदारों से अब तक पचासों हजार रुपया वसूला जा चुका है। उस इलाके के आम लोगों में चर्चा है कि श्री टी0 एन0 राय, थानाध्यक्ष ने छोटे लाल यादव पुलिस सब इन्सपेक्टर को जानबूझ कर मरवाया है। अपने कुकर्मों पर परदा डालने हेतु अत्याचार कर रहा है।

अतः आज मैं आप की आज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी से चोकट गोनिया के कातिलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही एवं ग्राम सोनबरसा के लोगों की हिफाजत की मांग करता हूं।

प्रदेश के दुग्ध विकास विभाग के डेरियों में घाटे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुख्तार अनीस——

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग और उससे संबंधित डेरियां घाटे का शिकार हैं। लगभग दो करोड़ रुपया प्रतिदिन का डेरियों से घाटा हो रहा है। आपरेशन फ्लड स्कीम में मेरठ और वाराणसी में एक-एक लाख लीटर दूध की क्षमता की डेरियां बनाई गई हैं? वाराणसी की डेरी 3 करोड़ रुपये में बनी है और बहुत विशाल है। किन्तु एक लाख लीटर दूध के बजाय कुल 10,000 लीटर दूध उस में खपता है। मेरठ की डेरी भी एक लाख लीटर दूध की है और उसमें भी 30 हजार लीटर से ज्यादा दूध नहीं आ पाता है। इन दोनों डेरियों से ही राज्य सरकार को तीस लाख रुपये रोज का घाटा हो रहा है। लखनऊ की डेरी साठ हजार लीटर क्षमता की है किन्तु दस हजार लीटर दूध ही खप पाता है। इस डेरी में भी लाखों रुपये का घाटा है। कानपुर, आगरा, इलाहाबाद और अन्य डेरियां भयंकर घाटे में चल रही हैं। मैं इस पर अविलम्ब शासन से ध्यान देने की मांग करता हूं।

अतः इस अविलम्बनय लोक महत्व के विषय की सुधार हेतु शासन से मांग करता हूं।

कानपुर के केसा कर्मचारियों द्वारा सदस्य विधान सभा, श्री विलायती राम कत्याल के घर पर हमले केसम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विलायती राम कत्याल——

मान्यवर, केसा (कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन) के एक कर्मचारी द्वारा मेरे पड़ोस के एक उपभोक्ता से रिश्वत की मांग किए जाने और क्षेत्रीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विलायती राम कत्याल]

पुलिस की सहायता से मेरे द्वारा हस्ताक्षर युक्त दस-दस रुपये के दो नोट लिये जाने के उपरान्त रंगे हाथों पकड़े जाने पर केसा प्रशासन द्वारा मेरे विरुद्ध दिनांक 1 अगस्त, 1980 को एक सुनियोजित षड़यंत्र रचा गया।

केसा के अधिकारियों ने उपरोक्त दिवस कुछ कर्मचारियों को मेरे विरुद्ध भड़क कर तथा 6–7 ट्रकों में भर कर मेरे निवास पर भेजा गया। मेरी अनुपस्थिति में एक सुनियोजित हमला, गुण्डा गर्दी की गयी, गाली गलौज पथराव किया गया, पूरी बिल्डिग व मेरे निवास के पास स्थित गुरुद्वारा के बिजली के तार काट डाले गये, मीटर उखाड़ डाले गये। योजना तो यह थी कि मुझे इस तरह आतंकित किया जाय ताकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई भी जनप्रतिनिधि भविष्य में अपनी आवाज न उठा सके। परन्तु क्षेत्रीय नागरिकों ने संगठित होकर इस मामले का प्रतिरोध किया, 2 ट्रकों व 6 व्यक्तियों को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द किया व अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान विरोध स्वरूप बन्द रखे।

यह सारा काण्ड योजना बद्ध तरीके से होता रहा और शहर का प्रशासन इस सब से बेखबर रहा। इस प्रकार की घटनाएं होना केसा के भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का अधिकार प्राप्त करने के षडयंत्र की बू आती है।

मैं उपरोक्त घटना की सूचना सरकार को अपनी ओर से प्रेषित कर रहा हूं ताकि इस संबंध में शीघ्र उचित कार्यवाही हो सके।

सिनेमा जगत के प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी के निधन तथा उर्दू जगत के प्रसिद्ध शायर श्री रघुपति सहाय 'फिराक' के चिरायु होने से सम्बन्धित प्रस्ताव लाए जाने की मांग

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस माननीय सदन में बहुत से ऐसे लोगों को श्रद्धांजलियां दी जाती हैं जो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इसी तरह से सिनेमा जगत के प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी का कल परसों देहावसान हो गया। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि आप माननीय नेता सदन से बात करके उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें तो यह एक अच्छी बात होगी।

मेरा दूसरा निवेदन भी मान्यवर, सुन लें ....

श्री अध्यक्ष—

आपको पहले इस चीज को मेरे संज्ञान में लाना चाहिए था....

आप तो वक्तव्य दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। एक व्यक्ति जो उर्दू जगत के प्रसिद्ध शायर श्री रघुपति सहाय 'फिराक' बहुत बीमार हैं। हम चाहते हैं वे चिरायु हों, हम सब उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मान्यवर, हम चाहते हैं कि शासन उनके स्वस्थ होने के लिये सारी सुविधा उन्हें वहां पर उपलब्ध करायें।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न आपने उठाये हैं उनके सम्बन्ध में नेता सदन की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिये था और उसके बाद आप कह सकते थे...

श्री मुख्तार अनीस—

अब तो प्रस्ताव आ गया, उसके सम्बन्ध में आश्वासन मिलना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

एक मिनट मुझे भी समय मिलना चाहिए....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना

[12 बजकर 32 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर ने अपने तार दिनांक 3-8-80, जो इस सचिवालय में दिनांक 4-8-80 को प्राप्त हुआ है, में सूचित किया है कि श्री काजी मोहीउद्दीन, सदस्य, विधान सभा, सहारनपुर को दिनांक 1 अगस्त, 1980 को अपराह्न के 3-45 बजे रुड़की में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इस समय रुड़की जेल में रखा गया है।

परगना मजिस्ट्रेट, उरई, जिला जालौन ने अपने पत्र दिनांक 4-8-80, जो इस सचिवालय में 5 अगस्त, 1980 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में उन्होंने यह निदेश देना अपना कर्त्तव्य समझा कि श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा को निरुद्ध किया जाय। तदनुसार श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा को 4 अगस्त, 1980 को दिन के साढ़े बारह बजे बन्दी कर लिया गया और उन्हें उरई कारागार में 14 दिन के रिमान्ड पर जेल रवाना कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के टेलीप्रिंटर मेसेज दिनांक 4 अगस्त, 1980, जो 4 अगस्त, 1980 को ही इस सचिवालय में प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री दिवाकर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत 4 अगस्त, 1980 को अपराह्न के 1 बजे गिरफ्तार किया गया और उन्हें परगना मजिस्ट्रेट, बांसी के आदेश के अन्तर्गत 6 अगस्त, 1980 तक के लिये जिला जेल, बांसी में रिमान्ड पर रखा गया है। श्री सिंह ने वैयक्तिक बन्ध देने से इनकार कर दिया।

एक सदस्य--

एक मिनट का समय दे दें।

अध्यक्ष--

किस नियम के अन्तर्गत ?

आज विशेषाधिकार की कोई सूचना नहीं है। अब मैं मद संख्या पांच लेता हूं।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 अगस्त, 1980 की बैठक में सदन के 5 अगस्त, 1980 से 17 सितम्बर, 1980 तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं--

मंगलवार, 5 अगस्त, 1980	(1) अपराह्न 5 बजे तक-- वित्तीय वर्ष 1980-81 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा, (2) अपराह्न 5 बजे से-- जून, 1980 में बागपत में पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों की कथित हत्या एवं एक महिला के साथ कथित दुराचार किये जाने से उत्पन्न

[श्री अध्यक्ष]	स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रियासत हुसेन तथा श्री मोहन सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर 75 मिनट की अग्रेतर चर्चा।
बुधवार, 6 अगस्त, 1980	(1) अपराह्न 5 बजे तक—— वित्तीय वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। (2) अपराह्न 5 बजे से—— उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।
गुरुवार, 7 अगस्त, 1980	प्रदेश की प्रमुख नदियों में आयी बाढ़ के संबंध में श्री रियासत हुसैन तथा श्री राम आसरे वर्मा की नियम 52 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना के आधार पर चर्चा।
शुक्रवार, 8 अगस्त, 1980 से रविवार, 17 अगस्त, 1980 तक	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 18 अगस्त, 1980 और मंगलवार, 19 अगस्त, 1980	वित्तीय वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
बुधवार, 20 अगस्त, 1980 से शनिवार 23 अगस्त, 1980 तक	वित्तीय वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
रविवार, 24 अगस्त, 1980	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 25 अगस्त, 1980 से गुरुवार, 28 अगस्त, 1980 तक	वित्तीय वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
शुक्रवार, 29 अगस्त, 1980	असरकारी कार्य।
शनिवार, 30 अगस्त, 1980 से मंगलवार, 2 सितम्बर, 1980 तक	बैठक नहीं होगी।
बुधवार, 3 सितम्बर, 1980 से शनिवार, 6 सितम्बर, 1980 तक	वित्तीय वर्ष 1980–81 के आय व्ययक की मांगों पर मतदान।
रविवार, 7 सितम्बर, 1980	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 8 सितम्बर, 1980 से गुरुवार, 11 सितम्बर, 1980 तक	वित्तीय वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
शुक्रवार, 12 सितम्बर, 1980	असरकारी कार्य।
शनिवार, 13 सितम्बर, 1980 और रविवार, 14 सितम्बर, 1980	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 15 सितम्बर, 1980 और मंगलवार, 16 सितम्बर, 1980	वित्तीय वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
बुधवार, 17 सितम्बर, 1980	(1) 4 बजे अपराह्न तक—— वित्तीय वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।

(2) 4 बजे अपराह्न से—
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—
मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशे से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[12.37 मिनट]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—
आज मेरे समक्ष नियम 56 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई जो सभी अस्वीकार हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव के इस्तीफे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव द्वारा जो सूचना दी थी उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव के संबंध में ह जिन परिस्थितियों में उन्होंने त्याग-पत्र दिया है वह लोकतंत्र के लिए कलंक है और हमारे संविधान का उल्लंघन करता है। यह बात साफ हो चुकी है कि राज्य सरकार के संकेत पर राष्ट्रपति द्वारा उनके बारे में जांच की गयी जो किसी भी न्यायाधीश के लिए अत्यन्त अपमानजनक और निंदनीय है । किस तरह से उन्होंने त्याग पत्र दिया है । इससे हमारे संपूर्ण प्रदेश की न्यायपालिका को अपमानित होना पड़ा है। इस पर चर्चा आप करा दें। आप शंका उठा सकते हैं कि इसका संबंध प्रदेश से नहीं है.....

(व्यवधान)

श्री श्रीकृष्ण गोयल—
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त से) पहले उनका व्यवस्था का प्रश्न सुन लूं।

श्री श्री कृष्ण गोयल—
जब आपने व्यवस्था दे दी है उसके बाद माननीय सदस्य को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
आपकी व्यवस्था मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा था....

एक सदस्य—
मैंने भी नियम 56 में एक सूचना दी थी, इलाहाबाद में .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

गोयल जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है--मेरे निर्णय के बाद अगर कोई सदस्य कुछ कहना चाहता है और मैं उसको कहने का अवसर देता हूं, तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं यह कह रहा था....

श्री अध्यक्ष--

आप बिलकुल संक्षेप में कह दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ठीक है। इस तरह की उनके बारे में रोज जांच, रोज पड़ताल, रोज टोका जाना तमाम इस प्रकार के उनके विरुद्ध कार्य किये गये कि वह अपना काम करने में बिलकुल असमर्थ हो गये और उनको इस्तीफा देने के लिए विवश होना पड़ा। सरकार के बाहर उनके कार्य में हस्तक्षेप किया गया। उनके इस कदम से लोकतंत्र को बहुत बड़ा आघात लगा है। अब प्रश्न यह उठेगा कि इससे राज्य सरकार का कैसे सम्बन्ध है। उसके बारे में मैं तीन तर्क देना चाहता हूं। सबसे पहला तर्क यह है कि न्यायाधीश का वेतन और भत्ते हमारे बजट से दिये जाते हैं, विधान सभा उसको तय करती है। इसलिए विधान सभा उस पर विचार करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। दूसरी बात यह है कि संविधान का आर्टिकिल 224 और यह आर्टिकल 217 जो उनकी नियुक्तियों के बारे में है, उसके अनुसार इस प्रदेश के राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। हमारे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति का इस तरह से अपमान किया गया है। एक यह भी बात है कि राष्ट्रपति द्वारा जो किया गया, उसको राज्य सरकार की ओर से इनिशिएट किया गया। राज्य सरकार ने एक पत्र राष्ट्रपति को लिखा था और कहा था कि उनके खिलाफ इस तरह की जांच की जायं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के कार्यों से आज फिर आपातकालीन वातावरण व्याप्त हो गया है और सम्पूर्ण न्यायपालिका डिमारलाईज हो गई है। इसे आप स्वीकार करते तो हमें विस्तार से इस पर चर्चा करने का अवसर मिलता, हम इस के लिए सरकार की निन्दा करते ताकि हमारे प्रदेश में हर न्यायाधीश अपने सम्मान के साथ काम कर सकता। इन शब्दों के साथ....

श्री मुख्तार अनीस--

नियम 52 में मैंने भी दिया है।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी मैंने नियम 56 में एक प्रस्ताव दिया है, लेकिन राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रस्ताव दिया है, वह बहुत ही गंभीर है। मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। इस पर आपने अपना निर्णय दे दिया है, लेकिन मैं आपसे पुनः विचार के लिए निवेदन करना चाहता हूं। न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव राजनारायण जी के मुकदमे में श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ वकील थे, उसमें वह एक ऐतिहासिक जजमेंट हुआ। उसमें किसी ईर्ष्या के कारण उनको मजबूर किया गया इस्तीफा देने के लिए। इसका कारण वहां से आता है--रिपोर्ट उनके खिलाफ बनाई गई। यह दुख की बात है कि [× × × ×]

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट [**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं श्री राज्यपाल के सम्बन्ध में यहां कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं, यह इनके बारे में कहने का स्थान नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

ठीक है, उसको आप काट दीजिए। मेरा कहने का फर्ज है इसलिए कह रहा हूं। यहां से एक रिपोर्ट गई। पोलिटिकल सेप्टिब्लिटी इनकी नीति है, जो नहीं होनी चाहिये 4 माह का इनको एक्सटेशन देने की बात थी, लेकिन उसके विपरीत यह सब हुआ। यह बड़ा गम्भीर मामला है। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी कि किसी भी हाईकोर्ट के जज को, जिसकी 2 साल पहले नियुक्ति हुई हो, इस तरह से हटने के लिए मजबूर किया गया हो और फिर इसलिए किया गया हो कि वह अपने देश की प्रधान मंत्री के खिलाफ किसी मुकदमे में वकील रहा हो। मैं चाहूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें।

मान्यवर, बड़ा ही अहम मसला है। आप इस पर पुनर्विचार कर लें।

(श्री फखरे आलम के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप एक दल के उपनेता हैं। जब आपके नेता विरोधी दल बोल रहे हों तो आप उनको तो मान्यता दें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। यह माना कि नियमावली के नियम 56 में बड़े स्पेशल केसेज आते हैं लेकिन अगर ऐसे गम्भीर मामले पर भी इसका उपयोग नहीं होगा तो फिर वे कौन से मसले होंगे जो इस नियम में लिए जायेंगे, विचार करने के लिए। श्रीमन्, आप इस प्रश्न पर विचार कर लें, यह अत्यन्त आवश्यक है। मेरी भी प्रार्थना है कि इसकी ग्राह्यता पर आप पुनर्विचार करके अपना निर्णय दें।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, यह मामला बहुत ही गम्भीर है जिसके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का इन्साफ निर्भय करता है। अगर इस तरह से हाई कोर्ट के जज को अपने पद से हटाया जायगा तो फिर इन्साफ कहां पर हुआ करेगा ?

(व्यवधान)

जब हमारी जुडिशियरी में इस प्रकार से इन्टरफियरेन्स होगा, तो इन्साफ कैसे होगा।

(व्यवधान)

*श्री कैलाश टंडन--

मान्यवर, ये न्यायपालिका के खिलाफ गलत बात कह रहे हैं। (व्यवधान) मैं इलाहाबाद गया था। (व्यवधान) उनको हटाया नहीं गया है। ये गलत सूचना देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये यहां पर गलत बात कह कर गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। (व्यवधान)। अगर हमें बोलने नहीं दिया जायेगा तो हम भी इन्हें बोलने नहीं देंगे।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के अपने-अपने स्थानों पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुन तो लें ?

श्री अध्यक्ष--

मेरे खड़े होने पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

माननीय सदस्य ने अभी जिस तरह से मेरे बिना कहे हुए और आपसे जिस तरह से अपनी-अपनी अभिव्यक्तियां की है और किसी बात को ध्यान में न रखकर की है, यह उचित नहीं है।

विवाद कैसा भी हो लेकिन वह मर्यादित ढंग से होना चाहिए। यह स्थान है ही केवल विवाद के लिये। हर एक के अपने-अपने विचार अलग-अलग होते हैं, उनको यहां सुनना चाहिये और विवाद मर्यादित ढंग से होना चाहिये। जब मर्यादित ढंग से विवाद होगा तभी इस सदन की मर्यादा बढ़ेगी। इस विषय पर कुछ माननीय सदस्य कहना चाहते हैं। वे अपनी बात केवल इस प्रश्न की ग्राह्यता तक ही सीमित रखें, इसके गुण दोषों पर कुछ कहने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। केवल ग्राह्यता पर ही आप लोग कृपया बोलें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष--

इस समय, मेरे बोलने के पश्चात, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। मैंने श्री फखरे आलम को बुलाया है। आप कृपया बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

आपको सुनना ही पड़ेगा, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मैं कतई नहीं सुनूंगा, आप बैठिये।

श्री फखरे आलम--

मैं यह अर्ज कह रहा था कि अगर हायर जुडिशियरी पर इस तरह से यह लोग दखल देने लगे और उनके हुकुम पर....

(शोर व्यवधान)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, इस विषय पर माननीय सदस्य ने अपनी बातें कहीं और उसको देखते हुये, उस पर बोलते हुए, माननीय सदस्य ने एक माननीय जज साहब के बारे में भी टीका टिप्पणी की.....(व्यवधान) मैं संविधान के अनुच्छेद 211 की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जो इस प्रकार है--

211 "No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties"

211--उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य पालन में किए गये आचरण के विषय में राज्य के विधान मण्डल में कोई चर्चा न होगी।

अगर इस मामले को आप लेते हैं और इस पर चर्चा के लिये समय देते हैं तो जो जज साहब हैं उनके बारे में यहां टीका टिप्पणी होगी। इसलिये अनुच्छेद 211 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा की अनुमति यहां नहीं दी जा सकती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय फखरे आलम को मैंने बुलाया था, पहले इनको बोलने दीजिये।

*श्री फखरे आलम--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल 211 का जिक्र किया, वह उस चीज को रोकता है कि--

211 "No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or a of High Court in the discharge of his duties."

"211-- उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में राज्य विधान मण्डल में कोई चर्चा न होगी।" हम किसी भी हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट या डिस्चार्ज आफड्यूटीज के संबंध में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बल्कि उन सर्कमस्टांसेज के बारे में विचार किया जा रहा है जिन हालात में उनको मजबूर किया गया कि वह त्यागपत्र दें....

श्री अध्यक्ष--

यह इस सदन का विषय कैसे है, केवल इतना आप बताइये।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, यह इसलिए जरूरी है कि उनको हाई कोर्ट के जितने एलाउन्सेज हैं वह स्टेट प्रासेस से दिये जाते हैं और यह स्टेट के थ्रू हुआ है ? इसलिये हमें इस पर डिस्कशन करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

राजेन्द्र कुमार जी इस बात को कह चुके हैं, जो आप कह रहे हैं। अब आप बैठें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने तो विनम्रतापूर्वक एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि हम बोलने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह सदन नहीं चलेगा, (व्यवधान) फिर सत्ता पक्ष के लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया, आपने कहा कि हम बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आपकी अनुमति के बिना चाहे मैं बोलूं या कोई भी बोलेगा, क्या वह कार्यवाही का अंग बनेगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने ग्राह्यता पर काफी सुन लिया।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये आप ग्राह्यता के प्रश्न पर मुझे नहीं बोलने देना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

नियम के प्रतिकूल कभी मैं आपको कोई अवसर नहीं दूंगा और जहां नियम के अन्दर होगा, मैं आपको सदैव अवसर दूंगा । कृपया इस बात को ध्यान में रखें ।

मैं केवल यहां नियमों के पालन के लिए आया हूं और कभी यह आप विश्वास न करें कि कोई माननीय सदस्य ज्यादा तेज बोलकर समय ले लेगें अगर यहां इसी तरह से शोर होता रहा तो निश्चित रूप से सदन सही तरीके से हीं चल सकेगा । माननीय ओझा जी ने अपनी बात उस समय उठायी है जबकि एक सदस्य इस विषय पर पहले से बोल रहे है और वह सदस्य जब तक बोल रहे है, आपको नहीं बोलना चाहिए और जो मेरी आज्ञा के बिना बोलेगा निश्चित ही उसकी बात कार्यवाही में नहीं आयेगी और अगर आ भी गयी होगी तो मैं बाद में उसे दिखवा कर निकलवा दूंगा । मैने ग्राह्यता के प्रश्न पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री फखरे आलम साहब को अवसर दिया ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, दो मिनट का समय मुझे भी दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया अभी बैठें । अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुयी है और आप भी खड़े हो गये । आप तो पुराने सदस्य है और आप ही पुराने लोगों से मैं भी सीखता हूं ।

मैनें श्री राजेन्द्र कुमार जी को अवसर दिया क्योंकि वह नियमों के अच्छे ज्ञाता है और फखरे आलम साहब को भी मौका दिया क्योंकि वह भी एडवोकेट हैं और नियमों को वह भी जानने वाले हैं और इस ओर से माननीय न्यायमंत्री जी को भी सुना । अब इस पर कौन बाकी है । इसलिए अब मैं इधर से भी केवल एक माननीय सदस्य को बुलाये लेता हूं और शासन पक्ष से माननीय न्याय मंत्री जी बोल ही चुके हैं ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव जो जज थे, उनसे 3 स्पष्टीकरण मांगे गये ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न आपका ग्राह्य कैसे है ?

श्री मुख्तार अनीस--

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो थे उनकी नियुक्ति से पहले

(शोर)

(श्री कैलाश टंडन खड़े होकर बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय टण्डन जी, कृपया आप बैठ जाएं ।

*श्री मुख्तार अनीस--

जैसा कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और फखरे आलम साहब ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बजट से उनको वेतन मिलता था और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल संस्तुति करते है केन्द्र सरकार को, किसी जज की नियुक्ति करने के लिए । मैं कह रहा था कि क्या सरकार ने यह भी संस्तुति की थी कि एक निष्पक्ष जज, जब एक जज बैठता है अपनी कुर्सी पर, उसके बैठने से पूर्व, उसकी नियुक्ति से पूर्व उससे 3 प्रश्न पूछे गये कि आप कभी सोशलिस्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पार्टी के मेम्बर रहे हैं और दूसरी यह कि आपके पास राजनारायण के फोन क्यों आते हैं और तीसरी बात यह कि आपसे कौन कौन लोग मिलने आते हैं। यह मान्यवर, किसी भी नागरिक के अधिकारों का खुला हनन है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सरासर गलत है।

(व्यवधान)

*श्री मोहन सिंह—

ऐसे लोगों से आप सदन चलाना चाहते हैं, श्री टंडन जी तो सदन की कार्यवाही चलने ही नहीं देंगे। ऐसे लोगों से मान्यवर, सदन नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

(श्री कैलाश टंडन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय टंडन जी, आप बैठें।

(व्यवधान)

अगर सदन इस तरह से चलता है तो मैं इस तरह से सदन नहीं चलाना चाहूंगा। सदन यदि सदन की तरह चलेगा तो चलाऊंगा नहीं तो सदन चलाने की मेरे लिये आवश्यकता नहीं है।

(तालियों की आवाज)

*श्री ऊदल—

मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, बैठा हूं। आपकी बात सुन रहा हूं और माननीय सदस्यों की। क्यों सदन नहीं चलेगा मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी तरह की कोई माननीय सदस्य अनुशासनहीनता करता है आपकी आज्ञा के खिलाफ तो आप इंगित क्यों नहीं करतें, यह मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं किसे अधिकार हासिल है कि वह यह कहें कि वह सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। तीसरा प्रश्न मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत गलत बात है, संसदीय परम्पराओं के खिलाफ बात है। मैं आपकी इस बात को प्रोटेस्ट करता हूं कि सदन नहीं चलायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जो व्यवस्था का प्रश्न ओझा जी ने उठाया था पुनः उसी को आपने उठाया है।

श्री ऊदल—

दूसरा उठाया है उसको नहीं उठाया है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें। आपने वही प्रश्न फिर उठाया है कि कोई सदस्य यह नहीं कह सकता है कि सदन नहीं चलने देंगे। मैं आप से कहना चाहता हूं कि मैंने उस बार भी कहा, इस बार भी कह रहा हूं कि अगर कोई सदस्य कहे कि सदन नहीं चलने दूंगा तो यह अनुचित है और ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है और दूसरी बात आपने यह कही कि इंगित करने की कही मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यों को कैसे दंडित करें, मेरे लिये सबसे अधिक दुख की बात है और सबसे अधिक दुख की बात जब मैं कभी करना चाहूंगा जब ऐसा करना मेरी मजबूरी हो गई हो।

*श्री मुख्तार अनीस—

यह निर्णय लिया गया था सन् 1977 में कि इलाहाबाद न्यायालय का काम व जज मेंट हिन्दी में दिया जायेगा। 1977 का निर्णय था कि जजमेंट हिन्दी में दिया जायेगा, यह निर्णय हो चुका था। और केन्द्र सरकार ने यह नियम बनाया कि जजों

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस]
के तबादले किये जायेंगे श्री श्रीवास्तव ने केन्द्र सरकार की इस बात पर सहमति नहीं दी। उनका कहना था कि अगर जजों का तबादला इस प्रकार करेंगे तो जब तामिलनाडु का जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आयेगा। वह हिन्दी में जजमेंट नहीं दे सकता। यह सरकार लोकभाषा, जनभाषा हिन्दी के विरोध में काम कर रही है। यह मामला गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष--

यह आप ग्राह्यता पर कह रहे हैं ?

श्री मुख्तार अनीस--

उन्होंने इसका विरोध किया और उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस प्रशासन श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव के घर को घेरे हुये है। उनके घर पर जब से आपकी सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार की सी0 आई0 डी0 लगी है।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरिट पर कह रहे हैं। आप संक्षेप में कहिये।

श्री मुख्तार अनीस--

उत्तर प्रदेश के जजों के घरों के सामने सी0 आई0 डी0 नियुक्त करें उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाय, उनके घर आने जाने वालों पर निगरानी रखी जाय तो मान्यवर, मैं कहता हूं कि इस पर आज चर्चा होनी चाहिये और इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिये। मान्यवर, इसके पहले राजनीतिक जज बने थे सी0 पी0 एन0 सिंह जो मुख्य मंत्री के भाई हैं उनको तथा श्री अय्यर को जज बनाया गया था।

श्री अध्यक्ष--

यह आप मेरिट पर जा रहे हैं।

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुख्तार अनीस--

पहली बात सरकारी खजाने से वेतन मिलता है। श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव का कहना है कि निरन्तर उनके ऊपर पहरेदारी होती थी। तीसरी बात हाईकोर्ट इलाहाबाद के जजमेंट हिन्दी में हों, इसके रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से मिल कर यह षडयंत्र रचा है। मैं इसकी निन्दा करता हूं और मांग करता हूं कि इसके ऊपर आज बहस करवा लें।

एक सदस्य--

इसमें इस समय कोई सवाल ग्राह्यता का पैदा नहीं हुआ है.....

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई सवाल ग्राह्यता का पैदा नहीं हुआ तो आप कृपया बैठें।

*श्री दल गंजन सिंह--

संविधान में कहीं नहीं है कि हाई कोर्ट के जजेज के संबंध में यहां बहस हो सकती है। दो--इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश इस सदन के जुरिस्डिक्शन में है, तीसरा संविधान में जो बात की गयी है वह केवल सिटिंग जजेज के लिये की गयी है तथा श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव हाई कोर्ट से इस्तीफा दे चुके हैं। वह इस समय जज नहीं हैं और उनके इस्तीफे के जो कारण पैदा हुए जैसे एक उन्होंने ला-मिनिस्टर को पत्र लिखा कि हमको इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि यू0 पी0 सरकार के कुछ लोग मेरे बंगले के आस-पास, मेरे चैम्बर के आस-पास और कोर्ट रूम के आस-पास संदिग्ध अवस्था में देखे गये।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब मैंने ग्राह्यता के संबंध में दोनों पक्षों को सुन लिया। अब मैं इस पर निर्णय देना चाहता हूं। कृपया इस को धैर्य पूर्वक सुनें। नियम 56 में एक प्रस्ताव आया और नियम 56 में उसे अस्वीकार किया गया। इसके बाद फिर ....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, केवल एक सेन्टेन्स सुन लें। मेरा सुझाव है, मेरी प्रार्थना है कि इस पर चर्चा अत्यन्त आवश्यक है। नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा अवश्य करा दें। इससे जनता के सामने सारे विचार आ जायेंगे।

श्री मुख्तार अनीस--

52 में यह स्वीकार कर लें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

मैं कुछ कहने के पहले आपको संविधान के अनुच्छेद 217 को सुनाना चाहता हूं--"भारत के मुख्य न्यायाधिपति से उस राज्य के राज्यपाल से तथा मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले।"

इसके बाद कुछ शर्तें हैं और अनुच्छेद 211 में जैसा कि अभी माननीय न्याय मंत्री ने कहा "उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य-पालन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधान मण्डल में कोई चर्चा न होगी।" माननीय सदस्यों ने दो बातें मुख्य रूप से ग्राह्यता के सम्बन्ध में कहीं। एक बात तो यह कही कि उनका वेतन जो होता है वह प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि उनकी नियुक्ति राज्यपाल की राय से होती है। इसलिए यह विषय यहां ग्राह्य है और इसलिए इस विषय पर यहां चर्चा हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको संविधान का अनुच्छेद 217 पढ़कर सुनाया उसमें यह है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की राय से। राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के विषय में यह सदन चर्चा करने का अधिकारी नहीं है। जहां तक वेतन देने का सम्बन्ध है, वेतन उनका भारित होता है सदन उनके वेतन पर मतदान नहीं करता है। ऐसी दशा में हम इस विषय पर यहां चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए मेरा यह निश्चित मत है कि इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। (तालियों की आवाजें)

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, आपका निर्णय शिरोधार्य करते हुए हम अपने दल के साथ सदन त्याग करते हैं।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन को त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री श्याम नारायन तिवारी को छोड़कर विरोध पक्ष के अन्य सदस्य भी सदन से उठ कर चले गये।)

[समय 1 बजकर 17 मिनट]

1980–81 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष––

अब मैं मद संख्या 8 पर आता हूं । वित्तीय वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। अब इस पर सामान्य विवाद होगा। जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हों, सामान्य विवाद में भाग लेना चाहते हों व ह खड़े होने का कष्ट करें।

श्री खुदादीन अन्सारी––

माननीय अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। निश्चय ही यह बजट प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने वाला है । इससे मेरा विश्वास है प्रदेश का बहुमुखी विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस प्रदेश के पूर्वान्चल में बसे हुए जनपद, सबसे गरीब जनपद, पिछड़े हुए जनपद देवरिया की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां पर आज बेकारी, भुखमरी अपना ताण्डव नृत्य कर रही है, जहां बाढ़ की चपेट में कई सौ गांव, कई सौ घर ध्वस्त हो गये हैं, लोग बेघर हो गये हैं। लोगों की दशा, मवेशियों की हालत देखकर निश्चय ही आपका हृदय द्रवित हो जायेगा। छोटी गंडक, बड़ी गंडक, घाघरा, नारायनी, झरसी, टेढ़िया, घघरी, सोनभद्र तथा खन्दुआ आदि नदियों ने अपना भयंकर रूप धारण कर लिया है । इन बाढ़ की विभीषिका से कहीं कहीं गांव के गांव बह गये हैं ।

जिला देवरिया में गन्ना अनुसंधान केन्द्र स्व0 बाबू गेंदा सिंह जी ने कांग्रेस गवर्नमेंट में खुलवाया था । देखने की बात है कि उस केन्द्र में हजारों युवकों को नौकरी दी जायगी। वहां प्रायः पश्चिमी जिले के युवकों को ही नौकरियां दी जाती हैं। देवरिया जिले के जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं उनको वहां नौकरियां में वरीयता नहीं दी जाती है जबकि वह जिला सबसे गरीब जिला है । मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस जिले में कुछ स्कूल हैं, ऐसे विद्यालय हैं जिन में पढ़ाई नहीं हो पा रही है । किसी भी विद्यालय के नियत समय पर खोलने का कार्य नहीं हो पा रहा है । हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी पाठशालाओं तक की व्यवस्था पर तो जिला विद्यालय निरीक्षक कोई ध्यान ही नहीं देते । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां शिक्षा सचिव श्री जी0 के0 अरोरा है और देवरिया में जो एलूमिनियम फैक्ट्री है उसके मालिक जो अरोरा हैं । इन दोनों लोगों की साठ-गांठ और मिली भगत से सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है । जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यलय डेढ़ सौ रु0 महीने किराये के बजाये 15 सौ रुपये महीने पर ले जाने की योजना है । 15 सौ रुपये महीने का मुआवजा सरकार से ले ने की साजिश है। यह यहां जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गौरी शंकर की वजह से हो रहा है। सचिव श्री अरोरा साहब भी खुले तौर से उसकी मदद कर रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि जिला देवरिया के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसकी जाँच विजीलेंस से कराई जाये कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का स्थानान्तरण दूसरी जगह किए जाने के प्रयत्न का क्या कारण है ? जब भी श्री गौरी शंकर के संबंध में कोई शिकायत पहुंच जाती है तो श्री अरोरा साहब उसको टाल देते हैं उनकी मिलीभगत रही है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस तरफ खास तौर से जांच करायी जाय जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में पहुंचने के बाद प्रिंसिपल और दूसरे गुरुजन लोग क्लर्क के सामने हांथ बांध कर गिड़गिड़ाते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती । इसकी खुली जांच करा ली जाय और अपराधियों को दंडित किया जाय ।

† 4 अगस्त, 1980 की कार्यवाही से ।

श्रीमन्, जिला देवरिया प्रत्येक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जनपद है जहां उद्योग धंधों की कमी के कारण युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नेपाल की सरहद और बिहार का सरहद से लगा होने के कारण क्रिमिनल और अवांछनीय तत्व वहां आ रहे हैं। अभी विरोधी दल के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाथा कि वहां पर पुलिस के आतंक से सोनवरसा के निवासी आतंकित है। परन्तु वास्तविकता यह है कि अराजक तत्वों द्वारा जो बाहरी है सोनबरसा–गोनिया (पट्टी) गांव में छोटे लाल यादव नाम के एक पुलिस सब इन्सपेक्टर का दिनदहाड़े कत्ल कर दिया गया। मुझ पर चुनाव के दौरान इन्हीं अराजक तत्वों ने हमला किया और मेरे सहयोगियों और कांग्रेस जनों की इतनी पिटाई की कि हमारे कई साथी बेहोश हो गये। लोहे के तीरों से छलनी किया गया। इतने भयंकर अपराध हमारे जनपद में बढ़ रहे हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। पुलिस अधिकारी जो वहां पर गये, उन्होंने बड़े जोरदार ढंग से काम शुरू किया और रात दिन एक कर रहे हैं। एक चोकट गोनियां हमारे खास मौसी के गांव का रहने वाला है जो नेपाल और बिहार से भागे हुए क्रिमिनल्स, डकैत और असामाजिक तत्वों अवांछनीय लोगों को पनाह देता था और पनाह दे रहा है। ये वही लोग हैं जो मिलकर लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं और तीर कमान और फरसे और गड़ासे लाठी, बल्लम आदि से लोगों पर हमला करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री छोटे लाल का कत्ल किया और यह कत्ल इन्हीं अवांछनीय लोगों ने कराया। मुझ पर हमला कराया गया और कांग्रेसजनों पर हमला कराया गया, तीर चलाये गये, मारा पीटा गया. दूकाने लूटी गयीं और आज भी दूसरों की जमीनों पर कब्जा करने की बात यह लोग कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह जो घटनायें हमारे यहां हो रही है इससे सारी जनता भयभीत है और त्रसित है। अगर इनकी रोकथाम नहीं की जायगी कि तो सारे जिले के लोग परेशान हो जायेंगे। इनका आतंक इतना बढ़ा हुआ है कि अभी हाल ही में वहां ओम प्रकाश साही. डी0 पी0 सिंह ने रात दिन एक करके और एस0 डी0 एम0 पडरौना ने रात दिन एक करके जरायम पर कंट्रोल करने की कोशिश की तो इन लोगों ने कुछ स्थानीय पेपरों जो इनके लोग चलाते हैं उनमें आवाज उठायी और गलत प्रचार किया और इल्जाम लगाया कि मार पीट करके चोकट गोनियां की जिन्दगी ले ली। चोकट गोनिया एक जबर दस्त अपराधी था। पुलिस वालों को अपने घर में बंद करके इतना मारा कि कपड़े नापाक हो गये, रिवाल्वर छीन लिया। ऐसा आदमी जब मुकाबले में मारा जाता है तो पुलिस जनों को सस्पेंड करने का क्या कारण है यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर ऐसे ही छूट दी गयी तो जनपद देवरिया में हाहाकार मच जायगा और इस कदर भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने जो कहा है उस पर सदन से मेरी प्रार्थना है कि विचार किया जाय।

*श्री ऊदल––

मान्यवर, इतना बड़ा लंबा चौड़ा बजट भाषण मैंने अपने जीवन में न सना और न देखा है। इस बजट भाषण की तुलना में, श्रीमन्, हमारे पूरब में एक कहावत है, ढपोर शंख, एक मांगों तो हजार, 2 हजार मांगो तो एक लाख और एक लाख मांगों तो एक करोड इस तुलना मैं ढपोर शंख से करता हूं। श्रीमन्, इस बजट भाषण के पहले पृष्ठ पर आप देखें तो लिखा हुआ है श्री राज्यपाल के 3 जुलाई, 1980 के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को स्पष्ट किया गया था। सारांश में सरकार के कुछ प्रमुख अंगों इस प्रकार है––ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना. क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना निर्बल वर्ग का उत्थान, अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा कानून, और व्यवस्था की स्थापना, रोजगार के अवसर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

बढ़ाना, स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन, श्रीमन् ऐसा निकम्मा, अकुशल प्रशासन कभी मैंने देखा नहीं है। श्रीमन् इसी पेज पर दूसरे पैरा में लिखा है कि आवाम ने श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस (आई०) के नेतृत्व, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रबल समर्थन प्रदान किया। मैं भी समझता था कि जनता ने प्रबल विश्वास दिया है। यह कंस की सेना की तरह हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय सदस्य से कहिये कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और सही-सही बोलें।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, मैं अशिष्ट भाषा तो बोल नहीं रहा हूं। मैं तो सेना कह रहा हूं, श्रीमन्, इनकी सेना बहुत बड़ी है.....

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

यह कंस की सेना नहीं हो सकती, यह राम की सेना हो सकती है.....

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्रीकृष्ण गोयल पीठासीन हुए।)

श्री ऊदल--

श्रीमन् मैं समझता था कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा शासन पर, लेकिन एसा इम्पैक्ट पड़ा है कि जब यहां गवर्नर का राज्य हुआ तो यह हुआ कि जितने बड़े-बड़े अधिकारी हैं यह बहुत निकम्मे हो गये हैं, शान्ति व्यवस्था खराब है, इसलिये उनका बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया। और अब रोजाना लिस्ट निकल रही है। जिन नकम्मों को हटाया गया था, उन्हीं निकम्मों को अब अच्छी-अच्छी जगहों पर भेजा जा रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम अगर ले लिया जाय तो उसका इनको जबाव भी देना पड़ेगा। श्रीमन्, मुझे बड़ा ताज्जुब है, आप भी इस सदन के बहुत समय से सदस्य रहे हैं और मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, आपको याद होगा कि सन् 72, 73, 74 में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी जिसके द्वारा बहुत से बड़े-बड़े अधिकारियों के नाम यहां से रिकमेंड होकर गये थे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के गृह विभाग के पास, उसमें एक सज्जन थे श्रीमन्, वह आजकल दुर्भाग्य से ही इस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हो गये। सरकार यह कह सकती है कि आई० जी० का पद और चीफ सेक्रेटरी का पद जो है, यह सीनियारिटी के आधार पर नहीं होता है लेकिन उनका चरित्र और पिछला रिकार्ड तो देखा जाएगा कि वह कैसा रहा है? शांति व्यवस्था के बारे में आजकल इस बात की बड़ी चर्चा है कि जातीयता का बोलबाला है।

पहले जनता पार्टी पर इसका आरोप लगाया जाता था, अब उससे ज्यादा लोकदल पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या म जान सकता हूं कि जातीयता आज कितने बड़े पैमाने पर प्रदेश के प्रशासन में पैदा की जा रही है? इसका अंजाम क्या होगा? क्या प्रदेश टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 3 वर्ष के जनता पार्टी के प्रशासन का जबाव मैं 30 मिनट में कैसे दे सकता हूं? उनके राज्य में अगर आप उठाकर देखें, तो कभी ट्रेन में डकैती नहीं पड़ती थी। अंग्रेजों के राज्य को हटाने के लिये मैंने सुना देखा भी कि उनको हटाने के लिये ट्रेन डकैतियां होती थीं जैसे काकोरी और सहजनवां में ट्रेन डकैती हुई। लेकिन आज तो सैकड़ों की संख्या में ट्रेन डकैतियां हो रही हैं और उसमें से आधी हमारे प्रदेश में हैं। जो वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में स्वच्छ प्रशासन और शांति-व्यवस्था की बात करते हैं, मैं उससे जानना चाहता हूं कि इसका कोई जबाव उनके पास है कि कितनी डकैतियां हुई? कितनी चोरियां हुई? कितने कत्ले-आम हो रहे हैं? क्या यही शांति-

व्यवस्था है ? बहराइच में चलती गाड़ी में लुटेरे लूट करके होज पाइप काटकर भाग गये। कलकत्ता से हावड़ा से जो गाड़ी आती है उसमें मुगलसराय के पास दिलदारनगर में 9 जुलाई को एक ही दिन में 3 ट्रेनें लूटी गयीं। और दो हत्यायें हुई। इसी तरह से गोमती एक्सप्रेस जिसमें रेवतीरमण सिंह जो हमारे भूतपूर्व मंत्री थे वह जा रहे थे उसमें डकैती पड़ी। एक और पढ़ने को मिला बाबू जगन्नाथ प्रसाद जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उनकी ट्रेन को लूटा गया। यह शांति व्यवस्था की हालत है आज कि बड़े पैमाने पर बसों और रेलों में डकैतियां पड़ रही हैं। लोगों का चलना मुश्किल है। मैं जान सकता हूं सरकार से कि गवर्नर शासन में कितनी डकैतियां पड़ी ? फिर गवर्नर शासन के बाद जब से इस सरकार का पदार्पण हुआ है तब से कितनी डकैतियां हुई और उससे पहले कितनी डकैतियां पड़ी। बड़े शर्म तथा लज्जा की बात है कि आज हम मुसाफिरों को ट्रेनों तथा बसों में सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते। पुलिस का करिश्मा देखेंगे तो पता चलेगा कितना अत्याचार हो रहा है। पुलिस में जरायम रोक अभियान चलते हैं लेकिन डकैतों से पुलिस वालों की लड़ने की हिम्मत नहीं है।

घरों से पकड़ कर बेकसूर लोगों को लाया जाता है और झूठा एनकाउन्टर दिखलाकर पुरस्कार वितरित किया जाता है। 90 प्रतिशत एन्काउन्टर फर्जी हैं ईनाम लेने के लिये। बीहड़ के डाकुओं के आत्मसमर्पण के सम्बन्ध में सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं का आई0 जी0 के सामने जो बयान हुआ वह छपा है। तीन पुलिस वाले सस्पेंड किये गये। पुलिस वाले बहकाते हैं कि बीहड़ के डाकू गरीबों को नहीं लूटते, अमीरों को लूटते हैं तो उनके बारे में क्यों भेद बतलाते हो ? दूसरी तरफ 2 अगस्त को किच्छा को पुलिस ने तथा सब इन्सपेक्टर ने 3 हरिजनों को बिना किसी अपराध के सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक थाने में बुला कर पीटा। एक ट्रेन डकैती में कुछ लोग पकड़े गये। उक्त लुटेरे बहुत सी डकैतियों में शामिल थे। उन लुटेरों में एक भूतपूर्व पुलिस का सिपाही भी शामिल था। रेल डकैती में एक होमगार्ड भी शामिल था। आप देखेंगे कि इस तरह एक तरफ दस्यु उन्मूलन के नाम पर इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया खर्च किया जाता है और दूसरी तरफ डाकुओं से मिलकर उनको बचाया जाता है। यह सर्वोदयी नेता का चार्ज है। मान्यवर, बाबूनट को गोली से उड़ा दिया जाता है। यह हाथरस में गांव मेढ़का का रहने वाला था। इस संबंध में दो सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला आगरा में थाना नारकी के अन्तर्गत पुलिस चौकी नगला बीच का एक सिपाही रणबीर सिंह तथा उसके एक रिश्तेदार ने मिलकर मालखाने से दो रायफलें, दो मस्त्र तथा बहुत से कारतूसों को चुराया और फिर थाना-ध्यक्ष जब वेतन लेकर आगरा से जा रहे थे तो उनको मारकर छीनना चाहते थे। यह पुलिस में सब बातें आयेंगी। 1 अगस्त, को उरई न्यायालय (प्रथम नगर) में सनसनी उस समय फैल गयी जबकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में समर्पण के लिये आये हुये दो लोगों को पुलिस जबरदस्ती खींचकर ले गयी। यह जनतंत्र की बात आप करते हैं। जनतंत्र में इस प्रकार से कौन विश्वास करेगा कि विधान परिषद् का चेयरमैन पहली बार इतिहास में गवर्नर द्वारा नामिनेट किया गया है। इस विधान सभा में स्पीकर महीनों तक नामिनेट रखा गया है। तो आप जनतंत्र की बात करते हैं। आप सितम्बर में चुनाव की बात करते हैं जो कि संभव नहीं मालूम होती है। तो जो हकीकत है उसको आपको कबूल करना चाहिये।

श्रीमन्, अब यह बात करते हैं कि हम मंहगाई को रोकेंगे। चीनी 8 रुपये किलो बिक रही है और जितनी चीनी है वह सब ब्लैक में जा रही है। इस साल जनवरी से लेकर आज तक 30 प्रतिशत मंहगाई बढ़ी है। मैं चैलेन्ज करता हूं इस सरकार को, कि मंहगाई को आप नहीं रोक पायेंगे और मंहगाई को रोकने का क्या तरीका है उसको बतायें।

[श्री ऊदल —]

मान्यवर, यूरिया खाद की बोरी 75 रुपये में मिल रही थी लेकिन उसकी कीमत 104 रुपये कर दिया। आप कहते हैं कि किसानों को राहत हम पहुंचाना चाहते हैं तो म जानना चाहता हूं कि क्या इसी प्रकार राहत पहुंचायेंगे ? डी0 ए0 पी0 खाद 105 रुपये बोरी मिल रही थी उसकी कीमत बढ़ा दिया और अब वह 157 रुपये बोरी मिल रही है। इसी प्रकार डीजल की कीमत बढ़ा दिया। विद्युत का 15 से 20 प्रतिशत रेट बढ़ा दिया है। आप कहते हैं कि किसानों पर नहीं बढ़ायेंगे लेकिन किसान क्या चक्की का इस्तेमाल नहीं करता है। इसी प्रकार डीजल के कितने पंपिंग सेट चल रहे हैं। इसको मंत्री जी हमारे सामने जो (श्री अम्मार रिजवी) बैठे हैं वह बता दें। हमारे जिगरी मित्रों में से हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनाव विचार करिये। यह तीन साल मत रटिये। माननीय मोहन सिंह जी तीन साल रटते रहे। हम इनको समझाते रहे कि तीन साल मत रटिये, कुछ करके देखिये। मैं आपसे विनम्र निवेतन करना चाहता हूं कि आप तीन साल मत रटिये। यदि तीन साल रटेंगे तो वही अंजाम होगा। ये तो अंजाम भुगत चुके हैं। हम उस समय बहुत मना कर रहे थे क्योंकि हम उस समय आप के साथ थे। 77 तक तो थे। जो आप की दुर्दशा हुई वही हमारी भी हुई। तो कम से कम कृपा करके सोचिये जो कुछ हो रहा है, किसान तबाह है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि भयंकर सूखे, भयंकर बाढ़ से किसान की क्या हालत है।

चीनी की कमी नहीं है देश में, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। लेकिन दोहरी प्रणाली जो वितरण में डबल प्रणाली एक तरफ लेवी लगाकर के सस्ती दुकानों पर बेचना है और एक तरफ छूट देकर खुले बाजार में बेचना, यह इसके लिए जिम्मेदार है और कहां तक कहूं। एक डी0 आई0 जी0 साहब मुझसे मिले परसों, मित्र हैं। मैंने कहा चीनी लेते हो। बोले साढ़े आठ रुपये पर लेता हूं। मैंने कहा थानेदार लगाओ खरीद लायेगा। वह बड़े भले आदमी है, थानेदार नहीं लगा सकते। जब इन लोगों के लिए साढ़े आठ रुपये है तो रिजवी साहब कुछ सोचिये मंहगाई की क्या हालत है। हर चीज के दाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, बढ़ गये हैं। साबुन लक्स 1.45 का बिकता था आज 2रु0 हो गया है, हमाम, दो रुपये में बिक रहा है, तेल, डालडा बीड़ी, दियासलाई 20 पैसे में बिक रही है, तम्बाकू। आप को पता नहीं है क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कृपा करके.....(व्यवधान) आप तो राजा साहब हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजतंत्र मत स्थापित कीजिए रिजवी साहब। यहां एक ही चीज चल रही है। यहां अतिरिक्त चीफ मिनिस्टर हो गये हैं। मैं भी पिछले चार-पांच बार से असेम्ली में बैठता आ रहा हूं रिजवी साहब हमारे बारे में कभी आप का ध्यान नहीं गया कि इसको एक बंगला दे दें और कल के लड़के चीफ मिनिस्टर हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनको घोड़े पर चढ़ाईये। आई0 ए0 एस0 सलामी उनको करते हैं और बंगला उनको एलाट हो रहा है। तो रिजवी साहब यह अतिरिक्त चीफ मिनिस्टर, यह राजतंत्र, जिस राजतंत्र को यहां की जनता ने उखाड़ फेंका था, आज प्रजातंत्र के नाम पर आप लोग इस राजतंत्र को फिर वापस ला रहे हैं। (लाल बत्ती जलने पर) पांच मिनट और दें दें श्रीमन् हम को तो 25 मिनट मिलने चाहिए.....

श्री अधिष्ठाता—

आप बोलें....

श्री ऊदल

श्रीमन्, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृपा करके कि आप राजतंत्र को स्थापित कर रहे हैं लेकिन उसको चलने नहीं दिया जायगा।

युवा शक्ति। सिद्धान्तविहीन और दिशाविहीन। कोई युवा शक्ति हुई है दुनियां में ? हिटलर ने युवा शक्ति का नारा दिया था जिसके पीछे कोई सिद्धान्त नहीं था, कोई

उसूल नहीं था और हिटलर की क्या दशा हुई, क्या हालत हुई इस युवा शक्ति की नीतियों से, कार्यक्रमों से , उद्देश्यों से लैश होना चाहिए । युवाशक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि यदि एक भेड़ कुयें में जा रही है तो सारी भेड़ें भी कुयें में चली जायें। यह तो हिटलर का नारा था। हिन्दुस्तान की जनता इसको नहीं चलने देगी। आप इसको सोचिये, विचारिये। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में सोचें। अभी मैंने मुख्य मंत्री जी का एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक अलग बिजली कम्पनी बना रहे हैं जो बिजली को केवल जेनरेट करेगी और विद्युत परिषद उससे बिजली खरीदेगी। श्रीमन्, आप जानते हैं कि इस प्रदेश में आपने अपने कितने निगम बनाये हैं। हर मंडल के लिये विकास के नाम पर एक निगम बना हुआ है जो हर मंडल का उत्थान करेगा। मैं कहता हूं कि केवल कुर्सी और शोभा के लिये ये मंडल बनाये गये हैं, कोई काम इन्होंने नहीं किया है। केवल आई0ए0एस0, कमिश्नर्स, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर्स आदि इन मंडलों का सुख भोग रहे हैं। यह आप खुले तरीके से देख सकते हैं।

आपने तीन एरिया सिंचाई के खोल रखे हैं—एक राम गंगा, दूसरा शारदा सहायक और तीसरा गंडक। इसके जो प्रशासक है, वहीं बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स बने हुये हैं। ये लोग अपने मकान का किराया, अपने भत्ते, स्वयं ही अपने आप बैठकर तय कर लेते हैं और 15–15 सौ रुपये के किराये के बंगलों में बैठे हुये है उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी तरह से एक शुगर कारपोरेशन बना हुआ है उसको क्या उपलब्धियां हैं। फिर भी आप एक अलग से कम्पनी बनाना चाहते हैं। जो विद्युत का उत्पादन करेगी। यह स्कीम बंगाल में फेल हुई है, बिहार में फेल हुई है, कर्नाटक में फेल हुई है और लंदन में फेल हुई है। आप भी कुछ नहीं कर पायेंगे। केवल आप कुछ लोगों को जाब प्रोवाइड करना चाहते हैं और वह भी गरीब जनता को नहीं मिल पायेगा। इसके अलावा श्रीमन्, आप देखें कि एक जिले में 20-20 ए0 डी0 एम0 हो गये हैं।

हमारी तहसील शाहपुर में भी एक नये ए0 डी0 एम0 (ई) आ गये हैं। ऐसा करने से क्या प्रशासन ठीक हो पायेगा? अभी थरमल पावर हाउस की बात कही गई। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर 1/4 भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आप जो जेनरेटिंग कम्पनी अलग से बनाने जा रहे हैं और करोड़ों रुपया उसमें लगा रहे हैं, वह भी इसी तरह से होगा। मैं मांग करता हूं कि जितने निगम है, कारपोरेशन्स है सबको भंग किया जाय और सबको सरकार के अन्तर्गत लिया जाय नहीं तो सब निगमों का हिसाब-किताब इस माननीय सदन के सामने रखा जाय। आप बजट के लिये हमारे सामने आते हैं। यह जो वित्त विभाग है यह निरंकुश हो गया है। अधिष्ठाता जी, ये विभाग हमारे लेजिस्लेचर को बाई-पास करता है। हमारी सरकार अरबों रुपया हर साल इन पर खर्च करती है सब बरबाद जाता है, इस पर रोक लगेगी या नहीं, मनमानी होती है। दफ्तरों में सैकड़ों रुपयों की फिजूलखर्जी होती है। पंखे चलते रहेंगे. वहां कोई नहीं होगा। अफसर कमरों में नहीं है, मंत्री कमरों में नहीं हैं लेकिन पंखे चल रहे हैं। अंग्रेजों की सल्तनत होती तो सूट कर दिया जाता। इसलिये इस फिजूलखर्ची को रोकना है। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आज शांति और व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। श्री खन्ना जी कहां गये, नेगी साहब हैं। बाबू जगमोहन सिंह के लड़के हैं। इनका बयान पढ़ा कि लोग इनको तंग कर रहे हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए यह अखबारों में आया है। आज एक मंत्री जी से मिला तो उनकी भी यही शिकायत है। ट्रांसफर और पोस्टिंग के अलावा यह कोई बात सोच ही नहीं सके हैं इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री ऊदल—

सरकार इन विषयों पर सोचे। अगर कोरी लफ्फाजी करनी है और जनता को भ्रम में डालना है तो इस सरकार को भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि इस देश की जनता बड़ी सजग है, प्रजातंत्र के अनुकूल है। सरकार इस बात को समझ ले कि अगर कुछ काम नहीं किया तो आपका भी वही हस्र होगा जिसको आप भलीभांति जानते हैं।

*श्री अजीत सिंह सेठी—

अधिष्ठाता जी, सम्मानित सदन में बजट की बहस पर भाग लेने की आपने मुझे आज्ञा दी, मैं हैरानी यह महसूस कर रहा हूं कि जहां लक्ष्मी की मद पर चिंता करनी है वहां हम जोशोखरोश में अजीब महसूस कर रहे हैं कि पिछले सालों की क्या प्राप्तियां हैं। इस हुकूमत को आये दो महीने ही हुए हैं। उसकी प्राप्तियों की अभी बहस नहीं हो सकती, अभी तो सही तरीके से इसकी पालिसियां भी नहीं आई हैं। आज जो बहस है उसका रूप जो है वह जनता सरकार द्वारा इस प्रदेश की आर्थिक ढांचे को कुरूप बनाने का है। हमारे सी0 पी0 आई0 के नेता श्री ऊदल ने जो बातें रखी है, क्योंकि उनको तो कभी शासन करने को नहीं मिला, वह पिछले सालों से संबंधित है। जब बजट पर बहस हो तो वह सालाना प्राप्तियों के सम्बन्ध में होता है जिसके द्वारा आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक नीतियों का ढांचा सामने आता है। जब हम बजट पर बहस करते हैं तो उस पर पिछले वर्ष की प्राप्तियों पर बहस करना आवश्यक है।

पिछली सरकार के सम्मुख जो सबसे पहला नारा था वह पिछड़ेपन को दूर करने का था जिसको उन्होंने कांग्रेस सरकार से सीखा था। प्रदेश का पिछड़ापन दूर होना चाहिये उन्होंने कहा कि हम इसके लिए जनशक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो मान्यवर, उसके लिए जो उन्होंने पहला कदम उठाया उसमें जो लोकल बाडीज काम कर रही थी उनको खत्म किया यह उनके पिछड़ेपन को दूर करने का पहला काम था। उल्टा काम करने वाली यह सरकार आई थी जिसने प्रदेश के आर्थिक ढांचे को गर्क कर दिया। अब हैरानी हो रही है कि कौन सा ऐसा औजार हो जिसके द्वारा इस प्रदेश के आर्थिक ढांचे को ठीक किया जा सके। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है इसकी कृषि का उत्थान करना आवश्यक है जिसके द्वारा आर्थिक सुदृढ़ता आ सकती है तो इनके शासन काल में एक रुपया क्विंटल गन्ना किसानों ने बेचा इस प्रदेश के अन्दर गन्ने और शुगर टेक्नोलाजी का इतना सत्यानाश हुआ कि हमारा आर्थिक ढांचा ही पूरी तरह से बिगड़ गया। हमारे यहां जो टेक्नोलाजी थी, उसमें हम सब प्रदेशों से पिछड़ गये। यह हालत जनता सरकार ने कृषि की नीति की की थी।

उन्होंने विद्युत की पूर्ति के सम्बन्ध में कहा कि हम 236 मेगावाट की क्षमता बढ़ायेंगे। हमारे पास पहले के बजट है, जिनसे हम सब आंकड़े दे सकते हैं। हम कहते हैं कि यह हमारा बजट साधारण है, यद्यपि इसमें कोई नया कर नहीं है। लेकिन सन् 78 का जो चौधरी चरण सिंह का बजट था, उसके कारण से इतनी अधिक मंहगाई बढ़ी थी कि उसने उस समय तक की मंहगाई की सभी सीमाएं तोड़ दी थी और यह उसी बजट का परिणाम आज हमारे सामने है कि आज हम यहां इतनी मंहगाई देख रहे हैं। पिछली सरकार ने किसी चीज के उत्पादन में कोई वृद्धि करके नहीं दिखाई। यदि इस प्रदेश को विद्युत सही तरीके से प्रदान हो गई होती तो प्रदेश का बहुमुखी विकास हो गया होता। इसी लिए हमने इस बजट में सबसे पहले कहा है कि हम 344 मेगावाट थर्मलपावर को और बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि मंहगाई जबानी बातों से दूर होने वाली नहीं है, हम उसे अपनी पैदावार से दूर करेंगे। (व्यवधान) साथ ही हम स्वच्छ प्रशासन जनता को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना चाहते हैं, लेकिन अभी तो हमें दो महीने ही हुए हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं।

हमारे बागपत में बहुत खुशबूदार खरबूजा होता है और बागपत के नाम से उसको हर जगह पेश किया जाता है। हमारी सरकार ने यह किया कि उसके बारे में उसने जूडिशियल इंक्वायरी बिठाल दी और पूरे थाने के अमले के लोगों को हटा दिया। सब कुछ कर लिया जाये, तो क्या इस धरती पर उपद्रव नहीं होंगे, क्या सब कानून के हिसाब से ही काम होने लगेगा। हर हालत में कुछ न कुछ कमी रहेगी ही। सरकार ने ऐलान किया है कि हम उनको सजा देंगे, यदि जूडिशियल इंक्वायरी में दोष सिद्ध होता है। उन्होंने कोई गुनाह किया है, तो कौन सी आश्चर्य की बात हो गई कि इतना होहल्ला मचाया जा रहा है। लोकदल बागपत काण्ड के नाम से उपद्रव खड़ा करना चाहते है, जिससे यह सरकार जनता को स्वच्छ प्रशासन न दे सके। लेकिन हम कसम खाये हुए है कि जो ला एण्ड आर्डर के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, उनको हमारे कानून का शक्तिशाली हाथ बचने नहीं देगा और वह प्रदेश के शासन को ठीक से चलाएगा। हमने बजट के जरिये से जो विचार दिये हैं। हमारा नेतृत्व उस बहादुर सिपहसालार के पास है जो योग्यता के साथ शासन को करना जानता है। लोगों ने वोट हमें इसीलिए दिया है कि उन्होंने समझा कि हम शासन करने के योग्य है, और संकटकाल में देश और प्रदेश को सही शासन दे सकते हैं। श्रीमन्, इस प्रदेश को खुशी है कि श्रीमती इन्दरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार कांग्रेस (इंदिरा) उनके नक्शे कदम पर चलती हुयी इस प्रदेश का उत्थान भी करेगी और स्वच्छ प्रशासन भी देगी। लोक दल के शासन काल में प्रदेश में जो कृषि उत्पादन का काल गुजरा है, उसमें उन्होंने प्रदेश का पटरा ही बैठा दिया है और आपकी ट्रेन भी पटरी से उतर गयी है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मलिक मुह मद कमाल यूसुफ––

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आज सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, आज सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसकी जो छाप इस प्रदेश में पड़ेगी, इससे जो परिस्थितियां पैदा होंगी उनका हस्र इस सरकार के सामने आयेगा। अभी हमारे माननीय सेठी जी ने कहा कि बागपत का जो मामला उठाया गया है, उसको एक तमाशा बना दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नारायणपुर कांड हुआ, उसके बारे में यहां पर एक हंगामा हुआ माननीय मोहन सिंह जी उस समय शासन में मंत्री थे, वे तुरन्त वहां पर गये और कार्यवाही की गयी, पुलिस वालों के ट्रांसफर्स हुए, उन्हें मुअत्तल किया गया और उसके बारे में जांच बैठायी गयी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका कोई आदमी बागपत गया। बड़ी ही बेहयाई दिखायी गयी।

आप यहां पर ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं। अभी हम लोग बस्ती जेल में मौजूद थे। हमारे एक साथी के द्वारा सूचना भेजी कि 5 बजे कि कांग्रेस (आई) के वरिष्ठ नेता, विधान परिषद के भूतपूर्व सदस्य, श्री उपाध्याय जी को गोली मार कर हत्या कर दी गयी। हमारे अंबिका सिंह जी यहां पर बैठे हैं। उन्होंने एस0 पी0 और कलेक्टर को टेलीफोन किया कि डाइन्ग डिक्लेरेशन देना चाहते हैं। 2 घंटे तक उनकी लाश वहां पड़ी रही और वे मर गये। यह घटना 9 बजे शाम की होगी लेकिन कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके बाद कन्डोलेन्स होने जा रहा था। 2 तारीख को जगदम्बिका पाल जी ने मुझ को कहा गया कि तुम भी गाड़ी में चलो। जैसे ही गाड़ी में हम बैठते हैं कि कांग्रेस (अर्स) के श्री एनुल्ला को गोली मार दी गयी।

[श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ]

यहां पर बलात्कार के बारे में कहते हुए कहा गया कि एक विदेशी लड़की के साथ बलात्कार किया गया। मैं इन सारी बातों को नहीं कहता किन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर से हरिजनों के पट्टों के बारे में उनके पास चिट्ठियां पहुंच रही हैं और तहसीलों में फिर रुपये की वसूली हो रही है और हरिजन लोग पैसा लेकर दौड़ रहे हैं।

बाढ़ की सुरक्षा की आप यहां पर बहुत बात करते हैं। हम लोगों के वक्त में भी प्रदेश में बाढ़ आयी थी लेकिन जिस हिम्मत से उस सरकार ने उसे फेस किया था उसकी कोई मिसाल नहीं है। आज लोगों के अंगूठे लगवाये जा रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। इनके मयखाने में साकी का यह हुक्म, क्या रात को प्यास लगे और सुबह को पानी मांगो। मैंने माननीय माता प्रसाद पांडेय जी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम नही, ए0 डी0 एम0 साहब जानते हैं कि वे क्या-क्या कर रहे हैं।

यही नहीं हमारे भनवापुर में एक पी0 एच0 सी0 है जो 6 महीने से बन्द पड़ी है। उसकी जांच करने के लिए वहां पर ज्वाइन्ट डायरेक्टर गये थे, श्री राय के सारे कागजात भी पकड़े गये। ज्वाइन्ट डायरेक्टर संतुष्ट भी थे कि बंगलिंग हुआ है और 13 हजार और 7 हजार के बैंक ड्राफ्ट बनाने का चार्ज भी साबित हो गया था लेकिन आज तक भी उस पर कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया है और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय की दाहिनी तरफ जो भी बैठते है उनकी अक्ल बन्द हो जाती है, जो इधर इस तरफ बैठते हैं उनकी खुल जाती है।

हमारी डुमरियागंज तहसील में चीनी की 200 दूकानें है जहां पर चीनी की ब्लैक-मार्केटिंग हो रही है। एक एक आदमी 10–10 दुकाने लिये हुये है। भय के मारे कोई शिकायत नहीं कर पा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप किसी गुप्तचर विभाग के आदमी को भेज कर इसकी जांच करवायें। (व्यवधान) आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, आपकी उसका निर्वहन करना है। तीन साल में हम कुछ नहीं कर पाये इसलिये हमारी यह दुर्दशा हुई, आप तो वह काम मत कीजिये।

फूलों की आंखों में आंसू, उतरा है रंग बहारों का।
लगता है आने वाला है, मौसम फिर से अंगारों का।
कांटों के झूंटे बहुमत से, हर सच्ची खुशबू हार गयी,
उससे जो पराजित हो न सके, तो मालिन की चितवन मार गयी।
आन्तरिक सुरक्षा के भय से, बुलबुल ने गाना छोड़ दिया,
गोरी ने पनघट में जाकर, गागर छलकाना छोड़ दिया।
हो गया जवानी में बूढ़ा, सब यौवन मेघ मल्हारों का,
लगता है आने वाला है मौसम फिर से अंगारों का।

आज चारों तरफ गुन्डों का आतंक फैला हुआ है। हमारी तहसील डुमरियागंज में एक साहब हैं जो एक मंत्री की कार्बन कापी है। वे अपने को ही प्रदेश का सबसे बड़ा मंत्री बताते हैं। इससे आपकी और आपके शासन की बदनामी होती है। इसलिये आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिये। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन––

श्रीमन्, यह जो 118 करोड़ का डेफिसिट बजट है मैंने इसको देखा। इसके पृष्ठ 10 पर लिखा है पुलिस संगठन के उन समस्त सदस्यों का मैं अभिवादन करता हूं जो ईमानदारी, निष्ठा व कर्मठता से अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे हैं। मैं यह आपका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरा का पूरा बजट भाषण एक अभिनन्दन ग्रन्थ है। फाइनेशिन्यल बातों से इसका कोई सबंध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि पिछले दौरान जो इलैक्शन हुआ उस इलैक्शन के अन्दर पुलिस के एक कान्सटेबिल से लेकर सारे अधिकारियों की मदद से ही कांग्रेस दल इधर से उधर जाकर बैठ गया और इसलिये उनके बारे में इसमें कहा गया है और उनका अभिनन्दन किया गया है। इसके पहले भी बजट आया। ऐसी चीज नहीं देखी। इसमें कोई ऐसी प्रैक्टीकल एप्रोच नहीं जिससे कि जनता का फायदा हो सके।

श्रीमन्, आप जरा देखें सबसे पहला मसला शुरु होता है आपका, इस वक्त का जो सियासी लोगों का दबाव ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर और क्यों न हो, इस वक्त ऐडमिनिस्ट्रेशन और जो पार्टी इन पावर है, शासक दल है, उसका कुछ ऐसा रिश्ता जुड़ गया, यह मालूम ही नहीं कि जो शासक दल के विधायक या एम0पी0, जो संसदीय प्रणाली से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनको इस तरीके का सोचने का अवसर रह गया है कि क्या उनको जो कार्य-पालिका है, उनको उस पर कन्ट्रोल रखना है। ऐसी चीज नहीं रह गयी है। इसीलिए इक्जीक्युटिव इतने आगे बढ़ गई है कि वह न चीफ मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर के कन्ट्रोल में हैं। मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ऊदल जी ने पुलिस और सबके बारें में कही। श्रीमन्, आपकी नोटिस में जो चीज है। आपके क्षेत्र में भीखमपुर का काण्ड हुआ, उससे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। उसकी एक–दो बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा।

सारे काण्ड जो आपकी नोटिस में हैं, पंडित छोटे लाल के कत्ल के बदले में कत्ल किया गया और सिर उनका बोरे में बांध कर दो मील पर कुएं में डाल दिया गया। उनका छोटा भाई जब गया, तो सारी चीजें वर्क-आउट हो गयीं। उस वर्क-आउट के अन्दर बदायूं के अन्दर एक अम-अमान हो गया, लेकिन अभी तक कुछ मसले ऐसे हैं कि जो समझ में नहीं आता क्यों नहीं किये गये। सवाल यह बहुत स्पष्ट है कि जब मरने वालों की बेवा थाने में गयीं, तो उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गयी? थाने के अन्दर एक चौकीदार ने रिपोर्ट की। उसके पहले मृतक की बेवाओं ने एस0ओ0 से कहा कि हमारें पति की लाशें पड़ी हुई हैं, तो आपके एस0 ओ0 ने रिपोर्ट नहीं लिखी। अभी तक उस जगह पर 3-4 महीने से प्रिकाशन मेजर नहीं लिया गया। आज ही के अखबार में आया है कि इलाहाबाद के अन्दर पुलिस के एस0आई0 ने शराब पी और फायरिंग शुरु कर दी। बड़ी घेर-बटोर करके उनको पकड़ा गया। प्राहिबिशन जनता सरकार ने लगवाया था, उसको भी समाप्त करने की बात की जा रही है। इसकी वजह क्या है? यह सब ढीलापन क्यों हो रहा है? उसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारी इक्जीक्यूटिव है, उसके जो कार्यकलाप हैं, उसके ऊपर इस सदन का कोई कन्ट्रोल नहीं रह गया है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की कमेटी है, उस कमेटी ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उत्तर प्रदेश विधान सभा का, षष्टम प्रतिवेदन, उसके अन्दर प्रतिवेदन में स्पष्ट यह बात लिखी है कि खेद की बात है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं हो सका है। इस पर समिति खेद प्रकट करती हैं। विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं में निर्धारित इन जातियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है —

इस वक्त क्लास 1(वन) के अन्दर 2.7 प्रतिशत अनुसूचित जातियां। क्लास 2 (टू) में 4.43, क्लास थ्री में 8.18 प्रतिशत आई इस तरह से कहीं भी 18 प्रतिशत का कोटा और दो प्रतिशत का पूरा नहीं है। और दूसरी रिपोर्ट में उन्होंने जो बात कही उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह जब इसका उत्तर दें तो इस बात को भी स्पष्ट करें कि सन् 1979 के प्रतिवेदन की दूसरी रिपोर्ट उसी समिति की जिनके आदेश 20–4–76 को जारी किये गये थे कि हर डिपार्टमेन्ट में कोटा रिजर्वेशन की क्या पोजीशन है, इसका उत्तर फलां तारीख को डिपार्टमेन्टल हेड सचिवालय भेज दें। लेकिन मान्यवर, इस पर कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। जबकि उस समिति ने

[श्री रियासत हुसैन]
अन्त में यह भी संस्तुति अपनी दी थी कि जिन-जिन डिपार्टमेंट्स में निर्धारित कोटा पूरा नहीं हुआ है, इस सम्बन्ध में जो जिम्मेदार अधिकारी दोषी पाया जाये उसको दण्डित किया जाये। इस आदेश पर मान्यवर, कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह आदेशों की अवहेलना है।

इस तरह से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर आपकी सरकार का कोई कन्ट्रोल नहीं है। इसमें कन्ट्रोल की आवश्यकता है। इन समितियों के प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं होती उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। माननीय मन्त्री जी इसे देखकर बतायें कि अब तक इन समितियों के प्रतिवेदनों और उनकी रिकमेंडेशन्स पर क्या कार्यवाही की गयी? इसी तरह से मान्यवर, आपको आश्वासन समिति की बात बताऊं कि गवर्नमेंट की जमीन गाजियाबाद के मोदी वालों को दे दी गयी, जिस पर 8–10 लाख रुपए की प्रापर्टी भी तैयार हो गयी। इसकी समिति ने देखा और गलत पाया और अपनी रिकमेंडेशन भी प्रस्तुत कर दी कि ऐसा जिन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों ने किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को दंडित किया जाय। लेकिन अभी तक ऐसे किसी आदमी पर ऐक्शन लिया जाना सम्भव नहीं हो सका है, ऐसा क्यों? समिति ने अपनी रिकमेंडेशन में खासतौर से तीन बातों पर जोर दिया था कि जिन अधिकारियों द्वारा मोदी वालों को जमीन दी गयी, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय और दूसरे यह कि उक्त भूमि पर से अनाधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही भी शीघ्रातिशीघ्र की जाय। परन्तु अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुई, कुछ नहीं हुई? यही वजह है कि रिपोर्ट्स पर कार्यवाही नहीं होती और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बिल्कुल बेअमल बरामद होते जा रहे हैं और जब यह सरकार बिल्कुल निरीह हो गयी है। इस पर आपका कोई जोर नहीं रहा।

श्रीमन्, कारपोरेशनों की बात श्री ऊदल जी ने उठाई, बिल्कुल सही है। मेरी भी यही राय है कि अब कारपोरेशनों का समय खत्म होना चाहिए। कारपोरेशनों की ही वजह से सरकार में आज आम भ्रष्टाचार है। यह कारपोरेशन्स केवल अधिकारियोंके लिए ही हैं कि वहां जाकर दोनों हाथों से लूट बचायें चूंकि वहां उन्हें डेपुटेशन पर जाने को मिल जाता है और वहां पहुंच कर मनमानी यह सोच कर करते हैं कि उन्हें कुछ ही दिन यहां रहना है। उसके बाद वापस चला जाना है। करने का भी मौका मिल जाता है सन् 1977–78 की नियन्त्रक महालेखा परीक्षा रिपोर्ट है कि 9,988.21 लाख रुपया कुल प्रदत्त पूंजी वाली 22 कम्पनियों में 1,320.39 लाख रु0 की हुई और सन् 1977–78 में 752.72 लाख रु0, 1976–77 में 547.63 लाख तथा सन् 1974–75 में 20.4 लाख रु0 जिसमें सब मिलाकर कुल 1,304.77 रु0 की हानि हुई। अब निम्नलिखित 9 कम्पनियों का ब्योरा भी इस प्रकार है।

लेकिन सभी कम्पनियों पर बोल पाना सम्भव नहीं है। केवल 3–4 कम्पनियों के ही बारें में बताऊंगा, जिनकी हालत इस प्रकार है :–(1) छाता शुगर कारपो0 लि0 में सन् 1977–78 में 218.73 लाख रु0 की हानि हुई दूसरी उत्तर प्रदेश शुगर कार्पो0 लि0में 30 सितम्बर, 1977 को रु0 359.88 लाख की हानि हुई तीसरी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल लि0 में सन् 1977–78 में रु0195.56 लाख की हानि हुई और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पो0 लि0 में सन् 1977–78 में 239.37 लाख रु0 की हानि हुई। और 70 और 60 लाख की तो बहुत ही कम्पनियां हैं। यह कारपोरेशनों की हालत है तो इन कारपोरेशन्स को रखने की क्या जरूरत है।

आज श्री मुख्तार अनीस ने नियम 301 के अन्दर एक चीज दी, कोआपरेटिव डेरीफेडरेशन के बारे में। कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन का बनारस एव मेरठ यूनिट है। हमारे यहां भी एक यूनिट है दलपतपुर, मुरादाबाद में। इस यूनिट को 80 लाख घाटा हो चुका है

और इसकी कैपेसिटी है 60 हजार लीटर की। और कितना रहा केवल 2 हजार लीटर। इसे जिले में बिकने के लिए भेज देते हैं और वहां का स्टाफ ताश खेलता है, जुआ खेलता है। मान्यवर, 80 लाख का घाटा हो चुका है। हलीम साहब जब मन्त्री थे जो उन्होंने कहा था कि इसकी जांच करायेंगे। पता नहीं क्या बात है कहां है वह जांच रिपोर्ट, किस रद्दी की टोकरी में चली गयी। पता नहीं क्या हुआ उसका। मान्यवर, इन डेरियों में ऐसे ऐसे एम0डी0 बना दिए जाते हैं और मेरे यहां तो जो एम0डी0 भेजे गये हैं वह मेरे यहां हाकिम परगना भी रहे हैं। अब शायद उसकी ईटें बिकने बाकी हैं वह भी बिक जायेंगी।

हमारे सूबे की हालत क्या है मान्यवर। पिछले 3 साल को आप गैप मान लीजिए कि आप तीन साल की छुट्टी पर गये थे, वरना 30 साल से आपका ही शासन रहा है। 3 साल की आड़ लेकर आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। मान्यवर, खाद्यान्न का उत्पादन पिछले सालों में क्या रहा। यह मैट्रिक टन में है। सन् 1975–76 में 19.456 तथा 1976–77 में 19909 और 1977–78 में 21231 हो गया। जो मान्यवर, जनता शासन में कांग्रेस के मुकाबले खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। जो मंहगाई आज हर चीजों पर यहां है उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी माचिस हो, घी हो, दाल हो, कोई भी चीज हो। साबुन हो, जितनी भी वस्तुएं हों उनकी कीमतें बढ़ी हैं।

जितना वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं उसके अनुसार आप इंसान की आमदनी नहीं बढ़ा पाए। स्टैटिक्स विभाग की जो किताब मिली है इसमें हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें 1970–71 में 58.4 इनकम थी। 1978–79 में 49.9 हो गयी। कृषि से हमारी आमदनी घट रही है। हमारी आमदनी 58.4 से घटकर 49.9 रह गयी है। 10 परसेंट हमारी आमदनी घट गयी है और इसी दौरान मान्यवर, आप देखें कि सारी चीजों के दाम बढ़े हैं। केन्द्र ने कह दिया कि फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई है। जो चीजें सूबे की है. जो वितरण प्रणाली है आपकी क्या आप कोई काम करेंगे जिससे कि जो कीमत बढ़ रही हैं वह घटें। पिछले बजट के अन्दर उर्दू के लिए कुछ कहा गया था। आपके जो सेन्टर के होम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अन्दर कहा कि उर्दू को दूसरी भाषा बनाना जेरे-गौर है। यहां पर किसी ने पूछा तो कहा कि यह सब बातें बेकार हैं उत्तर प्रदेश में उर्दू को सेकेन्ड लैंगवेज बनाना। श्री ज्ञानी जैल सिंह पार्लियामेंट में यह ब्यान देते हैं और श्रीमन्, एक बात आपने अखबार में पढ़ी होगी और मैं भी पढ़ रहा हूं। विक्रम डाकू था इटावा में, कहा गया यह घोषणा की गयी कि वह मर गया अब पता चला है कि विक्रम फिर गांव में आ गया है। अब डी0आई0जी0 और डी0एस0पी0 सभी भाग दौड़ कर रहे हैं। घोषणा हो गयी अब कैसे जिन्दा हो गया। यह सब हिसाब-किताब लेने में दिक्कत हुई होगी। इसलिए यही ठीक है। कांग्रेस का शासन तो है ही।

एक सूचना देना चाहूंगा कि विक्रम के मिलने की खबर जो थी वह यहां बताई गयी थी। एक साल पहले जो यहां पर राजनीतिक परिस्थितियां थीं, आप जानते हैं। जब बदमाशों की तलाश हुई और जहां इतने पुराने पुराने डाकू मिले हों विक्रम भी मिल गया।

(हंसी)

फूडवर्क का काम सब जगह चल रहा है। गल्ला लोगों को मिल रहा है। गोरखपुर की बात है। गेहूं और चावल जो मिलता है उसका नमूना लाया हूं। आपके पास भेज दूंगा, मन्त्री जी तक भेज दें। जिस तरह का गल्ला ये बांटते हैं इंसान तो इंसान जानवर भी

[श्री रियासत हुसैन]
इसे खाना पसन्द नहीं करेंगे। लोगों ने एतराज किया कि यह गल्ला हम नहीं लेंगे तो उन्हें आज तक गल्ला नहीं दिया गया है। जनता पार्टी ने कुछ अच्छे काम किए थे उनको जारी रखिए इससे आप का कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा। जनता पार्टी ने कहा कि डिक्ट्रिक्ट लेविल से प्लानिंग आनी चाहिए,। पिछले बजट में मधुकर दिघे ने जो प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने कहा था। शुगर केन एरियर जो बकाया था, जनता पार्टी के शासन में जो अदायगी हो गयी, उतनी तो हो।

जनता के लिए इस सरकार ने भी कुछ किया है? सेलाब श्रीमन, 72 में आया था जिसमें सरकार निकम्मी साबित हुई। 78 में सूखा और सेलाब आया। सरकार इसको फेस कर ले तो हम अपोजीशन में होते हुए भी आपकी तारीफ करेंगे। सेलाब और सूखा, दो मिलन थे, 1978–79 में लेकिन जनता पार्टी ने इसको फेस किया, उसकी तारीफ करनी होगी। आप क्या कर रहे है? शराब खोरी बन्द हो गयी थी। अब सड़कों पर लोग पी कर घर से निकलते हैं। बिहार में खबर छपी है, यह समाप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में. . . .

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)––
आप प्रोहिबिशन समाप्त कीजिए, बलात्कार आ जायेगा।
(व्यवधान एवं हंसी)

श्री रियासत हुसैन––
एक सब इंस्पेक्टर ने जो गोली चलाई वह भी पिए हुए थे, अगर कोई लड़की उनके सामने आ जाती तो वह उसके साथ बलात्कार भी कर लेते क्योंकि पिये हुए थे ही। जो अभी तक कमी थी वह भी समाप्त हो जायेगी।

आपके 28 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं। बरेली से लेकर बिजनौर तक का जिसमें रामपुर और मुरादाबाद का क्षेत्र आता है, इसमें पम्पिंग सेट चला कर धानों की रोपाई हुई है। तो यह प्रदेश एक तरफ तो बाढ़ से एक तरफ सूखे से पीड़ित हैं। इन सारी चीजों को फेस करने के लिए जितनी जल्दी से जल्दी हो व्यवस्था होनी चाहिए।

पुलिस विभाग के बारे में बजट में एक लाईन लिख दी गयी। बजट में पुलिस विभाग की इतनी तारीफ की गयी इतनी कभी नहीं की गयी। यह बड़े शर्म की बात है।

इसी तरह से एक बात कहूंगा कि आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 का तबका है यह केन्द्रीय सरकार का है। कोई बात हो जाती है आपसे कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते यह केन्द्रीय सरकार के अधिकारी हैं। पी0सी0एस0 अधिकारियों की तरफ आप ध्यान दें यह तो राज्य सरकार के हैं। अभी कल या परसों अखबार में पढ़ा कि 75 प्रतिशत प्रोमोशन कर दिया जायेगा। पी0सी0एस0 के जो अधिकारी हैं चाहे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एस0पी0 हों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है, इस तरह से उसका मनोबल कहां जायेगा। जो स्टेट कैडर है उस कैडर की रक्षा करें। उसके साथ ज्यादती न हो, यह देखने की चीज है।

श्रीमन, एल0एस0जी0 बोर्ड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। दो मिनट एल0एस0जी0 बोर्ड के बारे में कह कर खत्म कर दूंगा। समझ में नहीं आता क्या हो गया है इस बोर्ड को। टोटल लास 127 करोड़ रुपये का है। श्रीमन, 1970–71 से लेकर 1976–77 तक लगातार लास हो रहा है 14 करोड़ से 18 करोड़ हुआ, 18 से 32, 32 से 54 और अब टोटल 127 करोड़ हो गया है। ऐसे बोर्डों के बारे में जिनमें आपका पैसा लगा है, पब्लिक का पैसा लगा है, इनमें इतने बड़े करेप्शन पर आपको सोचना पड़ेगा।

एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। एक अखबार निकलता है माननीय रामदत्त जोशी, भूतपूर्व विधायक इसके सम्पादक हैं। उन्होंने जब जनता पार्टी का बंटवारा

हुआ तो चौधरी चरण सिंह के बारे में पहली अगस्त, 22, 26 अगस्त और 12 सितम्बर को छाप दिया। उस पर क्या हुआ। उनको वे सारे विज्ञापन जो उनको मिलते थे, बन्द कर दिए गये। शायद दो हजार की बात है। अब अगर उन्होंने सही बात छाप दिया तो कोई बात नहीं। उनको जो भी सरकार से दिया जाता रहा है मिलना चाहिए। इनके एरियर्स हैं, बकाये हैं वे सब अदा होने चाहिए। श्रीमन, मैं कहता हूं कि आज प्रदेश में तीन साल के झटके के बाद फिर दुबारा इनको शासन करने का मौका मिला है। अगर आपने इस मौके का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया तो वक्त आपको फिर माफ नहीं करेगा। देखिए कि आपके जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर किस स्तर में रह रहे हैं। उनके बंगलों पर चले चलिए। मैं कहता हूं कि कोई भी मिनिस्टर या 2/3 हजार पाने वाला आदमी भी उस तरह से नहीं रह सकता है। मान्यवर, पिछले शासन में यमुना प्रसाद बोस एक मन्त्री थे। आज उनकी हालत क्या है? उनको यह सोचना पड़ रहा है कि उनके लड़के की तालीम जारी रह पायेगी कि नहीं। लेकिन एक जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को देखिए। फिएट और एम्बेसडर कार, खड़ी है उसके यहां। मैं कहता हूं कि उनकी 8/9 हजार से कम आमदनी नहीं। अगर इन चीजों को कन्ट्रोल नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं कि दरवाजा निकलने वाला बहुत करीब आ गया है। इस प्रदेश और देश की जनता अगर 30 साल बाद जनता पार्टी को बिठा सकती है और 3 साल बाद उसको हटा कर आपको बिठा सकती है तो इस प्रदेश और देश की जनता यह मत भूलिए, आपको भी दरवाजे से बाहर निकाल देगी।

श्री जैराज गौतम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस माननीय, सदन पर इस सामान्य बजट पर चर्चा के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं इसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

मान्यवर, आज बहुत से सदस्यों ने इस माननीय सदन में अपने विचार रखे। बहुत बुजुर्गवार माननीय सदस्यों को, जो बहुत अरसे से इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, उनको भी सुना। लेकिन, मान्यवर, बड़े दुख की बात है कि अलावा इसके कि उत्तर प्रदेश जो दस करोड़ आबादी वाला प्रदेश है, एक तरफ जहां सूखे पर जनता को राहत नहीं दे पाए थे कि दूसरी तरफ ही भयंकर बाढ़ में त्रस्त हो गये, इसके बारे में कुछ कहते लेकिन हमारे तजुर्बेकार माननीय सदस्यगण, जो पिछली सरकार में मन्त्री के पद पर भी रहे हैं, उन्होंने कोई ठोस सुझाव इस माननीय सदन में इस सरकार को नहीं दिया कि सरकार को क्या करना चाहिए कि जिससे गरीब जनता को अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जा सके। जिन माननीय सदस्यों ने, मान्यवर, इस सदन में कहा कि इससे बड़ा बजट हमने आज तक इस माननीय सदन में नहीं देखा, नहीं पढ़ा, या तो उन्होंने, मान्यवर, इस बजट को पढ़ा नहीं, या केवल विरोधी दल में बैठकर विरोध करने की भावना से ये बातें कहीं। मैं समझता हूं कि अगर आपने पढ़ा होता तो वर्तमान सरकार चालू वित्तीय वर्ष में क्या करने जा रही है इसको देखा होता जोकि बजट भाषण में लिखा हुआ है कि वर्तमान सरकार अल्प सिंचाई से लाभान्वित अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र 8.5 लाख हेक्टेयर, मीडियम वृहत सिंचाई में योजनाओं से लाभान्वित अतिरिक्त क्षेत्र 2.97 लाख हेक्टेयर का प्राविधान किया है और यही नहीं सार्वजनिक निर्माण में सड़कों के निर्माण में 2650 कि0मी0 के निर्माण का प्राविधान किया है और साथ ही चिकित्सा संस्थाओं के लिए 1550 केन्द्रों को खोलकर जनता को राहत दी। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सब कार्य यह सरकार कर रही है।

मान्यवर, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने प्रदेश में कानून की व्यवस्था की बिगड़ती हालत के बारे में कहा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1977 में जब अप्रत्याशित ढंग से जनता पार्टी जीत कर आई थी, और तब जनता पार्टी ने जनता से कहा था

[श्री जैराज गौतम]

और अपने घोषणा-पत्र में भी कहा था कि अगर जीत कर आयेंगे तो दिल्ली और लखनऊ, में सरकार बनी तो सबसे पहले देश और प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजी देंगे और रोजी नहीं देंगे तो रोटी देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठने के तत्काल बाद प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में दिए गए सारे वायदों को पूरा करना जरूरी नहीं है। जो आज कानून और व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वह यह नहीं देखते कि जब मैं कुर्सी पर था, तो चारबाग स्टेशन से दारुलशफा के बीच में डेढ़ लाख प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव किया हुआ प्रतिनिधि लूट लिया जाता है। मान्यवर, जब माननीय मोहन सिंह और मुख्तार अनीस जी उस समय मन्त्री भी थे, दारुलशफा में विधान सभा के सदस्य के यहां चोरी हो गयी। पिछले तीन वर्षों में हमने क्या देखा--छात्रों में असन्तोष और डाक्टरों की हड़ताल। तो आज जिस तरह कानून व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करवा दिया है, अकुशल नेतृत्व द्वारा बर्बाद कर दिया है, वर्तमान सरकार को ठीक ढंग से चलाने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है।

श्रीमन्, आपका ध्यान 2-3 योजनाओं की तरफ ले जाना चाहता हूं। यद्यपि इनकी यह योजनायें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन योजनाओं में गरीबों के नाम पर लाखों रुपए व्यापारियों और अधिकारियों/कर्मचारियों ने खा लिया। इसमें एक योजना चली थी अन्त्योदय, उसमें हरिजनों और कमजोर वर्गों का तो इन्होंने उदय करके अन्त कर दिया है। जिस बरबरी बकरी की कीमत 326 रुपए लगाई गयी है।

एक सदस्य--

बाबरी नहीं, बरबरी बकरी।

श्री जैराज गौतम--

यह जो बरबरी बकरी भेज रखी है तो एक मुख्य जिले से यह बकरी भेजी गयी तो उसके लाने आदि में इतना खर्च होता है कि अगर बकरी और रुपए को तौला जाय तो रुपया का बजन ज्यादा हो जायगा। श्रीमन्, इस तरह से हरिजनों का अधिकारियों ने और इनके कार्यकर्ताओं ने करोड़ों रुपया खा लिया। यद्यपि यह योजना हरिजनों के लिए थी परन्तु यह योजना कार्यान्वित ठीक ढंग से नहीं की गयी। मैं वर्तमान सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसमें सुधार करे। मान्यवर, खाद्यान्न योजना में इनके शासन में सड़कें बनीं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खाद्यान्न योजना में सड़कें तो बनी लेकिन पानी निकलने का रास्ता नहीं दिया गया जिससे इस भयंकर बाढ़ में वह सड़कें बह गयीं और सड़कों पर जितना रुपया खर्च किया गया था वह सब बेकार चला गया। अगर वर्तमान सरकार उतना ही पैसा खर्च करे तो वह सड़क पूर्व की तरह बन सकेगी। इस तरह से आपने अदूरदर्शिता से काम लिया और वह सड़कों पर जो पैसा खर्च किया गया वह बेकार चला गया?

आपको ध्यान देना चाहिए था कि हमने सड़कें बनवाई है तो पानी के निकलने की व्यवस्था भी होना चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां एक ओर भयंकर सूखा पड़ा और सूखे से प्रदेश को राहत नहीं दे पाए थे वहीं भयंकर बाढ़ का हमें सामना करना पड़ा। मैं सुल्तानपुर से आता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सुल्तानपुर जिले में अनेक क्षेत्रों में जैसे कादीपुर जयसिंहपुर, हमारे विधान सभा के अध्यक्ष का क्षेत्र इसौल और सदर के क्षेत्रों में गोमती नदी की बाढ़ आई जिससे सैकड़ों घर गिर गये और लाखों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई है। वहां खाने की बड़ी अव्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाढ़ से राहत पहुंचाने के लिए इन जिलों को सुविधायें देनी चाहिए जहां पर ऐसी कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं। साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 74-77 तक तत्कालीन सरकार ने हमारे जिले की, प्रदेश की गरीबी दूर करने के लिए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए जो योजनायें बनाई, जैसे सुल्तानपुर में 19 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल काम्प-

लेक्स की स्थापना की जाने वाली थी, जनता पार्टी की सरकार आने से वह योजना खटाई में चली गयी। इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स, चीनी मिल, जनता पार्टी की रेजीम में खटाई में चली गयीं। आज हमें खुशी है कि वर्तमान सरकार ने उन दबी योजनाओं को फिर से लागू करने का फैसला किया। मैं समझता हूं कि बजट पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं वह गम्भीरता से इसका अध्ययन करें और इस बजट का जोरदार समर्थन करें और प्रदेश की 10 करोड़ जनता को आगे ले चलने में मदद करें ताकि प्रदेश की गरीबी दूर करके गरीबों को सुविधा हो सके। श्रीमन, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, ब्लाकों के माध्यम से, हरिजनों को जमीन देकर, 2–2 हजार रुपए देकर मकान बनाने की योजना चालू है। इसमें ब्लाक के अधिकारी और कर्मचारी रुपया खा जाते हैं जिससे कमजोर वर्गों को इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। मैं समझता हूं कि इसमें जो मकानात ध्वस्त हुए हैं, अगर उन मजदूरों को स्वयं वहां का जायजा लेकर रुपया के तौर पर सहायता दी जाय तो वे स्वयं अच्छे से अच्छा मकान बनाने की व्यवस्था कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि जो अधिकारी और कर्मचारी वितरण व्यवस्था में गन्दगी फैला रहे हैं, उनको रोका जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

*श्री पंचानन––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट की सामान्य चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। आज बहुत ही कठिन परिस्थिति है जिसमें हमारी सरकार को इस प्रदेश की व्यवस्था को चलाना है। पिछले तीन वर्ष में इस प्रदेश के अन्दर यह हालत थी कि कानून का राज्य नहीं रह गया था, बिल्कुल अराजकता फैली हुई थी। आज वही नौकरशाही है जो धीरे-धीरे पिछले तीन सालों में खराब हुई है। मैं यह सोच रहा था कि अपनी बात कहां से शुरु करूं। तो मैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बात शुरु करता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् है जो इस प्रदेश की परीक्षा का इंतजाम करती है। उसके साथ-साथ विद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है। पहले यह हुआ करता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पास संस्थाएं आवेदन करती थीं, उसकी छान-बीन होती थी और जो संस्तुतियां वहां से आती थीं, उन पर शासन विचार करता था। लेकिन पिछले तीन साल में यह हुआ जिसका कहीं आज तक उदाहरण नहीं मिल सकता। माध्यमिक शिक्षा परिषद् को आवेदन किया गया, उनकी छान-बीन हुई और जिन संस्थाओं को मान्यता देने की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने की, वह सारी संस्तुतियां कोल्ड स्टोरेज में डाल दी गयीं और जिनको उसने अस्वीकार किया, जिनके पास भवन नहीं हैं पर्याप्त कमरे नहीं हैं, साज-सज्जा नहीं है, ऐसे स्कूलों को मान्यता दी गयी।

इस प्रदेश के एक माननीय मुख्य मन्त्री जी हुआ करते थे राम नरेश जी, जो हमारे जिले से चुन कर आये थे। वह एक स्कूल के प्रबन्धक थे। आप पूरे इतिहास में देख लें कि जो प्रबन्धक मुख्य मन्त्री होकर आता है वह अपने पद से त्याग पत्र देकर आता है। लेकिन यह नहीं हुआ। पहले तो वह बड़े दस्तखत करते थे। इंस्पेक्टर के दफ्तर में एक रजिस्टर होता है जिस पर हर प्रबन्धक के दस्तखत प्रमाणित होते हैं जब मुख्य मन्त्री बने तो वह छोटे से दस्तखत करने लगे। इस्पेक्टर बेचारा परेशान कि कैसे दस्तखत को मना कर दे कि यह प्रदेश के मुख्य मन्त्री के दस्तखत हैं और अगर स्वीकार करें तो मुश्किल होती है कि दस्तखत मिलते नहीं हैं। आखिर उसने पास कर दिया और बैंक ने रोक दिया कि दस्तखत नहीं मिलते हैं। इस तरह कई महीने तक तनख्वाह नहीं बंटी। एक दण्ड की प्रक्रिया निर्धारित है कि यदि प्रबन्धक की गलती के कारण यदि वेतन नहीं बंटा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अगर शिक्षा इंस्पेक्टर सन्तुष्ट हो जाय कि प्रबन्धक ईमानदारी से वेतन देगा तो उसे अधिकार दे सकता है कि प्रबन्धक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पंचानन]

स्वयं वेतन बांटेगा। उसमें यह हुआ कि 6 महीने तक तनख्वाह नहीं बटी तो यह निर्णय हुआ है प्रबन्धक स्वयं बांटेगा, फिर भी वेतन नहीं बंट सका तो यह निर्णय हुआ है कि इंस्पेक्टर स्वयं वेतन देगा। यह वेतन वाली बात कह रहा था। वह स्वयं प्रबन्धक थे इण्टर कालेज, अम्बारी, आजमगढ़ के और मुख्य मन्त्री भी थे। उसमें 13 कमरों की कमी थी लेकिन नियम 9(4) के अन्तर्गत वैज्ञानिक वर्ग को मान्यता दे दी गयी और 3 लाख रुपये का अनुदान भी उस स्कूल को दिया गया जिसमें से एक पैसा भी आज तक उस स्कूल में नहीं लगाया गया। आज भी कच्चे कमरे उस स्कूल में हैं। आप स्वयं विचार करें जब प्रदेश का मुख्य मन्त्री अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो प्रशासन रहेगा या नहीं रहेगा। आज वही प्रशासन उत्तराधिकार में जब हमको मिला है तो उसे ठीक करने में समय लगेगा या नहीं लगेगा।

इसी तरह से कालीचरण शिक्षा मन्त्री थे। उनका स्कूल शिवदास उदासीन इण्टर कालेज के नाम से सादात, गाजीपुर में था। उसको भी उन्होंने 9(4) के अन्तर्गत मान्यता दे दी हाई स्कूल तथा इण्टर के कई विषयों में। एक डिग्री कालेज खोला जिसका नाम रखा समता डिग्री कालेज। उसमें न कोई कमरा था और न है और न कोई रिजर्व फण्ड ही था। जब मैंने सवाल किया तो 12 हजार रुपया जमा कर दिया, वह भी किसी के नाम प्लेज नहीं है इसके अलावा 56 हजार रुपया फर्जी एरियर उनको मिला शिक्षा मन्त्री के रहते हुए। 15 विषयों में अनियमित ढंग से उन्होंने इस कालेज को मान्यता दी। इस तरह से प्रशासन उच्चतम पदों पर जिनकी जिम्मेदारी थी इस शासन को चलाने की उन्होंने जब इस तरह का आचरण किया तो नौकरशाही भ्रष्ट होगी या नहीं होगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के इम्तिहान की पूरे प्रदेश में तथा देश में एक गरिमा मानी जाती है। दुनियाँ में सबसे बड़ा इम्तिहान इंटर व हाई स्कूल का इम्तिहान होता है। रिजल्ट जब हाथ से बनता है तो दो जगह बनते है और बनाने वाले 200 किलो मीटर की दूरी पर होते हैं। फिर दोनों को मिला कर कोललीशन होता है लेकिन जब कम्प्यूटर से रिजल्ट बनने लगा तो उसकी कोई जांच नहीं हो पाती। हालांकि प्रदेश की भाषा हिन्दी है फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद् का रिजल्ट कम्प्यूटर से अंग्रेजी में बना। माध्यमिक शिक्षा परिषद् का सर्वसम्मत प्रस्ताव भी था कि परीक्षा फल कम्प्यूटर से नहीं बनेगा। कम्प्यूटर से जो रिजल्ट बनता है वह सही नहीं होता है। जब कैलाश नाथ सिंह मन्त्री हुए तो उन्होंने वायदा किया कि कम्प्यूटर से रिजल्ट नहीं बनाया जायगा, परीक्षाफल हाथ से ही बनेगा। लेकिन उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने रुद्र नारायण शर्मा को माध्यमिक शिक्षा परिषद् का सचिव भी नियुक्त किया। ऐसा कहा जाता है कि शर्मा जी ने पर्चे सस्ते दाम पर 22 लाख रुपया के स्थान पर 12 लाख में ही छपवा दिए। कालीचरण जी ने उसमें से पांच लाख रुपया किसान रैली के लिए मांगा जिसको शर्मा जी ने देने से मना कर दिया तो शर्मा जी को उनके पद से हटा दिया गया। फिर झांसी में उनको भेज दिया गया। जब से बोर्ड बना तब से सेक्रेटरी ने पर्चे छपवाने का काम किया और श्री रुद्र नारायन शर्मा को श्री काली चरन लाए थे। श्री शर्मा ने 22 लाख रुपए में जो पर्चे छपते थे उनको 11 लाख रुपए में छपवा दिया किन्तु जब उनसे 5 लाख रुपए चन्दा के रूप में किसान रैली के लिए मांगे गये तो उन्होंने नहीं दिया जिससे श्री शर्मा को झांसी भिजवा दिया गया। इस प्रकार बेइमान लोगों को प्रोमोशन दिया गया और ईमानदार लोगों का ट्रान्सफर किया गया। आप किसी विभाग को ले लें तो उसमें हजारों रुपयों का भ्रष्टाचार बता सकता हूं जिससे प्रदेश और शासन का नुकसान हो रहा है। इसलिए शासन को सबसे पहले चाहिए कि वह प्रशासन को पहले ठीक करे और तब सभी चीजों का वितरण ठीक होगा, चीनी ब्लैक में नहीं बेची जायगी और गरीबों को गेहूं और चावल सस्ती दुकानों से ठीक प्रकार से मिलेगा।

अन्त में मैं अपने मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जबसे यह सरकार बनी है तबसे उसने भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में प्रयास किया है और भ्रष्टाचार तभी दूर होगा जब स्वच्छ प्रशासन होगा ।

श्री गोरे लाल शाक्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, वर्तमान परिस्थितियों में जितना अच्छा बजट हो सकता था मुख्य मन्त्री ने उतना अच्छा बजट पेश किया है। प्रजातन्त्र को बहुत अच्छे ढंग से मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सारी बातें उन्होंने बजट में रखी हैं और जो शासनतन्त्र 3 साल में ढीला हो गया था उसको कोआरडिनेट करने की सारी बातें बजट में कहीं हैं। सर्वांगीण ग्रामीण विकास तथा उसके लिए सारे संसाधन जुटाने की बात इस बजट में है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए जो प्रभावी ढंग से कार्यक्रम चलाने की चीजें हैं वह सब इसमें हैं। मुख्य रूप से परिस्थितियों के अन्दर जितना अच्छा बजट दिया जा सकता है वह दिया गया है। लेकिन मान्यवर, कुछ कमियां जरूर रह गयी हैं। वह कमियां रहना स्वाभाविक हैं जिनकी तरफ मैं इंगित करना अपना कर्तव्य समझता हूं। यह आम भाषण है। इसलिए मैं प्रशासन में आम बातों के बारे में जो कमियां हैं उनको बताना चाहता हूं जिनको गौर से नोट कर लें और शासन उनको दूर करे।

मान्यवर, जो खाद्यान्न योजना चल रही है उसमें जो डेली वेजेज मजदूरों को देना था वह उनको 5 किलो न देकर मेजरमेंट बुक के अनुसार दिया जाता है जिससे एक-एक मजदूर को एक किलो या दो किलो अनाज ही दिया गया है और जो 5 किलो निर्धारित है वह नहीं दिया गया है। इसलिए निवेदन है कि इसकी जांच के लिये इंस्पेक्टर लगाये जायं जिससे जो मजदूर 5 किलो के हकदार हैं वह उनको मिलना चाहिए। मैंने देखा है कि मजदूरों को एक किलो या दो किलो अनाज दिया गया है चूंकि मिट्टी निर्धारित मात्रा में नहीं पड़ी है। तो कहना चाहता हूं कि इंस्पेक्टर क्या करते हैं, उसको इन्होंने क्यों नहीं देखा। यह इसलिए हुआ कि किसी जगह 50 मजदूर लगाये गये वहीं 50 फर्जी मजदूर और दर्ज कर दिए गये जिससे अनाज उन सब में बांटा गया परिणामस्वरूप एक या दो किलो अनाज ही उनको दिया गया। इसलिए मेरा कहना है कि मजदूरों को डेली वेजेज दी जाय या 5 किलो अनाज दिया जाय, इससे कम नहीं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली के सम्बन्ध में जैसा श्री ऊदल जी ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए एक अलग यूनिट कर दिया है तो इसकी मंशा मेरी समझ में आती है कि यह एसेंशियल सर्विस में आती है। और आप देखते हैं मजदूरों की हवस बढ़ती जा रही है। हम प्रजातंत्र के नाम पर अपना हक वसूल करें, हड़ताल करें, हर सर्विस में हड़ताल हो, तो यह प्रदेश कहां जायेगा इसलिये दो यूनिटों में बांटा गया है तो हो सकता है उत्पादन बढ़े और यह यूनिट हड़ताल पर न जाय। उपभोक्ता सर्विस देने वाले कर्मचारी हड़ताल पर उतरेंगे तो हमारे सेना के लोग ऐसे कार्य को संभाल लेंगे लेकिन उत्पादन का काम वे नहीं संभाल सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसी चीज को लेकर यूनिट दो बनाई गई। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह राशन की दुकानें.....(व्यवधान) सुनें, राशन की दुकानों को मैंने देखा। लाल गेहूं सब जगह बंट रहा है। असली नम्बर का गेहूं खरीदा जाता है और यह लाल गेहूं किन प्रदेशों से आता हैं। मुझे शक हैं कि यहां से असली गेहूं दूसरी जगह जाता है चोरी छिपे से और लाल गहूं दूसरे प्रदेशों, विदेशों से, तशकरी के जरिये राशन के जरिये बांटा जाता है। इस पर गौर करना चाहिए।

[श्री गोरे लाल शाक्य]

मान्यवर, सड़कों का राष्ट्रीयकरण अभी कम्पलीट नहीं हुआ है और जहां राष्ट्रीय मार्ग है वहां पर दोहरी व्यवस्था का घपला है। यह नहीं होनी चाहिए। जो अनुबन्धित बसें हैं उनके लिए एक रूट होना चाहिए और हमारे रोडवेज के बसों के लिए एक रुट होना चाहिये। इसमें घपला है। हमारे रोडवेज का बहुत बड़ा नुकसान इन बसों से हो रहा है। अनुबन्धित बसें भरी चली जाती हैं और रोडवेज की बसें खाली जाती है। जो अच्छे मार्ग हैं, जहां टूट फूट नहीं हो सकती हैं, वहां प्राइवेट बसें दी जा रही हैं और जहां मार्ग खराब हैं वहां रोडवेज की बसें चल रही हैं। इसलिए जितने भी अच्छे मार्ग हैं, टूट फूट की संभावना नहीं हैं, उन मार्गों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ताकि हमारे स्टेट की रेवेन्यू बढ़ सके।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह पुलिस क्या करती है। डकैतों को, मुल्जिमों को, 395, 392, 302 में पकड़ती है और हजार, पांच हजार रुपये लेकर कहीं 25 आर्म्स ऐक्ट और कहीं 60 एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत केस लगाकर छोड़ देती है..... (व्यवधान) यह इस प्रशासन की देन नहीं है। यह विरासत में हमको मिली है। यह मैं आम बात कहने जा रहा हूं कोई परटिकुलर बात नहीं कह रहा हूं। तो मान्यवर, जो मुल्जिम बिल्कुल नहीं है, उनको मुल्जिम बनाया जाता है और डकैत छूटे रहते है। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, कुछ कमियां रह गयी हैं मैं उनको बता रहा हूं। मान्यवर, मैंने और नोट किया, इसके पहले भी नोट किया कि सीजनल अमीन कुछ नियुक्त होते हैं ये लोग किसानों से वसूलयाबी करते हैं और गायब हो जाते हैं। जो पैसा वे वसूल करते हैं उसका उनके पास कोई रिकार्ड नहीं होता है। बहुत सारे किसानों की आमदनी आपसी खातों में जमा नहीं करते उनको पता नहीं चलता है कि किससे कितना ले गये। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके पास रिकार्ड हो। इसके लिये उन लोगों को परमानेन्ट होना चाहिये। चार या छः महीने जो वे सीजनल वसूलयाबी करते हैं, वे ही रहे, वे बदल न जायं। इससे कोई घपला नहीं होगा और वे अच्छी तरह से कार्य भी कर सकेंगे.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री गोरेलाल शाक्य--

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा जो अंग्रेजों से मिली हुई है उसमें ठेकेदार लोग 25 परसेन्ट तो खा ही जाते हैं और 25 प्रतिशत खराब किस्म की सीमेंट और ईंटें इस्तेमाल करते हैं इससे 50 प्रतिशत धन तो चला जाता है इसलिये इसके लिये एक डिपार्टमेन्ट कायम होना चाहिए जो इसको देखे और सरकारी मजदूर और सरकारी कर्मचारी निर्माण कार्य करायें।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया बैठ जायं। आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री श्याम नारायन तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट में किसी नये कर का उल्लेख नहीं है लेकिन वैसे 212.98 करोड़ रुपये की कमी का यह बजट है और इसकी पूर्ति के लिये 94.99 करोड़ लोक लेखा से, वसूली से, कटौती करके आयोजनेतर व्ययों में और केन्द्रीय सहायता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से इस कमी को पूरा करने के लिये कहा गया है। इसके आगे और कहा गया है कि इस के बाद भी अगर कमी पूरी नहीं होती तो इस बजट के अंतिम पृष्ठ पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस बात का उल्लेख किया है वह यह है कि यदि कोई कमी रह जाने की सम्भावना हुई तो अवश्य रहेगी, यह कमी घटने के बजाय बढ़ेगी, तो सरकार यथा समय उपयुक्त निर्णय लेगी। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को करों के लिये तैयार रहना चाहिये। इसके अलावा यह सरकार दूसरी बात नहीं कर सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस कमी का जो नतीजा होता है वह यह होता है कि उससे मुद्रा-स्फीति और मंहगाई बढ़ती चली जाती है। व्यावहारिक जीवन ने आज इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मंहगाई बढ़ती चली जा रही है, वह रोकी नहीं जा सकती है क्योंकि बजट की स्थिति ही ऐसी है।

जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, लोग काम की तलाश में भटक रहे हैं। ट्रेनों की छतों पर बैठ कर दूसरे प्रदेश में काम के लिये जा रहे हैं। आप किस तरह से उन पर कानून लगायेंगे। आज वे भूख से तड़फते हुये रोजी-रोटी के लिये घूम रहे हैं, उनसे आप पूछिये कि कैसे वे आपके कानून का पालन कर पायेंगे और कैसे आप कानून की रक्षा कर पायेंगे।

हमारा देश कृषि-प्रधान देश है। मुल्क में अगर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं तो सबसे पहले हमारे प्रदेश में उग्र भूमि सुधार लागू करना चाहिए। 20 सूत्री कार्यक्रम में इसके बारे में कुछ कहा गया है। इसके अलावा बजट भाषण के पृष्ठ 45 पर यह कहा गया है कि आवंटियों को हम कब्जा दिलायेंगे। मैं चाहता हूं कि शासन इस ओर ध्यान दे और ऐसे लोगों को जिनको भूमि आवंटित की गई थी, उनको उस पर कब्जा दिलाया जाय। मान्यवर; लेखपाल गांवों में जा रहे हैं और वह सिर्फ दस्तखत करवा रहे हैं तो हमारा कहना है कि उग्र भूमिसुधार नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में बजट में कुछ नहीं किया गया है जो कि सबसे आवश्यक चीज है इस प्रदेश की तरक्की के लिए।

एक बात और कहना चाहता हूं चीनी उत्पादन हमारे प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। चीनी मिल मालिकों की करतूत किसी से छिपी नहीं है। गन्ना उत्पादकों को लूटने, उपभोक्ताओं को लूटने, मजदूरों को लूटने और उनके बोनस की कटौती करने की उनको खुली छूट दी हुई है। गत चुनावों में कुछ लोगों ने चीनी मिल मजदूरों से कहा कि श्रीमती इंदिरागांधी को वोट मत दो क्योंकि वह अपने बेटे को गद्दी पर बैठने के लिए तानाशाही लाना चाहती हैं, उनसे मजदूरों ने कहा कि उनके समय में बोनस में कटौती हुई हैं और इमरजेंसी को हम वहन कर लेंगे लेकिन उन्होंने जिस प्रकार 14 कामर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। वह सराहनीय है और वह इन चीनी मिलों का भी राष्ट्रीयकरण करेंगी। उमीद थी कि यह सरकार राष्ट्रीयकरण करेगी और उसी का परिणाम हुआ कि इस अल्पावधि में तीन साल के अन्दर ही हमारे प्रदेश के मतदाताओं ने इस ललक के साथ श्रीमती इंदिरागांधी को गद्दी सौप दी। चूंकि यह चर्चा के लिए संदर्भित है इसलिए चर्चा कर रहा हूं, राज्यपाल के अभिभाषण में और मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में चर्चा की गई है।

मान्यवर, इस प्रदेश और देश के मतदाताओं ने एक बार फिर सिद्धान्त निष्ट सरकार को स्थापित किया है और उनकी आकांक्षा है कि यह बात पूरी होगी। कुछ सिद्धान्त है जैसे धर्मनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता और आर्थिक स्वावलम्बन जिनका केन्द्र सरकार को पालन करना है। हमारे देश की सरकार ने कंपूचिया को मान्यता दी और वियतनाम का पक्ष लिया जिसका हम स्वागत करते हैं उससे हमारे देश का गौरव बढ़ा है, गुटनिरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाया गया है, मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए विराधी दलों के नेताओं से बात की है, यह सब बातें स्वागत योग्य है

[श्री श्याम नारायन तिवारी]

हैं। हमारी पार्टी उन सिद्धान्तों के लिए कांग्रेस पार्टी को सहयोग देगी। लेकिन इनसे विचलन हुआ तो विरोध का अधिकार सुरक्षित है। (लाल बत्ती जलने पर) मैं एक मिनट और चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय बजट में बड़े घरानों को छूट दी गई है उससे सरकारी क्षेत्र में जो हमारा गौरव बढ़ा था उसको आघात पहुंचा है। इस तरह से उन्होंने जो जनता से वायदा किया था उससे वह हटे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसी प्रकार नीतियों से विचलन हुआ तो जनता ने जिस ललक के साथ आपको अल्पावधि में गद्दी सौंप दी उसी तरह हटा देगी। अगर ऐसा हुआ तो देश में भ्रष्टाचार आयेगा और जब फ्रशट्रेशन आएगा, तो दूसरी कोई बात नहीं होगी, केवल बगावत होगी और बगावत के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार को अगाह कर देना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें, अब बैठें।

श्री श्याम नारायन तिवारी--

इन्हीं शब्दों के साथ आपको अब धन्यवाद देता हूं। और समय रहते हुए मैं इनको आगाह किये देता हूं। मुझे समय नहीं मिला इसलिए पूरी बात नहीं कह सका।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का यह बजट निश्चित रूप से इतना अच्छा है कि इससे हमारे प्रदेश की जनता की तरक्की होगी और उसका पता तो विरोधी दल के लोगों को थोड़े दिनों बाद लगेगा। वह अभी तक कोई रचनात्मक सुझाव हमारे सामने नहीं रख सके हैं। इनकी आदत है, जब सरकार में थे तब न कोई रचनात्मक कार्य किया और न अब जब विरोध पक्ष में है, तो कोई रचनात्मक सुझाव सरकार के सामने रखना चाहते हैं। इसके विपरीत ला एण्ड आर्डर की बात यह करते हैं। हम प्रदेश के पश्चिमी जिले मुजफ्फरनगर के हैं। हम पर आपके शासन में क्या गुजरी है यह हम ही जानते हैं।

जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, वह और उनके दल के लोग उस समय हम लोगों के ऊपर कितनी ज्यादती और आतंक करते थे खुले आम उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। वहां पर हमारे यहां पर औद्योगिक प्रदर्शिनी हो रही थी तो इसमें इनके लोगों द्वारा खुले आम औरतों और लड़कियों की बेइज्जती की गई, किन्तु उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। जब किसी तरह लिखी गई तो कह दिया गया कि तुम जानते नहीं हो देश के गृह मंत्री चौधरी साहब है, तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा। इनके शासन काल में वाराणसी, इलाहाबाद और पन्त नगर में क्या-क्या अत्याचार नहीं हुआ। यह अपने समय के किये हुए काले कारनामों को भूल जाते हैं। आज किसानों के शोषण की बात कही जाती है, लेकिन जब तीन रुपये के भाव से गन्ने को क्रैशर वालों ने नहीं लिया, तो गन्ने में आग लगी दी गई। जब किसान अपना रोना लेकर गया तो उन्होंने अपनी टोपी उतार कर उससे कह दिया कि मेरे सिर पर बो दो। इस कारण से आज चीनी की कमी है और चीनी की मंहगाई है। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके हमारे ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, दो महीने की कांग्रेस सरकार के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अब हर काम सही होगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस हालत में कांग्रेस के हाथों से जनता शासन की बागडोर संभाली थी, क्या उसी रूप में उसे आपने वापस दिया है? कतई नहीं दिया है? शासन व्यवस्था और अर्थ व्यवस्था को अपने बिलकुल अस्त-व्यस्त और नष्ट-भष्ट करके दिया है। इसी तरह से औद्योगिक नीति जो है वह भी बिलकुल खराब रही है और उसी कारण से आज सारी मंहगाई है। जब उत्पादन न हो तो

देश और प्रदेश में सारी चीजों की कमी पैदा होगी, तो इसे कैसे सुधार जाए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा बजट है, जिससे आपको कुछ समय के बाद मालूम होगा कि इससे देश और प्रदेश की कितनी तरक्की हुई है और कितनी आगे होगी।

श्री बृज किशोर—

माननीय अधिष्ठाता जी, जो बजट माननीय मुख्य मंत्री ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं वह बजट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं बड़े अदब से अपने प्रदेश के भाइयों से कहना चाहता हूं कि वह कम से कम हमें सुनने का कष्ट तो करें सब से पहले मैं भाई मोहन सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वे गौर फरमायें कि जब उनको एक मौका मिला था शासन में आने का तब के बजट में और इस वर्ष के बजट में कितना अन्तर है। अगर वे गौर से देखेंगे तो पायेंगे कि इस बजट में जो सुविधायें गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए की गयी है वे पहले के बजट में कभी नहीं देखी गयी। शायद ऐसा हो सकता है कि इस बजट में पूंजीपतियों के लिए कुछ व्यवस्था न हो पायी हो। अभी हमारे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि इस बजट में निहायत ही शर्मनाक चीजें पेश की गयी है लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि ऐसी कौन सी बातें हैं और कौन सी बातें उन्हें अधूरी लग रही है। अभी आपने बेरोजगार की समस्या की बात कही। वर्ष 1977 में जब आपकी हुकूमत बनी थी, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के स्तर पर तो उस समय आपने ऐसे कौन से प्राविधान किए थे, कौन सी व्यवस्था की थी जिनसे गरीबों को राहत मिल सकी। समाज के सामने वोट मांगने के लिए केवल आपने यह कहा था कि पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता देंगे। क्या आपने इन 3 सालों के शासन काल में किसी नौजवान को जो यूनिवर्सिटी से निकल कर बाहर चौराहों पर खड़े थे, एक भी आदमी को बेरोजगारी का भत्ता दिया ?

आज इन्होंने चीनी की वितरण प्रणाली पर प्रकाश डाला। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय चौधरी चरण सिंह ने चीनी की व्यवस्था को शुगर फैक्टरीज को लुंज पुंज नहीं कर दिया जिसके कारण आज मार्केट में एक ओर तो 15 रुपये प्रति किलो चीनी हो गयी और दूसरी तरफ किसानों का गन्ना 4 रुपये प्रति क्विन्टल पर बिक गया। दूसरी तरफ हमारे जो पूर्व वक्ता, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य है, वे गरीबों के बहुत बड़े मसीहा और हम दर्द बने हुए हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं अगर इस बढ़ती हुयी पापुलेशन को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने नसबन्दी की बात की तो आर0एस0 एस0, कम्युनिस्ट और जनसंघ पार्टी के लोगों ने जनता में गलतफहमी फैलाई जिससे वे लोग गुमराह हो गये और उनकी हुकूमत बनवायी। जब तक प्रदेश और देश की पापुलेशन बढ़ती जायेगी, तो वह कौन सा तरीका आपने अपनाया जिससे जनसंख्या न बढ़े। क्या आपने संविधान में प्राविधान किया है या पापुलेशन पर कन्ट्रोल करने की कोई और व्यवस्था की थी ? जब तक देश और प्रदेश में पापुलेशन पर कन्ट्रोल नहीं होता क्या कोई शासन बेरोजगारी को रोक सकता है ? यह संभव नहीं है। अगर हमें बेरोजगारी को समाप्त करना है तो पौपुलेशन ग्रोथ पर रोक लगानी होगी।

जब से मैं इस सदन में आया हूं रोज यहां पर पुलिस की ज्यादतियों के बारे में कहा जाता रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे मित्रों को पुलिस का इतना डर हो गया है, इससे वे इतने आतंकित हो गये है कि रात दिन कोई भी मसला आये उसमें एक पुलिस का और दूसरा जिक्र बलात्कार का होता है। मेरा तो कहना यह है कि जब उनकी हुकूमत थी तो उनकी पुलिस महकमा ही तोड़ कर एक निजी महकमा कायम करना चाहिये था जिससे पुलिस का नाम ही मिटा दिया जाता। यह पुलिस

[श्री बृज किशोर]

की व्यवस्था तो आपकी ही दी हुयी है। मैं तो सदन को आश्वस्त करता हूं कि पुलिस के चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हैं, अगर वे गलत रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी। लेकिन यह नहीं हो सकता कि पुलिस बिलकुल समाप्त कर दी जाय और आप लोगों के हाथों में व्यवस्था सौंप दी जाय।

(व्यवधान)

विरोध पक्ष से ब्योरोक्रेसी की बहुत बात कही गयी। आखिर जो आज विरोध पक्ष में है वे भी तो इधर सत्ता पक्ष में बैठते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में क्यों उस ब्यूरोक्रेसी को समाप्त नहीं किया, उसको क्यों नहीं बदला। उनको अपने समय में उसमें परिवर्तन करना चाहिये था, किन्तु नहीं किया और आज विरोध पक्ष में जब बैठने लगे तो उसको बुरा कहने लगे। जब आप शासन में बैठे तो गुनाहों पर पर्दा डालते रहे, आज उन्हीं को उछाल रहे हैं। हमारे देवरिया में एक थानेदार की निर्मम हत्या कर दी। इन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने डन्डे और फर्से से उसकी निर्मम हत्या की। दो थानेदार, एक मुलजिम की तलाश में गये थे और इन लोगों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दीं। दोनों ओरसे गोलियां चलीं। जय हिन्द।

(व्यवधान)

*श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, मैंने बजट को पढ़ा। यह बजट किसान विरोधी बजट है। एक ओर तो किसानों को पानी नहीं मिल रहा था, दूसरी ओर खाद के दाम बढ़ा दिये गये। बाढ़ के कारण पूर्वांचल के जिले, देवरिया, गोरखपुर आदि बुरी तरह से प्रभावित हैं। जिस समय खाद के दाम बढ़े रातों रात सारी खाद बेच दी गयी, इधर से उधर कर दी गयी, मगर गरीब किसान को एक भी बोरा खाद का नहीं मिला। देवरिया में करीब ढाई हजार खाद का बोरा था। सब उठ गया, किसान को नहीं मिला।

बिजली की हालत यह है कि किसान को 2 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिलती। कभी कभी तो 7–7, 8–8 दिन तक बिजली नहीं मिलती। लेकिन बिजली का बिल पूरा भेज दिया जाता है।

जब बारिश आयी तो उस समय किसानों की पैदावार, उसका गेहूं 70–72 रुपये के भाव से बिका। सरकार ने उसे लेने की उस समय कोशिश नहीं की। जब किसान बोवे तभी फसलों का दाम तय कर देना चाहिए कि धान का दाम क्या होगा ताकि किसान यह समझ सके कि उसकी पैदावार का क्या दाम होगा। किसी भी फसल का दाम बोवाई के पहले कम से कम 1 महीने पहले तय हो जाना चाहिये कि अगली फसल में अमुक फसल का दाम यह होगा। अभी पंचानन राय जी ने यह कहा कि राम नरेश यादव जी ने यह वह दिया। आपके जिले के भी लोग मंत्री रहे हैं और हमारे जिले के भी लोग मंत्री रहे हैं। यहां पर भी जो बैठे हुए हैं, यहां मंत्री है और वे स्कूलों के प्रबन्धक भी हैं। आज यह सरकार, अपने को प्रगतिशील, समाजवादी कहने वाली सरकार ने यह भी घोषणा नहीं की कि आने वाले 1980–81 के बजट में सारे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा को एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे। एक जैसी पढ़ाई होगी। आज 50 फीसदी से 60 फीसदी लड़के खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। उनके बैठने के लिए न टाट है, न कुर्सी है, न घर है, न मकान कोई है। मैं चाहता था कि बजट में या तो नीचे से समाजवाद लाया जाय, या ऊपर से समाजवाद लाया जाय। सारे पेपब्लिक स्कूल तोड़ दिये जायं तब प्राइमरी स्कूलों में ठीक प्रकार की व्यवस्था हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज पानी बरस रहा है, सारे स्कूल बन्द है। एक तरह का स्कूल होना चाहिए, उसमें सभी के बच्चों को पढ़ना चाहिए। आज गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरा स्कूल है, अमीरों के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरा स्कूल है। आज इस बजट में ऐसा भी नहीं किया गया कि किसी को चाहे वह किसान हो चाहे मजदूर हो और 60 वर्ष जिसकी आयु हो, उसको पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए थी आज गांव का मजदूर 60 वर्ष तक अपनी मेहनत के बल पर अपने भोजन की तलाश करके दो रुपये रोज मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। 60 वर्ष के बाद जब वह थक जाता है, तो उसके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

तो मान्यवर, उसके लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि आज माध्यमिक शिक्षा की बातचीत हो रही थी, मैं कहना चाहता हूं कि 25-30 वर्ष

(इस समय 3 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।)

से जहां तक मैं समझता हूं कि अभी तक माध्यमिक शिक्षा का रिजल्ट 26 जुलाई तक नहीं निकला है। हाई स्कूल का रिजल्ट 26 जुलाई को इस वर्ष निकला है। अभी तक स्कूलों में क्रास-लिस्ट भी नहीं पहुंची है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी पर्चे आउट इस कांग्रेस की हुकूमत में, राष्ट्रपति शासन में हुए है, उतने कभी भी उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कभी भी नहीं हुए है। कभी मेरठ से आउट, कभी इलाहाबाद से आउट, कभी लखनऊ से आउट हो रहा है, तो कभी फैजाबाद से आउट हो रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब से यह सत्ता आयी है, तभी से यहां के शासन के कार्य एक दम से घटिया किस्म का हो गये है और मैं कहना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं, नोटिफाइड एरिया व टाऊन एरियाज में कहीं भी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, आज सारी नगरपालिकाएं और टाऊन एरियोंमें एकदम हर जगह आपको गंदगी नजर आयेगी। देवरिया की तहसील हाटा और कसिया आदि में जो प्रमुख स्थान है कहीं भी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और वहां पर सड़कें भी नहीं बन रही है। चार पांच सालों से पूर्व वहां जन प्रतिनिधियों ने लिखकर सरकार के संज्ञान में ला चुके हैं, परन्तु कोई कार्यवाही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहां पर जितने अधिकारी है वह सब मनमाने तौर पर कार्य कर रहे हैं और मनमाने ढंग से लूट कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे यह एलान कर दें कि गोरखपुर और देवरिया में जहां बड़े पैमाने पर गेहूं व अन्य गल्ले की खरीदारी होती है, वहां पर आवश्यकतानुसार और नयी मंडियों की स्थापना करेंगे। और जो पुरानी वहां पर मंडी समितियां है भी वह पुरानी बिल्डिगों में है और उनके दफ्तर किराये के भवनों में हैं। जबकि आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप अपने भवन की स्थापना नहीं करवाना चाहते।

आखिर ऐसा क्यों ? जबकि आपके पास पैसा भी है लेकिन आप उसके बनवाने की कोई व्यवस्था नहीं करना चाहते इसलिए कि वहां पर अधिकारी जो बैठे है, वह पूरी तरह से लूट करने में लगे हुए है, उन्हें इस बात की आवश्यकता ही नहीं है कि किसी योजना किसी प्लान को आगे बढ़ायें, जिससे जनता को राहत मिले। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मैं केवल एक मिनट और लेना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिलों पर करोड़ो करोड़ों रुपया गन्ना किसानों का बाकी है। सरकार उन्हें दिलाने में आनाकानी कर रही है। यहां केवल आश्वासन दिया जाता है कि सरकार उनके पैसों को दिलाने के लिए प्रयत्न नहीं कर रही है। जो चीनी मिलों पर लाखों रुपया बाकी है किसानों का और वह नहीं दे रही है फिर भी आज उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आज लड़कों और लड़कियों के पढ़ने की पढ़ाई के लिए फीस और कापी व किताबों की जरूरत है, लेकिन वह सब बाजार से गायब है। दूसरी बात मान्यवर, यह है चीनी मिलों पर किसानों का डिफर पेमेंट का लगभग 20 लाख से ऊपर रुपया जिलाधिकारी के

[श्री नन्द किशोर सिंह]
खाते में जमा है, लेकिन इस पैसे को संबंधित गन्ना किसानों को दिलाने के लिए कोई कदम सरकार नहीं उठा रही है। मान्यवर, मैं इन बातों के साथ अपनी बातों को खत्म-करना हूं और मुझे इस बजट से बहुत तकलीफ हो रही है, यह बजट किसान विरोधी है इससे देश और प्रदेश को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे केवल मंहगाई ही बढ़ेगी और वह लगातार बढ़ भी रही है। यह बजट बिल्कुल किसान विरोधी हैं और मै इसका विरोध करता हूं, धन्यवाद, जयहिन्द।

*श्री हरि प्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मै आपके माध्यम से सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो 1980-81 के लिए सामान्य बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हरिजनों के लिए और समाज कल्याण के लिए प्रस्ताव इस बजट में रखे गये हैं, उसके संबंध में कुछ बातें कहूंगा। पिछले तीस वर्षों से सन् 52 से लेकर आज तक अनेकों बजट पेश हुए है, जिसमें हरिजन कल्याण के संबंध में तमाम नीतियों की संस्तुति भी की गयी है और तमाम योजनाएं बनायी गयी हैं लेकिन आज भी हरिजनों की स्थिति वही है जो पहले थीं उसमें केवल थोड़ा सा फर्क आया है, इसके क्या कारण है। इसका एक मात्र कारण यही है कि हमारे समाज के लोगों ने और शासन ने इस ओर इनके उत्थान की ओर ध्यान हीं नहीं दिया गया। केवल बजट में पैसे का प्राविधान कर देना ही काफी नहीं है। बल्कि इसको भी देखना चाहिए कि उस पैसे को किस तरीक से खर्च किया जाय और किन किन मदों में अधिक खर्च किया जाए। समाज में हरिजन की उपेक्षा की जाती रही है उसको पूरा सदन अच्छी तरीके से समझता और जानता है। आज पूरे प्रान्त में क्राइम हो रहा है। जब हम गांव में जाते है तो क्राइम वीक में कितने हरिजनों को चालान किया जाता है। शासन के पास आकड़े आते हैं। ज्यादातर उसमें हरिजन, कमजोर वर्ग को नाजायज तरीके से फंसाया जाता है। जब अपराधी नहीं मिलते हैं कोटा निर्धारित है पुलिस अफसर के पास उसको पूरा करने के लिये वे किसी न किसी बहाने किसी को शराब का बोतल, किसी को कट्टा और किसी को फर्जी गोलियां दिखाकर क्राइम की संख्या बढ़ाई जाती है। हमार समाज में जो कमजोर वर्ग है वैसे ही कलंकित है। इस प्रकार से अपराधी बनाया जायेगा तो हमारा समाज और भी कलंकित होगा।

इस बजट में हरिजनों के भूमि आवंटन की व्यवस्था की गई है लेकिन इसके पहले भी हरिजनों को भूमि आवंटित किया गया। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से काश्तकार है जिनको भूमि मिलना तो दूर रहा उनको कागज का पट्टा नहीं मिला है। जहां तक कब्जा देने की बात है, कब्जा मिला था लेकिन गांव के जो अराजकतत्व हैं उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। सरकार के पास आंकड़े भले ही बढ़ गये हो लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। पुलिस अफसर एस0 डी0 एम0 जब कब्जा देने जाते हैं तो अराजकतत्व उनसे यह कहलवा देते हैं कि हमको कब्जा मिल गया है। जैसे ही पुलिस अफसर गांव से बाहर जाता है पुनः कब्जा कर लेते हैं। यही वास्तविता भी है। भूमि की व्यवस्था हरिजनों के रहने के लिये शासन कर रहा है। उनको रहने के लिये भूमि आवंटित की जा रही है।

लेकिन जो लोग ग्राम समाज की भूमि पर मकान बना लिये है जो जमीन एलाट की गई है उन पर कब्जा नहीं मिल पाया है। जो लोग ग्राम समाज की भूमि पर किसी तरह से कब्जा करके मकान बना लिये हैं उनके ऊपर सरकार की तरफ से 115 डी के मुकदमे चलाये जा रहे हैं। जब शासन की यह नीति है कि हरिजनों की आवास समस्या को सुलझाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय जिनके पास जमीन नहीं है उनको मकान बनाने के लिये जमीन की व्यवस्था की जाय, तो जिन लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर मकान बना लिये हैं। हम चाहते हैं कि बजट में इस प्रकार का प्रोविजन किया जाय कि हरिजनों ने ग्राम समाज की भूमि पर किसी तरह से कब्जा करके मकान बना लिया है उन पर किसी प्रकार के मुकदमें न चलाये जाय। वह मकान या जमीन उनको एलाट कर दी जाय। मान्यवर, आपने देखा होगा हरिजनों के लिये कालोनियां बनाई जा रही हैं। जब हम गांव में रहते हैं तो भी हमारे लोगों को यहां डकैतियां पड़ती हैं, चोरियां होती हैं हम सताये जाते हैं। गांव से बाहर मीलों दूर ये कालोनिया बनाई जा रही हैं जिसमें जानवर भी नहीं रह सकता है। इन कालोनियों में अराजक तत्व या बड़े आदमी खलिहानों के पास इसमें भूसा रखते हैं और जानवर रखाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि शासन हरिजनों के लिए जिस प्रकार के मकान बनाना चाहिए, ये नियोजित ढंग से बनाने चाहिये, एक परिवार के लिए क्या सुविधायें होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। केवल एक-एक कमरे बना दिये जाते हैं। तो इस प्रकार इस बजट में प्राविजन होना चाहिये कि हरिजनों को या गरीबों के लिए जो व्यवस्था की जाय, कम से कम शहर के पास अच्छे वातावरण में अच्छी कालोनी में मकान बनाये जायं। कम से कम 2 कमरे और एक बरामदा की व्यवस्था की जाय ताकि वह इन्सान की तरह रह कर जीवन व्यतीत करें। सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जातिवाद अब भी व्याप्त है। हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार होता है। इसके लिए शासन को कदम उठाने चाहिए। ऐसा सर्कुलर होना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति हरिजनों के साथ अपशब्दों का प्रयोग न कर सके। बसों में, ट्रेनों में चलते वक्त उनके प्रति अनेक प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः कोई ऐसी बात न कहे जो उन्हें अपमानजनक महसूस हो।

हमारें कर्मचारीगण जो हरिजनों में अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हरिजन कर्मचारियों की जो इन्ट्री होती है वार्षिक चरित्र पंजिका में, प्रतिकूल इंट्री कर देते है जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उनका प्रोमोशन नहीं होता है। इस तरह का भी प्राविजन बजट में होना चाहिए ताकि इस आधार पर चरित्र पंजिका में प्रविष्टि होने पर भी उनके प्रोमोशन में कोई व्यवधान न हो। साथियों, सारी.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री हरि प्रसाद--

छोटे छोटे उद्योग धन्धों पर बहुत मदद दी जाती है। इसके नाम पर कहीं बकरी पालनें के लिए, सुअर पालने के लिए मुर्गी पालन के लिए पैसा दिया जाता है। मैं समझता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि शासन हरिजनों को भैंस पालन के लिए और अनेक प्रकार के उद्योग चलाने के लिए पैसा दे तो अच्छी तरह से वे अपनी जिन्दगी व्यतीत कर सकते हैं और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लाखों रुपया खर्च होता है। मैं अनेक गांव गया हूं और जाता हूं मुझे कहीं यह सूचना नहीं मिली कि कहीं भी किसी गांव में एक भी प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा दी गयी हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था के बजाय प्राइमरी एजूकेशन पर अधिक खर्च किया जाये और उस पैसे को बचाया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ?

श्री हरि प्रसाद--

धन्यवाद।

*श्री कन्हैया लाल—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। श्रीमन् हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां पर जो आबादी है उसका लगभग 80–85 प्रतिशत खेती पर निर्भर है। अतः जो बजट किसानों की भलाई के लिए हो, उस बजट का स्वागत किया जाता है। और जो किसानों के विरुद्ध हो उसका विरोध किया जाता है। श्रीमन् इस बजट को देखने से पता चलता है कि किसानों के लिए, जैसा कि उधर के लोग कहते हैं कि हमने किसानों के लिए तीन महीने में बहुत सा काम किया है, बिलकुल गलत है। आप देखें कि किसान की हालत जब ही अच्छी हो सकती है जबकि उसका उत्पादन व्ययकम किया जाये और प्रोडक्शन है, किसान उत्पादन है, उसका बिक्री का रेट बढ़ाया जाय। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में, ढाई महीने में बहुत से काम ऐसे हुए है जिससे किसान का उत्पादन व्यय बढ़ा है। बिजली का रेट अभी अभी बढ़ा है। अभी जो 40 रुपये का कट्टा मिलता था यूरिया का, आज सवा सौ रुपय का है। डीजल जो सिंचाई के काम आता है, किसान उसको खरीदता है, उसके दाम दो गुने हो गये। किसान का उत्पादन व्यय बढ़ रहा है। गेहूं के दाम मुझे याद है 4–5 साल पहले करीब करीब 200 रुपये कुन्तल तक पहुंच गये थे बल्कि 250 रुपये कुन्तल तक पहुंच गये थे। आज 100 रुपये 125 रुपये से अधिक नहीं है। किसान का खर्च बढ़ रहा है आमदनी कम हो रही है। इस बजट को इस प्रकार से बनाना चाहिये था कि किसानको राहत पहुंचती। किसान जो खरीदता है उसे कम दामों में उपलब्ध होता जो बेंचता है वह अच्छे दामों पर बिकता तो हम बजट का स्वागत करते। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसान के लिये फायदे की हो।

मान्यवर, मैं मथुरा जिले से आता हूं। मथुरा जिले में किसान के पास सिंचाई की योजना बिलकुल नकारात्मक है। नगण्य है। मथुरा जिले में गंगा नहर और आगरा नहर दोनों कैनालों की टेल हैं। समाप्त होती है वहां पर। पानी नहीं मिलता है इनको। सुना था रामगंगा से कुछ पानी मिलेगा, वह भी इलाहाबाद को डाइवर्ट हो गयी। मथुरा जिले की स्थिति ऐसी है कि जमीन के अन्दर का पानी खारी है। पीने के लिए किसान को 3–4 मील जाना पड़ता है। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल से पानी मिलना मुश्किल है। सरकारी ट्यूबवेल भी लगाये गये, प्राइवेट ट्यूबवेल भी लगे, सभी असफल हो गये। जब तक आप नहरों के काम को मथुरा में नहीं बढ़ायेंगे वहां के किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी। हमारा जिला पश्चिम के जिलों में आता है लेकिन वहां खेती के जो साधन सरकार को देना चाहिये था वह नगण्य है। नतीजा यह है कि पश्चिम जिलों में होते हुये भी वह सबसे बैक वर्ड है। गोरखपुर, गोण्डा, देवरिया से भी पिछड़ा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर भी सरकार ध्यान दे। मथुरा जिले में पानी के प्रबन्ध करें तब हम कहेंगे कि किसान के हित का बजट है।

दूसरी बात सिंचाई के बारे में कहूंगा कि करीब दस साल हुए गोवर्द्धन ड्रेन बनी। पूरे मथुरा जिले के किसानों की जमीन लेकर गोवर्द्धन ड्रेन बनी। हरियाना और राजस्थान को तो पानी निकल जाता है लेकिन मथुरा जिले का पानी गोवर्द्धन ड्रेन में नहीं जात वह गलत बनायी थी। हमने सुझाव दिया कि इसके साथ छोटी-छोटी ड्रेन निकाल दी जायं। लेकिन वह नहीं माना। मान्यवर, अब एक हुलवाना डाइवर्जन ड्रेन बना रहे हैं। अगर वह बन गयी तो मथुरा जिले के किसान बिलकुल खत्म हो जायेंगे। उनकी जितनी जमीन बची है, वह हुलवाना ड्रेन में आ जायेगी और किसानों के लिये कुछ लाभ नहीं होगा। मैं, मान्यवर, कह रहा हूं कि आप 50,000 एकड़ जमीन लेकर और केवल 15,000 जमीन की बचत करें, तो यह कहां की बुद्धिमानी है। मैं, अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हुलवाना डाइवर्जन ड्रेन योजना का अविलम्ब समाप्त किया जाय।

श्री लोकपति--

समाप्त किया जाय ?

श्री कन्हैया लाल--

जी हां।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

लेकिन जो पानी गोवर्द्धन ड्रेन से रुकता है, उसका क्या होगा ?

श्री कन्हैया लाल--

गोवर्द्धन ड्रेन को और गहरी करें। 50,000 एकड़ भूमि को खोकर 15,000 एकड़ भूमि की बजट करना कहां की बुद्धिमानी हैं ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, 1976 में मथुरा जिले में बाढ़ आयी थी ? उस समय मैं सिंचाई मंत्री था। वहां एक ड्रेन है। उसकी क्षमता है 1080 क्यूसेक पानी निकालने की। राजस्थान और हरियाणा में जब बाढ़ होती है, तो उस ड्रेन से सारा जल मथुरा जिले को डुबो देता है। लगभग 1100 गांव मथुरा जिले में है जिनमें से 1050 गांव 76 की बाढ़ में डूब गये थे। उस समय बहैसियत सिंचाई मंत्री इस सदन में मैंने कहा था कि मैंने उस पानी को रोक दिया है और वहां पर पी0ए0सी0 लगा दी है, ताकि वह पानी मथुरा जिले में आने से रोक दें। बाद में भारत सरकार में बैठक हुयी और यह तय हुआ कि उस ड्रेन से सिर्फ 1080 क्यूसैक पानी ही चलेगा जितनी कि उसकी क्षमता है। अन्य के लिये तय हुआ कि हरियाणा-राजस्थान उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मिलकर नयी ड्रेन की व्यवस्था करें। हरियाणा अपने क्षेत्र में अपने पानी की निकासी की व्यवस्था करे और जो जल उत्तर प्रदेश में उसका आयेगा, हरियाणा उसके लिये धन देगा अभी ड्रेन के निर्माण हेतु। अब हुलवाना छाता के पास निकल कर जा रही है। इसको अगर बंद करेंगे तो स्थिति भयंकर हो जायेगी। मान्यवर, जिला मथुरा एक कटोरे के रूप में है लोग कहते है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था। अगर आप वहां जाँय तो देखेंगे कि जो सटा हुआ जिला है राजस्थान का-भरतपुर-तो आपको दिखाई देगा कि पत्थर का बांध बना हुआ है। वह प्राकृतिक है या लगता है कि किसी ने बनवाया है और जो गाथा है वह यह कहती है कि गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठाया था और उसको खड़ा कर दिया था, यह वही है। 1960 में उत्तर प्रदेश ने सहमति व्यक्ति की कि गोवर्धन को काटकर ड्रेन निकाल दी जाय। वह हुआ अगर वहां जल की निकासी की व्यवस्था नहीं होती, तो अगर 6 इंच पानी भी वहां बरस जाय तो सारा मथुरा जिला का वाटरलागिंग हो जाता है। इसलिये उस ड्रेन की बात थी। तो माननीय सदस्य पुनः उस पर विचार करें और सदन में बात करें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

इस ड्रेन को रखना चाहेंगे या नहीं इसके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

लेकिन माननीय सदस्य बोल रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने अपनी बात रख दी।

श्री कन्हैया लाल--

हमारे नेता कुछ कहना चाहते हों, तो कोई बात नहीं। मान्यवर, मैं पंडित त्रिपाठी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने उस बात को समझा। तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जैसा त्रिपाठी जी ने कहा कि मथुरा जिला कटोरी की मानिन्द है, यह सही है।

[श्री कन्हैया लाल]

सन् 62-63 में जब गोवर्धन ड्रेन बना था, उस समय मैं यहां सदस्य था, मैंने कहा था कि यह गलत बन रहा है। लेकिन मुझे आश्वासन दिया गया था कि मथुरा जिला इससे सरसब्ज हो जायगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। आज भी इसके दो विकल्प हैं। एक तो यह है कि गोवर्धन ड्रेन को रिमाडल किया जाय या लालपुर बांध से छाता होते हुए पानी यमुना में गिरा दिया जाय। उस वक्त जब आप सिंचाई मन्त्री थे मैंने सुझाव दिया था कि पानी लालपुर बांध से छाता होते हुए यमुना में डाला जाय तो समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अब हुलवाना ड्रेन निकल रहा है। गोवर्धन ड्रेन के लिए पहले ही 5 सौ फीट चौड़ी जमीन एक्वायर की गयी थी और अब हुलवाना ड्रेन के लिए इससे दो गुनी चौड़ी जमीन एक्वायर की जा रही है। पहले ही किसानों की काफी जमीन निकल गयी है इससे और भी किसान का नुकसान होगा तो मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि हुलवाना डाइवर्जन ड्रेन को बन्द करें। लालपुर बांध से छाता होकर पानी यमुना में डाल दें।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश को स्वतन्त्र हुए 33 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक शिक्षा की ओर हमारे नेताओं का ध्यान नहीं गया है। इस वक्त जो शिक्षा है, खास तौर से प्राइमरी शिक्षा, श्रीमन, मेरा यह निवेदन है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जो पब्लिक स्कूल, मांटेसरी स्कूल, इंगलिश स्कूल चल रहे हैं यह हमारे संविधान के विरोध में हैं। हमारे संविधान में हर भारतीय नागरिक के बच्चे को अपनी प्रतिभा के मुताबिक बराबर का अवसर मिलना चाहिए और उसकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए आर्थिक संकट नहीं आना चाहिए लेकिन पब्लिक स्कूल, मांटेसरी स्कूल, इंगलिश स्कूलों में गरीब आदमी के बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस ओर ध्यान देकर कोई वास्तविक कदम उठाना चाहिए और पब्लिक स्कूल, मांटेसरी स्कूल, इंगलिश स्कूलों पर बैन लगाना चाहिए या फिर हर बच्चे को वहां दाखिल कराना चाहिए और उसकी फीस सरकार को वहन करनी चाहिए ताकि गरीब आदमी के बच्चे पढ़ सकें।

(सदन में बिजली चली गयी।)

श्री ऊदल—

कहिए क्या हाल है बिजली का।

श्री ब्रह्मदत्त—

आप लोगों की कृपा है।

श्री ऊदल—

अपोजीशन में थे तो बहुत जोर देते थे, अब कहिए क्या हाल है। गांवों का आज यही हाल है।

(बिजली आने पर)

श्री कन्हैया लाल—

अध्यक्षजी महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर हैं उनको बी०टी०सी० के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। आपके कारखानों में मास्टरों का उत्पादन दिन पर दिन हो रहा है, खपत नहीं है कौन-सी यह दुकानदारी है। 10-10 साल से बी०टी०सी० किए हुए लोग चप्पलें चटखाते हुए घूम रहे हैं और हमारी सरकार इनको बढ़ाती जा रही है। अगर यह लोग बी०टी०सी० की ट्रेनिंग न किए होते तो दूसरे धंधों में लग गये होते मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करें या तो बी०टी०सी० स्कूलों को बन्द करें या तो ट्रेंड मास्टर्स को एबजार्ब करें, रोजी दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री वृद्धि नारायण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 1980-81 का बजट जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, मेरा निश्चित मत है कि इस प्रदेश की प्रगति के लिए इससे अच्छा कोई बजट नहीं हो सकता था। आज हमारे विरोध पक्ष के भाई इस बजट के बारे में जो आलोचना करते हैं, वे स्वयं अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें तो उनके मन में यह बात अवश्य ही आयगी कि इससे अच्छा कोई बजट नहीं हो सकता था। सच बात तो यह है कि यह बजट किसानों की प्रगति के लिए, मजदूरों को प्रगति के लिए सोच-विचार कर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बनाया है। मेरा पूरा विश्वास है कि इससे देश के किसानों की प्रगति होगी। मैं इसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह चाहूंगा कि इस बजट में कुछ मेरे क्षेत्र, जो वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील से सम्बन्धित है, उसके लिए कुछ विशेष ध्यान देकर उसके लिए प्राविधान किया जायता कि वहां के मजदूरों और किसानों की सुविधा के लिए कुछ कार्य हो सके। मान्यवर, ज्ञानपुर तहसील का मुख्य व्यवसाय कालीन है।

जैसा कि आप जानते हैं कि यह कालीन का व्यवसाय भारत सरकार के निर्यात से सम्बन्धित है और इससे भारत सरकार को लगभग 75 करोड़ रु0 की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पूरे भारत वर्ष से करीब 140 करोड़ का निर्यात होता है जिसमें से अकेले ज्ञानपुर तहसील 75 करोड़ का निर्यात करती है। यहां पर अनेक टैक्सों के द्वारा, चाहे वे प्रान्तीय हों या केन्द्रीय, लगभग 5 करोड़ की धनराशि यह तहसील सरकार को टैक्स के रूप में देती है लेकिन खेद की बात है कि यहां पर खासतौर से भदोही में, जहां मुख्यतः कालीन का व्यवसाय होता है, वहां की मुख्य सड़क पर नालियों का एक डेड़ फुट पानी बहता रहता है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां का क्रेता यहाँ न आता हो। यहां की दुर्दशा देखकर वह हमारे प्रदेश और सरकार के बारे में क्या विचार रखता होगा? पिछले 3 वर्ष के जनता शासन में भदोही से हमारे जो लोकसभा व विधान सभा के सदस्य थ बहुत लम्बी चौड़ी आलोचन किया करते थे और कहा करते थे कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं भदोही को सोने की भदोही बना दूंगा।

लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उनके शासन में उनके बहुत नजदीकी श्री बनारसी दास जी मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने वादा भी किया कि भदोही का उत्थान करेंगे और भदोही को एक औद्योगिक तहसील के रूप में विकसित करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं किया। आज भदोही तहसील का ढ़ाई लाख मजदूर किस स्थिति में है, उनकी आप दशा देखें तो मालूम होगा। उनके पास कालीन व्यवसाय से थोड़ा बहुत पैसा तो अवश्य है लेकिन यदि कोई बीमार हो तो उसे बनारस ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है।

(इस समय 4 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दुर्गागंज में अगर कोई बीमार हो तो बनारस जाने के लिए कम से कम 8 घंटे चाहिए। यह ज्ञानपुर तहसील काशीराज का अंग थी। उस समय जिले के सभी साधन यहां उपलब्ध थे। यहां जेल थी, पुलिस लाइन थी, सिविल तथा सेशन जज की कोर्ट थी, अस्पताल भी था और आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में प्रदेश सरकार ने उसे कायम रखा है। अगर यहां की सारी की सारी ये सुविधाएं समाप्त होती गयीं और जिले की ओर जाती रहीं तो किसी को अगर एक एक्सरे भी कराना है तो बनारस और इलाहाबाद के अलावा कहीं भी वह साधन उपलब्ध नहीं होगा। मजदूरों को खासतौर से बढ़ावा देने के लिए यहां अस्पताल की व्यवस्था कराई जाय ताकि वे विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में अधिक समय दे सकें और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। बिजली की यहां नितान्त आवश्यकता है। इसके अलावा कालीन के उनके धागे की रंगाई के लिए, कालीन को धोने के लिए पकाने के लिए बिजली व पानी की बड़ी आवश्यकता है।

यदि कालीन के व्यवसाय को आगे बढ़ाना है और इस क्षेत्र की तरक्की करनी है तो जैसे बड़े-बड़े नगरों में बिजली दी जाती है उसी तरह से यहां भी बिजली दी जाय। बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बुद्धि नारायण सिंह]
के साथ-साथ सड़कों के विकास की भी अत्यन्त आवश्यकता है ताकि जो विदेशी आते हैं वे बड़े-बड़े निर्यात को से जहां माल ले जाते हैं वहां छोटे-छोटे लोगों के कारखानों को भी घूम घूम कर देख सकें, इसके लिए लिंक रोड्स की नितान्त आवश्यकता है। इसके अलावा कालीन का प्रशिक्षण केन्द्र यहां खोला जाय जो नये डिजाइन के कालीन बनाने का प्रशिक्षण दे सकें ताकि कालीन उद्योग तरक्की कर सके। इससे मजदूरों का भी भला होगा और निर्यात भी बढ़ेगा। इसके अलावा यहां कच्चे माल की कोई व्यवस्था नहीं है। श्री नारायण दत्त तिवारी जब मुख्य मन्त्री थे और प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं उस समय यहां ऊनी धागे की मिल का यहां शिलान्यास किया गया था लेकिन वह जनता पार्टी की सरकार के समय बनकर तैयार हुई। लेकिन वह मिल सरकारी नियन्त्रण में न चलकर एक पूंजी-पति को दे दी गयी जिसके कारण उसका माल गरीबों को न मिल कर बड़े-बड़े व्यवसाइयों को मिलता है। इस धागे की मिल का निर्माण एक मात्र छोटे-छोटे बुनकरों को माल देने के लिए किया गया था जोकि उनकी उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन के माध्यम से दिया जाता और मध्यम वर्ग के व्यवसाइयों का इससे भला होता। लिहाजा यह सरकार इस मिल को अपने हाथ में ले ले ताकि मध्यम वर्ग के निर्माताओं को और गरीबों व बुनकरों को लाभ पहुंच सके। प्रदेश के अन्दर की मिलों की इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है और उनके द्वारा इतना उत्पादन नहीं होता है जिससे कि भदोही में कालीन के लिए सूती जो ताने की जरूरत होती हैं उनको पूरा सप्लाई हो सके। मैं चाहूंगा कि कालीन के सस्ते निर्माण के लिए वहां एक इकाई और बिठाई जाय जिससे कच्चा माल वहां तैयार हो सके।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन का कार्यालय भदोही में है वह पिछले 3 वर्षों से घाटे में चल रहा है। उसकी कार्य-क्षमता गिर गई है। इसका मुख्यालय कानपुर में अब तक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कारपोरेशन में पुनः सुधार लाया जाय और उसका मुख्यालय कानपुर से भदोही में ही रखा जाय जिससे मध्यम वर्ग के निर्माताओं को उसका लाभ मिल सके।

मान्यवर, हमारे जिले में दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, वाराणसी की स्थापना कांग्रेस के समय में हुई थी। लेकिन खेद की बात है कि इस चीनी मिल की पिछले तीन वर्षों में काफी दुर्दशा हो गयी है जिससे इसको अन्यत्र लगाने की बात चली थी किन्तु विशेषज्ञों ने अपनी राय दिया था कि इसको अन्यत्र ले जाने में 9 लाख रुपया का खर्चा है जिससे जनता सरकार ने इस चीनी मिल को यहीं रहने दिया था। मैं मुख्य मन्त्री से आग्रह करूंगा कि इस औराई चीनी मिल के उत्थान के लिए विशेष सहायता प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार से दिलाएं जिससे उसकी क्षमता बढ़ाई जा सके। इस चीनी मिल की उत्पादन क्षमता घटने का मुख्य कारण यह था कि गन्ना उत्पादन के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकीं। सिंचाई के लिए जो साधन पिछली कांग्रेस सरकार ने बनाया था जैसे ज्ञानपुर पम्प कैनाल जिसके लिए धन भी आवंटन किया गया था लेकिन पिछले 3 वर्षों में इस कैनाल पर कुछ खास कार्य नहीं हुआ है। इसलियनिवेदन है कि किसानों के हित के लिए इस कैनाल का निर्माण कार्य पुनः कराया जाय लेकिन इसके पूर्व उन गांवों की चकबन्दी करा ली जाय जहां से होकर कैनाल निकलेगी। वहां की जमीन का मूल्य अधिक है जिससे किसान अपनी जमीन देने में बाधा उत्पन्न करेंगे और कहेंगे कि उसका रास्ता बदल दिया जाय। इसलिए अच्छा होगा कि वहां चकबन्दी करके नहर बने। मान्यवर, गोपीगंज, भदोही, ज्ञानपुर, खमरिया आदि में कालीन व्यवसाय के कारण दूर-संचार की बहुत आवश्यकता है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों बार ट्रंकाल टेलीफोन 'जर्मनी, स्वीटजरलैंड, अमेरिका आदि देशों से सम्पर्क करने के लिये करने पड़ते हैं लेकिन वहां "दूर संचार" व्यवस्था इतनी दुर्लभ है कि इसके जरिए से बनारस और इलाहाबाद से भीसम्पर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए व्यवसाय के हित में प्रदेश सरकार भारत सरकार से अग्रह करे कि वहां की दूर संचार की दुर्व्यवस्था को दूर करें।

मान्यवर भदोही में 6 टाउन एरियाज और एक नगरपालिका है जिसका नियन्त्रण परगना अधिकारी करते हैं लेकिन समयाभाव के कारण उनको मुकदमों को देखने तक का समय नहीं है। इसलिए निवेदन है कि वहां एक अतिरिक्त एस0डी0एम0 की पोस्टिंग की जाय जो जनता के न्याय के कार्य को तेजी से निपटा सकें।

मान्यवर, कोइरौना थाना व रोही पुलिस चौकी के स्थापना की घोषणा की गई थी लेकिन अभी तक उसकी स्थापना नहीं हुई है इसलिए निवेदन है कि वहां चौकी की स्थापना तुरन्त की जाय जिससे वहां के लोगों की सुरक्षा हो सके।

अन्त में मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं कि आप ने इतना समय देकर हमारे क्षेत्र की बातों को आपके सम्मुख रखने का अवसर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान बारम्बार इस ओर आकृष्ट करूंगा कि इस तहसील के मजदूरों, व्यवसायियों, मध्यम वर्ग के लोगों की तरफ, उनके भले के लिए, इस तहसील के उत्थान की तरफ ध्यान दिया जाय। यहां के उत्थान से इस देश और प्रदेश दोनों का लाभ है। यहां के जो ऐसे कार्य हैं वे विदेशी मुद्रा से विशेष रूप से संबंधित हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और वर्तमान बजट का मैं पुनः समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि इस बजट से इस प्रदेश की प्रगति होगी।

श्री मारकण्डेय चन्द्र––

अध्यक्ष जी, मैं बड़ा आभारी हूं कि आप ने बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं ऐसे समय में आप के समक्ष अपनी बातों को कहने के लिए खड़ा हुआ हूं जब इस माननीय सदन के नेता उपस्थित हैं।

मान्यवर, इस बजट के विस्तार में न जाकर के सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया है उसके प्रथम पृष्ठ के अन्तिम प्रस्तर की तरफ मैं आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं और इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट भाषण क्या है और उसके अन्दर असलियत क्या है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रथम पृष्ठ के अन्तिम प्रस्तर में लिखा है "श्री राज्यपाल के 3 जुलाई, 1980 के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्पष्ट किया गया था। सारांश में सरकार के संकल्प के कुछ प्रमुख अंक इस प्रकार हैं सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और उसी में क्षेत्रीय असंतुलन में कमी करना। मान्यवर, इसी संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की बात कही गयी है। मैं ऐसी आश्चर्यजनक बात इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि आजादी के 32 वर्ष के बाद भी शायद आप इस की कल्पना नहीं करेंगे कि इस उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी भी विधान सभा का क्षेत्र होगा जिसकी एक इंच भूमि पर पक्की सड़क न हो, जिसकी एक इंच भूमि पर सिंचाई का साधन न हो, जिसके एक पूरे ब्लाक जिसमें 80 गाँव सभायें हों और 82 हजार लोग हों, खेती के लिए राज्य सरकार ने आज तक एक इंच भूमि पर सिचाई की व्यवस्था नहीं की हो, एक इंच कंकड़ न रखा हो। वह क्षेत्र गोरखपुर का बदनसीब धुरियापार है। बांसगांव तहसील के चार क्षेत्र है जिसकी एक इंच भूमि पर रेल लाइन नहीं है जिससे यह सिद्ध होता है कि वहां बस के अलावा और कोई साधन नहीं है। जहां एक इंच भूमि पर कंकड़ न रखा हो वहां पर 32 वर्ष के बाद भी रिक्शे पर चलने की आप कल्पना कर सकते हैं? 32 वर्ष तक हमने घोर अन्याय का मुकाबला किया है। हमें विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सदन के नेता है, गांधीवादी विचारधारा से ओत प्रोत होने के नाते इनकी समान दृष्टि इस उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने पर पड़ेगी।

[श्री मारकण्डेय चन्द्र]

मान्यवर, मैं आपसे अर्ज करूं कि माननीय सदस्यों को यह सोचना होगा कि बजट का निर्माण इस विधान सभा में, इस सचिवालय के सदस्यों या मंडलीय स्तर पर, जिल स्तर पर, गांवों में होता है। अभी तीन चार दिन पहले हमारे सामुदायिक विकास मंत्री जी ने विकास आयुक्तों की बैठक में कहा, निर्देश दिया, कि गांवों की योजनायें मंडलीय स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर करें लेकिन मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि राज्य सरकार ने अगर उन क्षेत्रों को मान्यता दी है वहां पर भी विकास खंड की स्थापना की गई है लेकिन जो वहां के खंड विकास अधिकारी हैं, जिला नियोजन अधिकारी है, पी0 डब्लू0 डी0 और सिंचाई विभाग के इंजीनियर हैं वे वहां की योजनाओं को कट कर देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद के लिये जो योजनायें बनाई गई हैं उनसे गोरखपूर का कोई सम्बन्ध नहीं रखा गया है, कोई जानकारी नहीं रखी गई। बल्कि शासन के मंत्री जो यहां बैठे हुये हैं वे यहीं बैठकर वहां से अधिकारियों को बुला लेते हैं और यहीं पर योजनायें बना लेते हैं। गोरखपुर जनपद में 5 टाउन एरिया है और कोई टाउन एरिया ऐसी नहीं है जहां की सड़क एक इंच भी पक्की की गई हो। गोला बाजार से गोरखपुर आने के लिये 22 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। एक इंच भी सड़क नहीं पक्की की गई है। खन्ड 6 जो बजट पूंजी परिव्यय के ब्योरे वार अनुमानों को दिखाता है उसमें अनुदान संख्या 104 को मैंने देखा है। उसको देखकर मुझे मालूम हुआ कि जो 15–20 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि यह पैसा कैसे खर्च होगा।

अनुदान सख्या 104 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत गोरखपुर जनपद के लिये जो विभिन्न सड़कों के नामों का उल्लेख किया गया है और विभिन्न है पृष्ठों जैसे 244, 245, 308, 312 आदि में सड़कों का नाम लिखा है कि फलां-फलां सड़क पर खर्च किया जायेगा, इसका मैं कोई विशेष महत्व नहीं समझता हूं। इससे आप सहज कल्पना कर सकते है। आपने वहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की है क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ता है। 40 किलोमीटर तक चलकर लोग डीजल और मिट्टी तेल के लिये मुख्यालय पर आते हैं। म आपके माध्यम से मुख्य मत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे अपने बजट में विहंगम दृष्टि डालें और यह देखें कि किस क्षेत्र में कितनी विकास योजनायें लगी है। 3–4 साल के समय को छोड़कर 32 वर्ष के शासन काल में सम्पूर्ण समय आप के ही कांग्रेस दल के पास था। किसी कारण से मैं 25–30 साल से आपकी पार्टी में था किन्तु कुछ नहीं दिखाई दिया। उन लोगों की जिम्मेदारी थी, सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है जिन्होंने संकल्प किया है कि हम इस देश में राम राज्य की स्थापना करेंगे तो उस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए।

मान्यवर, एक दूसरी रूपरेखा मैं आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। वहाँ पर घाघरा नदी के तट पर बसे गांवों की भूमि की सिंचाई के लिये पम्प केनाल की व्यवस्था की बात बहुत दिनों से चली आ रही है लेकिन इस वर्ष भी उसके लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यह जानकर मुझे निराशा हुई। सौभाग्य से माननीय सिंचाई मंत्री जी मेरे ही जिले के है लेकिन उनकी दृष्टि उस क्षेत्र में नहीं गई है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वें इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखें। वहां के लगभग 232 गांवों के लोग मालगुजारी देते है, टैक्स देते हैं, जो हिन्दुस्तान पर विदेशों का कर्जा होता है उसका कुछ हिस्सा वहां की जनता पर भी लगता है। उनके ऊपर भी वह कर लगता है लेकिन वह किसी लाभ के हकदार नहीं है। मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से विशेषरूप से निवेदन करूंगा उन्हें शायद विश्वास न हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मानचित्र में ऐसा इलाका है जिसे इन 32 वर्षों के बाद भी आजादी के सूर्य के दर्शन नहीं हुए। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकें तो उनका यह सौभाग्य होगा।

अब मैं थोड़ा सा सहकारिता के संबंध में निवेदन करूंगा क्योंकि सहकारिता मंत्री जो नियोजन मंत्री भी है यहां पर बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसा काम हुआ है कि जो गांवों में साधन सहकारिता समितियां हैं जिसके गरीब लोग सदस्य है वह किसानों को उरवर्क देने के लिए बैंकों से हायपोथिकेट करके ऋण लेती है और पी0 सी0 एफ0 उनको उरवर्क देता हैं। पहले ऐसा होता था कि किसान सीधे समितियों से उर्वरक ले लेता था लेकिन अब चेक लेकर वह पी0 सी0 एफ0 में जाते है और उसके पास चेक जमा कर देते हैं पी0 सी0 एफ0 सीधे बैंक से रुपया ले लेता है और तब से गरीब किसान को ब्याज देना आरम्भ हो जाता है लेकिन खाद उसे 4 महीने बाद मिलती है तो इस तरह से सहकारिता आन्दोलन निर्बल होगा और उससे लोगों को लाभ नहीं होगा।

मैं सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रिजर्व बैंक ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि हिन्दुस्तान में कोई दूसरी संस्था नहीं है केवल इस प्रदेश का सुपरवाईजर है जिसे बैंक वेतन देता है, लेकिन उसका नियंत्रण चपरासी की हैसियत से नहीं कर सकते हैं। उसका वह काम लखनऊ में बैठे पी0 सी0 यू0 के लोग करते है। और वह मनमाना काम करते है। कहते है कि सुपरवाईजर ने लूट लिया तो उसका नियंत्रण लखनऊ से होता है जबकि उसका संबंध जिले से है और उसका वेतन देता है बैंक। तो इस पर मंत्री जी को विशेष ध्यान देना होगा।

मान्यवर, लघु उद्योग की भी चर्चा की गई लेकिन मैं उस क्षेत्र के बारे में कहूंगा जहां पर तिनका भी नहीं बनता, वहां पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है तो उद्योगों की कल्पना कैसे की जा सकती है। मेरा समय समाप्त हो रहा है माननीय नेता सदन यहां पर उपस्थित हैं मैं कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में जहां 32 वर्ष तक कोई काम नहीं हुआ है अगर यह सच नहीं होगी तो कुछ और वर्षों तक उपेक्षित रह सकता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस 32 वर्ष के कलंक को आप धोयेंगे और वहां के लोगों को न्याय मिलेगा। आप गांधी वादी विचारधारा के हैं तो आप उनको न्याय दिलायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने ऐसे समय में अपनी बात कहने का मौका दिया जब माननीय नेता सदन यहां पर उपस्थित है। मुझे विश्वास है कि मेरी बातों पर वह ध्यान देंगे और वहां का सर्वेक्षण करायेंगे अगर मेरी बात सच नहीं होगी तो वह फिर अन्याय बरदास्त करने के लिए तैयार होंगे। मेरा पुनः विश्वास है कि आप अपनी विचारधारा से ओतप्रोत होकर वहां का सर्वे करायेंगे। मैं अन्त में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन के सभी सदस्यों को पहले मैं नमस्कार करता हूं उसके बाद पूरी सभा को मेरा नमस्कार है, मोहन सिंह जी को भी मेरा नमस्कार। श्रीमन् मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने आय-व्ययक पर चर्चा करने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जो आज बजट सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका मैं पूर्ण तया हर प्रकार से समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं ऐसे कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिसमें न व्यय बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि इस पूरे सदन के लोग उसमें हमारा समर्थन करेंगे। (व्यवधान) आप कृपा करके सुने। मोहन सिंह जी आप सब सुनिये। मान्यवर, मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि आय व्ययक पर सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैंने जो पढ़ा और जो मैंने देखा इसको, जो मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत है, इतने अल्प समय में जो भी यह आय व्ययक उन्होंने प्रस्तुत किये हैं, मैं समझता हूं कि इतने कम समय में इतना अच्छा आय-व्ययक प्रस्तुत करना कठिन है किसी दूसरे के लिए। एक चीज और है, जिस पर किसी का ध्यान जाता नहीं है। जो भी हमारा आय-व्ययक प्रस्तुत है उसके अनुपालन पर हमें ध्यान देना है। यह ठीक तरह से हो जाए तो हमारे प्रदेश की समस्या हल हो सकती है। मुझे

[श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी]

एक सुझाव यह देना है आप सब लोग इसको देखें कि यह सरकार जबसे आई है, इसके दो-तीन कामों को आप देखें, जिसको बहुत शीघ्रता से इन्होंने किया है और जिससे लोगों को राहत मिली है। लड़कों की परीक्षा जो बहुत विसंगत में आ गई थीं, वह समय पर करा दी गई हैं और भी परीक्षाएं जो हुई हैं, वह लगभग शान्तिपूर्वक बीती हैं। यह इस सरकार की एक उपलब्धि तो है ही।

दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं, अपराध की स्थिति में हम यह नहीं कहते कि इसमें कोई बहुत बड़ा सुधार हो गया है, लेकिन बहुत कुछ अपराधों में कमी अवश्य आई है। इसी तरह से अगर सदन का सहयोग रहा तो सभी काम पूरे होते रहेंगे। (व्यवधान) आप सुनें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो मैं कभी नहीं बोला मेरी बात सुनो थोड़ी देर में आप बहुत प्रसन्न हो जायेंगे। पहला सुझाव मेरा यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में, उसी आय व्ययक के अन्तर्गत मेरे कुछ सुझाव है। सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे यहां पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत दिनों से चर्चा हुई और गोरखपुर में एक ही यूनिवर्सिटी है, जो मान्यता भी देती है और पढ़ाई का भी काम करती है। उस पर बोझा बहुत ज्यादा गया है। इस सदन के बहुत से सदस्य अपनी इच्छा जाहिर कर चुके है कि एक वहां पर पूर्वांचल में यूनियवर्सिटी अवश्य होनी चाहिए। लेकिन अब तक यह नहीं हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आजमगढ़ जिले में, जहां न कोई फैक्ट्री है और न मिल है और जहां पर 35 लाख आदमी रहते है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वहां पर अवश्य ही बनाई जाए। इस संबध में जहां तक खर्च का सवाल है, मेरा अनुमान है कि इसी खर्चे से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का व्यय वहन हो जाएगा। मेरी समझ से यदि दो विभाग तोड़ दिये जायें मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रदेश में राज्यपाल की क्या आवश्यकता है। इसलिए एक तो मेरा सुझाव यह है कि राज्यपाल का सचिवालय समाप्त किया जाय, दूसरे जो प्रदेश में कमिश्नर्स है उनके पदों को और कार्यालयों को समाप्त किया जाय। इससे जो बचत होंगी उसको इसमें लगाया जाय।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें हैं ये इतनी असंतोषजनक है कि इन दोनों की ओर देखना बहुत ही जरूरी है। मेरा यह भी सुझाव है कि डी0 आई0 जी0 के कार्यालयों को तोड़ा जाय।

(विपक्ष की ओर से श्री कुबेर के खड़े होकर पर्चा दिखाते हुए कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

यदि वे बैठ जायं और आपको बोलने का अवसर दें तो आप बोलें, अन्यथा बैठ जायं ?

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि प्रदेश में डी0 आई0 जीज के कार्यालय तोड़े जायं और इनके पदों को समाप्त करके इन्हें सतर्कता विभाग में लगा दिया जाय।

आज शिक्षा जगत में जो विसंगति और परेशानी पैदा हो गयी है, उनको दूर करने के लिए मेरा सुझाव है कि मौजूदा शिक्षा पद्धति को समाप्त किया जाय। यदि इस पद्धति को समाप्त करने की यह सदन इजाजत देता है तो प्रदेश की बहुत कठिनाई दूर हो जायगी और शोर शराबा और परीक्षाओं के दिनों में दिक्कत आती है, वह भी समाप्त हो जायगी। मेरा सुझाव है कि पत्राचार की पद्धति को लागू किया जाय, इससे उनका काम चल जायगा।

एक बात की ओर अगर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान दें तो उससे प्रदेश को बहुत बड़ी राहत हो जायगी। सीमेंट और चीनी पर से अगर वे कन्ट्रोल तोड़ दें तो प्रदेश के लोगों को बहुत राहत हो जायगी। इसके वितरण व्यवस्था में चाहे

कुछ भी प्रबन्ध करें कोई सफलता नहीं हो पा रही है। हमारी जनता उस परेशानी को बर्दाश्त कर लेगी अगर हिम्मत करके यह सरकार चीनी और सीमेन्ट पर कन्ट्रोल तोड़ देंगे। इससे बहुत बड़ा काम आपका हो जायगा।

आज प्रदेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हों चाहे वे शारदा सहायक हो या चाहे और कोई हो। वहां पर आधा सीमेन्ट विभाग के अधिकारियों और जूनियर इंजीनियर्स के माध्यम से काम में नहीं लग रहा है। सीधे चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी से चल कर सीमेन्ट बीच में ही बिक जाती है। एकबार हम हिम्मत करके इस कन्ट्रोल को तोड़ें, अगर इस को तोड़ते है तो सारी समस्यायें समाप्त हो जायेंगी। हमारे जिले में शारदा सहायक से बड़ा ही लाभ हुआ है, इसमें बड़ा ही काम हुआ है लेकिन ये जो नये–नये महकमें खुले हुए हैं, अगर हो सकें तो इसमें हर एक में एक–एक पुलिस के अफसर को विजीलेन्स के लिए वहां पर बैठा दिया जाय ताकि प्रबन्ध ठीक से हो सके। हमारा देश और प्रदेश बौद्धिक पुष्टि से काफी आगे बढ़ा है और जो परेशानी और अनुशासनहीनता इसी बौद्धिक उन्नति के नाते हम चाहेंगे आपके माध्यम से, हम सब परोपकार और जनकल्याण की भावना से यहां पर बैठे हुए हैं, चाहे इधर के हों और चाहे उधर के सबका काम भगवान की पूजा करने का है। हमारा जीवन भगवान की पूजा करने का भी है, लेकिन आहार और खाना-पीना हमारा इतना दूषित हो गया है जिसके कारण आज यह चीज देखने को मिल रही है। (व्यवधान)

एक चीज में यह चाहता हूं, कि भारत भूमि पर गोवध बन्द हो। इस प्रदेश में तो बन्द है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में बन्द होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी प्रदेश के सांसदों की मीटिंग बुलायें और उसमें मुझे भी बुलायें, और हमारी तरफ से यह मांग भारत सरकार से की जाये कि गोवध पूरी तरह पूरे भारतवर्ष में बन्द हो। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने किसी न किसी रूप में मेरी बात को सुना। मैं इस बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

अब आय व्ययक पर सामान्य चर्चा स्थगित होती है। इस पर कल चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष––

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें आयी हैं जिनमें एक श्री रियासत हुसैन की सूचना जो दिनांक 16–7–80 को पंडित छोटे लाल निवासी भीकमपुर थाना बिलसी जिला बदायूं की हत्या के सम्बन्ध में है को मैंने स्वीकार किया है, शेष सूचनाएं अस्वीकृत की गयी है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

एक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण था, 400 छात्रों को पीटा गया।

श्री अध्यक्ष––

एक दिन में एक ही स्वीकार हो सकती थी। आप बैठिये। सभी माननीय सदस्यों की सूचनाएं महत्वपूर्ण है, पर मेरी भी मजबूरी है, मैं एक ही स्वीकार कर सकता हूं।

श्री रियासत हुसैन––

वक्तव्य कब होगा ?

श्री अध्यक्ष––

7 तारीख को इस पर वक्तव्य होगा।

एक सदस्य––

हमने भी एक नियम 51 के अन्तर्गत दिया था।

श्री अध्यक्ष––

आप कृपया बैठें।

उत्तर प्रदेश से नागालैण्ड को हथियारों और कारतूसों की आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

माननीय विधायक की प्रश्नगत सूचना के संदर्भ में जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके इस कथन को पुष्टि नहीं होती है कि बड़े पैमाने पर हथियारों और कारतूस इत्यादि की सप्लाई नागालैण्ड को उत्तर प्रदेश से विशेष तौर से लखनऊ से की जा रही है। मेरठ जिले को छोड़कर प्रदेश के किसी जिले से नागालैण्ड को हथियारों अथवा गोलाबारूद की कोई पूर्ति नहीं की गयी है। मेरठ जिले के लाइसेंस शुदा आग्नेयास्त्रों के विक्रेताओं द्वारा डिप्टी कमिश्नर, कोहिमा (नागालैण्ड) द्वारा जारी किये गये परमिट के आधार पर नागालैण्ड के निवासियों को 200 कारतूस अथवा डिप्टी कमिश्नर, टयुएनसांग (नागालैण्ड) द्वारा जारी किये गये परमिट के आधार पर 18 बन्दूकें बेची गयीं। इसके आलावा, जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने नागालैण्ड के आग्नेयस्त्रों के विक्रेताओं को मेरठ जिले के लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्रों के विक्रेताओं द्वारा 5 बन्दूकें बेचे जाने हेतु परमिट दिया। जहां तक लखनऊ जिले का प्रश्न है, गत जून के प्रथम सप्ताह में जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को यह सूचना मिली थी कि नागालैण्ड के कुछ निवासी लखनऊ जिले के आग्नेयास्त्रों के विक्रेताओं से गोला बारूद खरीदने आये हुये हैं। सूचना मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने इस मामले की जांच नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा कराई। नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा जांच किये जाने पर पाया गया कि 2 जून, 1980 को नागालैण्ड के दो निवासी गोला बारूद खरीदने हेतु डिप्टी कमिश्नर, मोकोकचुंग द्वारा जारी किये गये कुछ परमिट लेकर आये थे। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा इन व्यक्तियों के परमिट एवं संबंधित कागजात संदिग्ध पाये जाने पर ले लिये गये और परमिटों की सत्यता के विषय में जिला अधिकारी, मोकोकचुंग (नागालैण्ड) से पूछताछ की गयी। जिला अधिकारी, मोकोकचुंग (नागालैण्ड) से सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः इन व्यक्तियों को परमिटों के विरुद्ध कोई गोला बारूद खरीदने नहीं दिया गया। इस संबंध में नागालैण्ड के संबंधित अधिकारियों से जांच चल रही है।

2—प्रदेश में आग्नेयास्त्र बनाने के कारखानों तथा प्रदेश की पुलिस, पी0 ए0 सी0 तथा अर्ध सैनिक संगठनों द्वारा स्थाई ठेकेदारों के माध्यम से नागालैण्ड को हथियारों एवं कारतूसों आदि की आपूर्ति किये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

3—संक्षेप में राज्य सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार, मेरठ जिले के अलावा प्रदेश के किसी जिले द्वारा नागालैण्ड को हथियार अथवा गोला बारूद की पूर्ति नहीं की गयी है। फिर भी मामले की महत्ता को देखते हुये, इस संबंध में पूर्ण जानकारी के लिये अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही साथ प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों तथा जिला पुलिस अधीक्षकों को इस दिशा में सतर्क रहने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिये गये हैं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि जिन परमिटों के आधार पर मेरठ में 18 बन्दूकें दी गयीं थी लखनऊ में जो लोग पकड़े गये, जिनके पास परमिट पाये गये, उनमें यह लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान से हथियार लेने की इनको इजाजत दी जाती है? यदि हां, तो इस संबंध में जिससे यह स्पष्ट होता है कि नागालैण्ड और इंडिया दो अलग-अलग कन्ट्री हो जाते हैं, इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री ब्रह्म दत्त—

जब कहीं भी किसी को यह दिया जाता है, तो लाइसेंसिंग एथारिटी फार्म नं0 20 में ट्रांसपोर्ट लाइसेन्स देता है। ट्रान्सपोर्ट लाइसेन्स का एक प्रोफार्मा होता है।

श्री रियासत हुसैन—

जो कोहिमा के डिप्टी कमिश्नर का परमिट जारी हुआ था, उसमें इंडिया या भारत अलग से लिखा हुआ था या इन्क्वायरी विदिन कन्ट्री इस तरह की क्या सूचना थी ? मेरा तो यह प्रश्न है। प्रोफार्मा के अन्दर किस किस्म की क्या सूचना थी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

उसमें जो लेटर इशू किया गया था, उसमें लिखा था, अंग्रेजी कुछ गलत लिखी थी। "वी हैव दि आनर दि कादूंडली एलाऊ फार परपजेज एण्ड एमुनिशन कवर्ड फार दि फालोइंग "ए" लाइसेंस विदिन आसाम एण्ड इंडिया।"

श्री अध्यक्ष—

इसकी हिन्दी अनुवाद कर दीजिए।

श्री ब्रह्मदत्त—

यह अंग्रेजी जरा गलत लिखी हुई है। इसकी हिन्दी यह है 'हम आज्ञा देते हैं निम्न-लिखित शस्त्रास्त्रों को खरीदने की जो लाइसेंस के अन्तर्गत है, आसाम और भारत के अन्दर।"

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, उस लेटर के अन्दर क्या आसाम इंडिया से अलग चीज है ? आसाम इंडिया का खुद एक पार्ट है। इसमें लिखा आसाम एण्ड इंडियाज है, तो इस संबंध में भारत सरकार से अपने कोई लिखित पढ़त में कोई चीज रिफर किया है कि कोई इन्क्वायरी वगैरह कोई चीज होगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, इस संबंध में एक भ्रम है, मैं उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह जो चिट्ठी है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह गलत है यह आसाम के दो निवासियों की ओर से है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि परमिट एलाऊ कर दिया जाए। उसमें शब्द एलाऊ लिखा हुआ है, यह ऐप्लीकेशन वहां के दो आदमियों की तरफ से दी गयी है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर, श्री टुयुएनसांग ने सिर्फ एलाऊ शब्द लिखकर मोहर लगा दी है। ऐसा कुछ सरकार की ओर से नहीं लिखा गया है।

श्री धरमपाल सिंह—

मान्यवर, एक संदेश यह भी है कि जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने नागालैण्ड के अग्नेयास्त्रों के विक्रेताओं को मेरठ जिले के लाइसेंसशुदा अग्नेयास्त्रों के विक्रेताओं द्वारा 5 बन्दूकें बेचे जाने हेतु परमिट दिया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिलाधिकारी, मेरठ यह जानते है कि जिन व्यक्तियों को इन पांच बन्दूकों के खरीदने के लिए लाइसेंस ईशू किये गये, वे व्यक्ति विश्वसनीय और अधिकृत व्यक्ति थे और उनके परमिट भी अधिकृत थे। अगर वह अधिकृत नहीं थे तो जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, जो मुझे जानकारी मिली है, उसके अनुसार परमिट अधिकृत थे और वह आदमी भी अधिकृत थे, परन्तु किन्हीं कारणों से जब अधिकारीगण को शंका हुयी तो उनकी जांच की गयी, तो वे उसे छोड़कर भाग गये। इस पर जांच अभी भी हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब समय समाप्त हो गया। पांच बजे के बाद बागपत में हुए काण्ड पर चर्चा होगी। इसी संबंध में पिछले दिन माननीय मोती लाल देहलवी साहब बोल रहे थे, इसलिये वे आज भी बोलेंगे इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह 11-7-80 को भी इस पर काफी बोल चुके हैं। इसलिए अब कम समय लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बागपत, जिला मेरठ में पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या एवं एक महिला के साथ कथित बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)†

श्री मोती लाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय, कुछ कहने से पूर्व श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी जो कुछ दिन पूर्व इधर बैठती थीं, तब इनकी क्या राय थी इस प्रदेश की जनता के लिए और उस समय की सरकार के लिए। और अब सौभाग्य से कांग्रेस सरकार की मंत्री बन गयी हैं, मैं इनके एक 29 जनवरी, 1980 के भाषण को आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। मान्यवर, इन्हों ने अपने भाषण में कहा था कि उत्तर प्रदेश की उन करोड़ों महिलाओं की ओर से उन माताओं और बहनों की ओर से, जिनकी गोद में छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो रात में भूखे सो जाते हैं। मैं उनकी तरफ से यह मांग करती हूं कि यह सरकार तत्काल इस्तीफा दे क्योंकि यह सरकार ठीक ढंग से सरकार नहीं चला पा रही है ठीक से कानून और व्यवस्था को कायम नहीं कर पा रही है। मान्यवर, आगे चलकर उन्होंने कहा था कि जिस सरकार को यह नहीं मालूम कि उसकी सम्पूर्ण नीतियां सारे कार्यक्रम, सारी योजनाएं डांवाडोल हो रही हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस सरकार को अब इस्तीफा देना बहुत जरूरी है ताकि जनप्रिय सरकार तुरन्त बन सके। और आगे उन्होंने कहा था कि इस मंच से मैं इस सरकार पर इल्जाम लगाती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। अभी कुछ ही दिन हुए जो किस्सा हुआ है देवरिया में, नारायणपुर काण्ड। मान्यवर, 28 जनवरी को यहां प्रस्तुत हुआ था नियम 52 में तथा एक कामरोको प्रस्ताव के अन्तर्गत। मान्यवर, उस समय श्री गुलाब सेहरा जी उस समय कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता थे और सौभाग्य से इस बार भी कांग्रेस के विधायक हैं, मैं उनकी बात को कह रहा हूं। उन्होंने 28 जनवरी को इस माननीय सदन में कहा कि यह कितने शर्म की बात है कि पुलिस जो हमारी रक्षक होती है वही भक्षक हो गई। श्री सुरेन्द्र मिश्र हमारे मित्र हैं, उन्होंने फोन पर हमको बताया कि 10-11 वर्ष की बच्चियों से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं तक के साथ बलात्कार किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी यह प्रदेश के शासन के लिये लज्जा की बात और कलंक की बात है। इसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिये मैं चाहूंगा कि जुडीशियल इंक्वायरी सेटअप करें। जिन लोगों ने रक्षक से रूप बदल कर भक्षक बने हैं उनको सस्पेंड किया जाना चाहिये जिससे इस तरह का कांड दुबारा न हो। रक्षा करने वाले इज्जत लूटें इससे ज्यादा निन्दा और लज्जा की बात नहीं हो सकती है। नैतिक उत्तरदायित्व आपका इतना है कि शासन से आपको तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये। मान्यवर, जब लोक दल की सरकार ने जुडीशियल इंक्वायरी की घोषणा कर दी थीं। इसी माननीय सदन में उसके बाद प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा नेहरू गाँधी के पुत्र स्वर्गीय संजय गांधी ने अमौसी हवाई अड्डे पर पत्रकारों को एक बयान दिया कि जनपद देवरिया के नारायणपुर काण्ड के सिलसिले में देवरिया में जज द्वारा जो जांच करने की घोषणा की गई है वह बेमतलब है और जनता को इसमें विश्वास नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। स्वर्गीय संजय गांधी अब नहीं हैं। मृत आत्मा की चर्चा चलाना और उसके बयान को बहस का विषय बनाना क्या वैधानिक है? इस आत्मा के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या वह आलोचना का विषय हो सकता है?

---

†11 जुलाई, 1980 की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने 2–3 बयान का उद्धरण दिया है और उद्धरण किसी भी बयान का दिया जा सकता है चाहे वह मौजूद हो, चाहे स्वर्गीय हो। केवल उद्धरण दिया है और उसके सम्बन्ध में कोई चर्चा उन्होंने नहीं किया है। माननीय मोतीलाल जी इस पर केवल 75 मिनट की चर्चा है आप 22–24 मिनट बोल चुके हैं। इस पर सदन के बहुत से लोगों को बोलना है कृपया इसका ध्यान रखें।

श्री मोती लाल देहलवी—

यह कितनी लज्जास्पद और शर्मनाक घटना बागपत में 18 जून को हुई है। जब माया त्यागी अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने जा रही थी। और मान्यवर, कार के पंचर होने की वजह से पंचर बनवाया जा रहा था। उस समय मान्यवर, एक सादे पोशाक में सिपाही आता है और माया त्यागी के उरोजों पर हाथ रख कर अश्लील बात कहता है तब माया त्यागी को प्रतिकार करना पड़ा। इस पर उन्होंने अपने पति ईश्वर त्यागी को आवाज दी जो उस समय एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। उसकी गलती केवल इतनी थी कि उसने आकर उस सिपाही से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया और तब उस सिपाही ने सिपाहियाना लहजे में उत्तर दिया तो उसने एक थप्पड़ सिपाही के मार दिया। इसके बाद उसने थाने में आकर झूठी शिकायत करके कि डकैत आयें हैं, बैंक लूटने के लिए पुलिस फोर्स ले आया। आप सभी लोक विवेक से समझ सकते हैं कि कुल 5 आदमी, माया त्यागी को लेकर दिन दहाड़े बैंक लूटने आयेंगे ?

(शोर)

मान्यवर, क्या यह सम्भव है कि जो बैंक लूटने के इरादे से आयगा अपने साथ कार में स्टेपनी लेकर नहीं आयेगा ? यह कितनी झूठी बात है। मुख्य मंत्री ने थोथी दलील को अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किया है। दूसरी बात मान्यवर, जो लोग डकैती के इरादे से आयेंगे वे कभी ऐसी महिला को साथ में लेकर नहीं आयेंगे जो अस्त्र चलाने में प्रवीण न हो। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान में और माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार ने और वहां के विधायकों ने, वहां के जिन-जिन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बयान दिये हैं किसी ने भी इस बात को नहीं कहा है कि माया त्यागी ने कोई रिवाल्वर, पिस्तौल या बन्दूक चलायी थी। किसी ने नहीं कहा। मान्यवर, यह सम्भव नहीं है कि कोई डकैती करने के इरादे से आये और ऐसी महिला को लेकर आये जो अस्त्र का प्रयोग न जानती हो। अपनी इज्जत की सुरक्षा करना न जानती हो ? किसी ने नहीं कहा कि वह नंगी नहीं की गयी, उसे नंगी थाने तक नहीं ले जाया गया। मान्यवर, उसका कोई दोष नहीं था, उसको नंगी कर के पुलिस वाले थाने तक ले जाने लगे तो अपनी लाज को बचाने के लिए अपने हाथों का सहारा लिया। मान्यवर, वह लेट गयी। लेटने के बाद उस अबला पर, उस अबला नारी पर, नारी राज्य में, लाठियां बरसायी गयीं। मान्यवर, जबरदस्ती खड़ा किया गया। वहां पर जितने लोग थे, शर्म से अपनी गर्दन झुका कर भाग गये। सिर्फ पुलिस रह गयी और पुलिस वाले उस को जबरदस्ती लेकर के चल दिये थाने की तरफ। उसकी जांघों से धूल भरी हुई थी। उसकी दोनों जांघों से खून बह रहा था क्योंकि जब वह महिला बैठी तो उसकी जांघों को फैलाकर उसके गुप्तांग में बांस का डंडा डाल दिया। ऐसी हालत में थाने ले जाया गया। थाने में उसके साथ कई पुलिस वालों ने बलात्कार किया। जो डाक्टरी रिपोर्ट भी कहती है।

एक सदस्य—

यह इनकी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप किसी की बात को दोहरायें नहीं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

इस तरह की बात हुई। अगर इस सरकार में जरा भी शर्म है, गैरत की बात है तो जितने भी संबंधित पुलिस कर्मी हैं उनको जेल भेज देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन पुलिस कर्मचारियों को तत्काल निलम्बित करके जेल भेज देना चाहिए।

*श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, इस बागपत काण्ड को लगभग डेढ़ महीने होने जा रहा है। 18 जून को यह काण्ड हुआ। मैं भी उसी जिले का हूं, मुझे भी 27 जून को वहां जाने का मौका मिला। मान्यवर, माया त्यागी के घर भी मैं गया। मुझे बड़ा आपोजीशन है अपोजीशन इस बात का है कि आने वाली नस्ल क्या करेगी? आज से नहीं, मैं बहुत अर्से से देखता हूं कि यही लोग जब इधर बैठ जाते हैं तो दूसरी बात बोलते हैं। (शोर) सुन तो लें। मुझे अपोजीशन इस बात पर है कि सारे देश में चौधरी चरण सिंह का फैलाया हुआ जहर है। यह, क्या नाम है, हरी टोपी वाले हैं, लाल टोपी वाले है और अब तो लाल पगड़ी बांध रहे हैं। इनको सिर्फ यह याद है इस देश में क्या होना चाहिए, इस देश की आर्थिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था में क्या तब्दीली आनी चाहिए। इस देश के विकास के बारे में क्या पूर्तियां की जाय, देश को किधर ले जाया जाय, इसको याद है। इनको यह भी याद है कि सुन्दर सिंह डाकू था एक। मैं इस बात को अच्छी नहीं मानता। हर बात के अपोजीशन को.....(शोर) मान्यवर, शायद एक ही बात याद है इनको माया त्यागी से हमदर्दी नहीं है। इनको सिर्फ माया त्यागी को लेकर उसके साथ जो कुछ हुआ उसका फायदा उठाने से मतलब है चाहे वह डकैत थे या नहीं थे। माया त्यागी नंगी हुई थाने के बाहर। 27 तारीख को मैंने देखा उसके घर भी गया। सरकार क्या कर सकती थी। सरकार को जैसे ही मालूम हुआ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दूसरे दिन डी0 आई0 जी0 (सी0 आई0 डी0) श्री कक्कड़ को बागपत भेज दिया। न्यायिक जांच के आदेश दे दिये। अब न्यायिक जांच के आदेश होने के बाद भी लोक सभा हो या विधान सभा कोई और काम नहीं है सिर्फ माया त्यागी, बागपत काण्ड। इनका मकसद क्या है? सिर्फ एक ही मकसद है बागपत क्षेत्र में आजादी मिलने के बाद पहली बार वहां के मतदाताओं ने मतपत्र देकर.....(शोर)

श्री मुख्तार अनीस—

52 से 57 तक क्या हुआ?

(शोर)

श्री मन्जूर अहमद—

मैं माननीय सदस्य सीतापुर से दरख्वास्त करूंगा कि बहुत दिन मेरे साथ मेरे संपर्क में भी रहे। वह चौधरी साहब के कोई ज्यादा हिमायतियों में से नहीं हैं। लाभ उठाना चाहते हैं, जात-बिरादरी का जो बीज बोया है, उसका राजनैतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। मान्यवर, बागपत में पहली बार वहां के मतदाताओं ने मतपत्र देखे। मान्यवर, यह बात प्रदेश में और देश में बर्दाश्त करने वाली नहीं। लेकिन इन लोगों का ध्यान उस ओर नहीं जाता और न देश की प्रगति के बारे में जाता है कि कैसे देश की आर्थिक प्रगति हो, सामाजिक प्रगति हो। कैसे देश में खुशहाली आये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वह चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे बुद्धिजीवी हो या चाहे वह कोई हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसको मानव समाज से हमदर्दी है, उसको देश और प्रदेश की प्रगति के बारे में सोचना होगा तभी हमारे पूज्य महात्मा गांधी के स्वप्न साकार होंगे। लेकिन मान्यवर, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि चौधरी चरण सिंह तथा उनके साथियों ने देश और प्रदेश की तरक्की और बहबूदी के लिये कभी न तो सोचा है और न कोई काम ही किया। इन्होंने जब भी कुछ होता है, तो केवल देश और प्रदेश में जाति और बिरादरीवाद की आग फैलाने का काम किया है। इसके सिवाय कुछ नहीं किया देश और प्रदेश के लिये। मान्यवर, मुझे यह बार-बार कहते हुये दुःख होता है कि इन्होंने केवल कुर्सी और बिरादरीवाद का जहर बोने का काम किया और देश और प्रदेश की तरक्की के बारे में नहीं सोचा। मगर अफसोस है कि आज अखबार और रेडियो से सिवाय बागपत कांड के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारी महिलायें बेचारी आज क्या सोच रही होंगी।

मान्यवर, मैं माया त्यागी और उनके परिवार से मिला हूं। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर सियासी दबाव बार-बार डाला जा रहा है। यह सही है कि हमारे दामाद की हत्या हुयी। हमारी लड़की की आबरुह लूटी। लेकिन इसको बार-बार सियासी दबाव डालकर फैलाया जा रहा है। मान्यवर, पुलिस ने यह समझकर कि वह बदमाशों के साथ है और यह भी बदमाश है, उसके साथ कुछ उस समय की हरकत की, लेकिन आज इसको बार-बार कह कर एक राजनैतिक हौवा बनाया जा रहा है।

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह और राजनरायन—ये कौन हैं, और इनके जनता पार्टी का शासन काल कैसा रहा है, उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं। मान्यवर, चरण सिंह के जमाने में एक पुलिस अधिकारी गौड़ बागपत में पोस्ट हो गया था। वह ईमानदार आदमी था। यह एक एत्तफाक था कि वह वहां पोस्ट हो गया। उसने चौधरी चरण सिंह के भान्जे, जो डकैती डालते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह से एक चौधरी साहब के दूसरे रिश्तेदार को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। फिर उसके बाद, चूंकि वह बेगुनाह थे, श्री गौड़ को दौराला थाने में पोस्ट कर दिया गया। वहां भी उसने एक क्रिमिनल को, जो चौधरी साहब का रिश्तेदार था, उसने जेल भेज दिया। फिर वह 20 दिन बाद ही लाइन हाजिर किया गया। उसके बाद उसको खरखौदा पोस्ट किया गया। अब चूंकि जनता पार्टी का शासन खत्म होने के बाद फिर उसको बागपत पोस्ट किया गया है, इसलिये चौधरी साहब उससे नाराज है, और एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा हौवा खड़ा किया जा रहा हैं, जबकि जैसाकि मैं पहले पता चुका हूं चौधरी साहब के जनता राज्य में उन्हीं के रिश्तेदार ने अनेकों कांड किये।

मान्यवर, जनता शासन काल में इस क्षेत्र में ऐसे कांड हुये हैं जिनका जिक्र कर देने से रोयें खड़े हो जाते हैं। एक खुरशीदा बेगम, जो नजीमुद्दीन की पत्नी थीं के साथ थाना बड़ौत के सब इन्सपेक्टर होशियार सिंह ने बलात्कार किया, उसकी आबरू लूटी। मुकदमा दर्ज हुआ। मान्यवर, इसी हाउस में मैंने सवाल उठाया था। लेकिन होशियार सिंह को कोई सजादेना तो दूर रहा, उसका तबादला भी नहीं हुआ। और आज माया देवी को नंगा किया, इसका इतना शोर किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में समाचार पत्रों में इस बात को फैलाया जा रहा है।

(शेम शेम के नारे ट्रेजरी बेंचेंज में)

यही नहीं, मान्यवर, इनके शासन काल में नरोजपुर, थाना बड़ौत में एक नाई की लड़की के साथ, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, चौधरी चरण सिंह के रिश्तेदारों ने बलात्कार किया और उसको जान से मार दिया और कहा कि तुमने इस गांव में कांग्रेस का झंडा लगाने की कैसे हिम्मत की। यहीं नहीं, मान्यवर, एक दूसरा जीता-जागता उदाहरण दे रहा हूं। तुमाना गांव, थाना बड़ौत में चौधरी चरण सिंह के रिश्तेदारों ने एक लड़की

[श्री मन्जूर अहमद]
के साथ बलात्कार किया। मुकदमा दर्ज हुआ। हाउस में सवाल किया गया। वहां भी इनके रिश्तेदारों ने कहा कि तुमने कांग्रेस का झंडा कैसे लगाया। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री से दरख्वास्त करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जांच करा लें कि उस इलाके में चाहे हरिजन हों, छूत हों या अछूत हों, कितने बलात्कार किये गये। सरुरपुर थाने में चौधरी चरण सिह के रिश्तेदारों ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया। उसकी जबान काट ली और उसकी हत्या करदी। (ट्रेजरी बेन्चेज से शेम. शेम की आवजें)

मान्यवर, बना गांव में इचौली थाने के अन्तर्गत बाला नामक लड़की के साथ चौधरी चरण सिंह के रिशतेदारों ने बलात्कार किया लेकिन किसी को सस्पेन्ड नहीं किया गया। इसी तरह जानी थाने के अन्तर्गत चौधरी साहब के रिश्तेदारों ने रुखसाना नाम की लड़की के साथ बलात्कार किया। उसकी उम्र 10 साल की थी। मैंने सवाल किया था लेकिन किसी थानेदार को सस्पेण्ड नहीं किया गया, तबादला नहीं किया गया। मैं मुख्य मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि चौधरी चरण सिह के जनता राज में यह जो अत्याचार हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, क्या यह बागपत पर बोल रहे हैं?

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, यह सुनें। इनको सुनना होगा।

(व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा—

व्यवस्था का प्रश्न है। कितना समय हो गया है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

(शोर)

माननीय सदस्य बैठ जायं।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा सवाल है कि बहस बागपत पर हो रही है या चौधरी चरण सिह पर?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोती लाल जी बोल रहे थे। 25 मिनट तक बोले। पहले दिन 17 मिनट तक बोले थे। जिसमें व्यवधान भी था, टोटल 25 मिनट से ज्यादा बोले हैं? इधर धनी राम वर्मा जी बिना कुछ सोचे विचारें कहते हैं कि पक्षपात हो रहा है। मैं कहता हूं कि इस तरह का आरोप कभी नहीं लगाइए। पक्षपात कभी नहीं होगा। 10 मिनट हो गए हैं मैं कहने जा रहा था कि समय समाप्त हो रहा है।

माननीय मन्जूर अहमद आपके 10 मिनट हो गये हैं। अब समाप्त करें।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, जरा सुन लीजिए। जरा एक शेर सुन लीजिए—

परख सके न मोहब्बत के आबदीनों को,
मिली जो फुरसत तनकीदे गम कमीनों को।
न पल रहे हों इनमें कहीं सांप जहरीले,
झटक के देख तो लो अपनी आस्तीनों को।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इनाम की घोषणा करा दीजिए ।

श्री मन्जूर अहमद--

सी0आई0ए0 और पूंजीपतियों के सहारे इन्दिरा गांधी की सरकार को उखाड़ने का ठेका ले लिया गया है। जाट लोग कहते हैं कि इन्दिरा गांधी के साथ लोग जेल चले गये हैं और चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए तो बहुत मुमकिन है कि वह प्रधान मन्त्री न बने तो ब्लाक प्रमुख तो बन ही जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री मन्जूर अहमद--

दो मिनट और दे दें। इनका कोई आर्थिक और सामाजिक तब्दीली के लिए प्रोग्राम नहीं है। देवरिया की बात उठी, देवरिया में न्यायाधीश पहुंच गये, जांच हो रही है। जिसका ट्रान्सफर नहीं होना चाहिए था, जो मौके पर नहीं था उसके लिए सिर्फ चौधरी चरण सिंह के दिमाग में था कि इसने वोट डलवा दिया, इसका ट्रान्सफर होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे दर्खास्त करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से कि चौधरी चरण सिंह पर और भूतपूर्व सरकार के मन्त्री जी आपके नेता विरोधी दल हैं, उन पर भी कत्ल के मुकदमें थे, उनके लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो यह कहा है कि कोई कत्ल का मामला मेरे खिलाफ था, यह गलत है ।

*श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मुझे इस वक्त यह बात कहना है कि बागपत में जो बात हुई, वह बहुत अफसोस नाक बात है। बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर इलजाम लगायें, या हमें यह कहें कि जनता सरकार में यह हुआ, तो क्या उसकी वजह से यह बागपत में जो काण्ड हुआ है, उसका कोई जस्टीफिकेशन हो सकता है। हमें इस बात को समझना है कि इस प्रदेश में क्या इस तरीके से यह हरकतें होती रहेंगी या उसको रोकने का इन्तजाम किया जायगा? हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि पिछले शासन में किसने क्या किया? अगर इस समय कोई ऐसा काम हो रहा है तो उसे आपको रोकना होगा ।

तू इधर-उधर की न बात कर, यें बता कि काफिला क्यों लुटा,
मुझे राहजन से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है ।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी को यह कहना चाहता हूं कि उनको इस बात इन्तजाम करना है कि ऐसी हरकते इस प्रदेश की पुलिस न कर सके। पिछले जमाने में ऐसी हरकतें हुई हैं तो हमें उस पर भी अफसोस है। अगर उस हुकूमत में ऐसी हरकतें हुयीं तो क्या आप उसके जवाब में ऐसी हरकतें करना चाहते हैं? क्या आपने उसका बदला माया त्यागी से लेने का फैसला किया था? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उस जमाने में यह हरकतें हुई थीं लिहाजा उसको जस्टीफाई कर दिया जाय। मैं न्याय की बात करना चाहता हूं कि इन्साफ होना चाहिए। आप अपने दामन को देखिए कि आपके दामन पर कितने धब्बे हैं?

इतना न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत,
दामन को जरा देख, जरा बन्दे कबा देख

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री फखरे आलम]

आप पर खून के धब्बे हैं जिनको आप धोयें। मैं कहना चाहता हूं कि इंसानियत के नाम पर आप इसका इन्तजाम करें कि आइन्दा आपकी पुलिस ऐसी हरकतें न करें। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो यह बातें माया त्यागी के साथ हुई हैं, यह उनके साथ ही नहीं बल्कि इस पर सब औरतों की शर्म से गरदन झुक जाती है। इसके साथ ही साथ पूरे सदन की और खासतौर पर ट्रेजरी बेचेंज को अपनी गरदन झुका लेनी चाहिए इसकी मान्यवर, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों को सजा देना चाहिए। यही नहीं उनको तुरन्त सस्पेण्ड करना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया माननीय नेता विरोधी दल के बागपत पर उठाए गये वादविवाद पर हिस्सा लेने के लिए मुझे खुशी हुई कि खासकर उन अपने सम्मानित अनुभवी, पुराने और बुजुर्ग माननीय विधान सभा के सदस्यों को सम्मानित सदन में देखकर, उनकी बातों को सुनकर कुछ ग्रहण करूं लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनकी सब परिपाटी नकल कर लेंगे तो शायद इतिहास जो प्रजातन्त्र का लिखा जायगा और जब कोई उसको पढ़ेगा तो हमको भी उनके साथ-साथ दो शब्द गाली के दे देगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बागपत का मसला नेता विरोधी दल ने चाहे सामान्य रूप से अपने भाषण में उठाया हो, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण पर उठाया हो, हर समय इस पर जरूर चर्चा किया और राज्यपाल के अभिभाषण में तो पूरा का पूरा समय बागपत के लिये उन्होंने अर्पित किया। मान्यवर, अहम मसला माया त्यागी के प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ है उससे वर्तमान शासन चिन्तित है और उसका ज्वलन्त उदाहरण है कि जुडिशियल इंक्वायरी उसको हो रही है और इंक्वायरी के समय जिन अधिकारियों को वहां से हटाने की बात कही गयी उनकी वहां से हटाया गया है। आप चाहते क्या हैं कि आपके कहने पर किसी दरोगा या अधिकारी को गोली मार दी जाय क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी के तहत किसी को इनकाउन्टर में मारा है। तो मैं कहता हूं कि यह कोई खराब बात नहीं है कि कानून अपने रास्ते से न्याय करने में लगा है उसका हम इन्तजार करें।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बागपत की घटना पर बार-बार चर्चा एक सुनियोजित षडयन्त्र है। यह इन्दिरा गांधी के शासन को बदनाम करने के लिए जैसे 1976 के पहले 1974 से चलाया गया और उसके स्वरूप को बहुत बड़ा बनाया गया और जिसको कहा गया नशबन्दी। यह उसी प्रकार है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं जिस का बागपत से सम्बन्ध दूर का है। मान्यवर, सभी जानते एक बार एक अफवाह फैली और कहा गया कि स्कूलों में लड़कों को सूइयां लगाई जा रही हैं जिससे कि भविष्य में उनके बच्चें न पैदा हों। इसको लोगों ने सुना तो और अपने बच्चों को दौड़ कर स्कूलों से वापस कर लाये बिना विचारे लोग बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे और सभी का विचार था कि अपने बच्चें क्यों भेजें। बाद में पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि माननीय सदस्य राजेन्द्र जी जो हमारे नामराशि हैं कहीं नाराज न हो जायं, इसमें आर0एस0एस0 का सुनियोजित षडयन्त्र था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति सभी के नाम पर अधिक समवेदना की है पुत्र पुत्रियों की कामना की है इसको विचार कर प्रचार हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, बागपत से इसका क्या सम्बन्ध है। विषय से अलग जा रहे हैं। जरा ध्यान दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

श्रीमन् ऐसा थोड़े मैंने कहा कि आपकी भावना को ठेस पहुंचे ? श्रीमन्, नारी का अपमान यह देश बरदाश्त नहीं कर सकता। इस देश की नारी की रक्षा के लिए, उस के सम्मान की रक्षा के लिए इस देश की सबसे बड़ी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी कटिबद्ध हैं, कही भी उनका अपमान नहीं होने देंगे। यहां पर नेता सदन स्वयं ही बागपत ऐसी तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए कटिबद्ध हैं। आपकी अंगुली उठाने के पहले तमाम काम कर देते हैं ताकि आपको कहने का मौका न मिले। लेकिन परेशानी है कि आप यहां बैठे हैं किसी तरह चेंहरा बनायेंगे, रोकेंगे कैसे। बलात्कार के बारे में आपने कहा। मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। समाचार पत्रों में बलात्कार की घटनाएं छपी और उनके बारे में जांच हुई।

सात-आठ घटनाओं को मैं प्रकाश में लाना चाहता हूं। एक तो जुलाई के प्रथम सप्ताह म समाचार-पत्रों में छपी थी। 12–13 जून को ग्राम लोहतलारा की एक महिला के साथ किए गये मामले की शासन ने जांच की तो पाया गया कि वहां पर रात में अतर सिंह नाम का व्यक्ति जिससे रंजिश थी उसके घर गया और उसने औरत का हाथ पकड़ा। पोस्ट-मारटम में बलात्कार का कोई निशान नहीं मिला। इसी प्रकार उन्नाव के बारे में घटना उठाई बतायी गयी है कि वहां पर एक बलात्कार किया गया। कुछ लोग दौड़कर माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में गये और घटना के बारे में बताया। उन्नाव जिले के शान्ति देवी नामक नव युवती के साथ पुलिस कर्मचारियों द्वारा बलात्कार का मामला लगाया गया था जिसका काफी प्रचार समाचार पत्रों में हुआ। विधान सभा में भी बात उठी। क्या हुआ। मण्डला-युक्त ने इसकी जांच की और इसे निराधार पाया। मैं उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता था कि उनकी भावना के साथ हम लोगों की भावना जुड़ी है लेकिन अगर जो बात सच नहीं होगी उसे वे बार-बार दोहरायेंगे तो बाहर के लोग यह सोच बैठेंगे कि यहां पर विरोधी दल वाले केवल विरोध के लिए अपनी बात करते हैं और शासन में बैठे हुए लोग केवल सफाई पेश करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम दोनों पक्षों को मिल करके इसमें एक सामन्जस्य बनाना चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसी घटना घटित न हो।

एक बात और कहना चाहता हूं। अपराध कैसे बढ़ते हैं, अपराध कैसे रुकते हैं। अपराधी की वकालत आप ने कर दी तो अपराधी के हौसले बुलन्द होंगे अपराधी चाहे डकैत हो चाहे पुलिस वाला हो, चाहे यह सुन्दर डाकू काण्ड हुआ हो चाहे अपराधी ईश्वर त्यागी भी हो। आप लोगों के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, नाम शायद नहीं ले सकूंगा कानून के अनुसार, उन्होंने कहा तीन डकैत मारे गये। ठीक हुआ लेकिन माया त्यागी के साथ जो घटना हुई है, गड़बड़ी हुई। मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि एक महिला जो उस मोटर में बैठी हो जिससे गोली चलाई जा रही हों, जो ईश्वर त्यागी और माने डकैत की संगिनी हो उसके बारे में आपके मन में क्या धारणा होगी जनता को जानकर क्या गुस्सा भरी न होगी और उद्यत न होगी। और भी विचार करें कि जब भीड़ होती है, लोग एक साथ मौज में चलते हैं गुस्से में अपराधी कपड़े खीचेंगे ही और कोई न कोई तरीके से कोई गुस्सा की बात अवश्य होगी ओर किसी तरीके से दुर्व्यवहार होगा। दुर्व्यवहार जो हुआ, उसकी मैं वकालत नहीं करता हूं लेकिन वह किन परिस्थितियों में हुआ। आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि जब बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और नीव मेंटैलिटी में चोर पकड़ा जाता है तो उसको वहां पर थप्पड़ भी पड़ जाते हैं, लोगों में उग्रता भी आ जाती है, मारपीट भी देते हैं और मानवता के रूप में मानव विज्ञान के रूप में कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी हो सकता है एक बात जरूर जैसा आप कहते है कि उसको नंगा किया गया और थाने तक ले जाया गया लेकिन जब एक तरफ खींच खांच हो रही हो, डंडे पड़ रहे हों,

[श्री राजेद्र त्रिपाठी]
भीड़ में उग्रता हो गयी हो तो रोकना सम्भव नहीं है। और मोतीलाल जी कहते हैं वहां पर लाठियां बरसाई गयीं, तो मैं कहता हूं कि आप बागपत जरूर चले जाइए मालूम हो जायगा कि क्या गलत बात है और क्या सही बात है. . . . .

श्री मोती लाल देहलवी—
आपको जानकारी हो तो बतायें कि उसकी कितनी बार डाक्टरी हुई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—
मान्यवर, बागपत की घटना को शासन को बदनाम करने के लिए विरोधी दलों ने पोलिटिकल कैपिटल गेन का एक मुद्दा बनाया है जैसे एक बार नसबन्दी बनाई गयी थी, उसी तरह से आज बलात्कार का सहारा लिया जा रहा है। मैं इस माननीय सदन को आगाह करना चाहता हूं कि इस देश में अगर कोई बात यहां पर किसी के घर में होती है तो लोग उसको अपने ढंग से सीता और सावित्री का नाम लेकर सुलझाते हैं लेकिन अगर किसी को इस देश को बदनाम करना हो तो वह इस तरह से बलात्कार के नाम पर सीता और सावित्री जैसे देश को बदनाम करते हैं। यदि इस तरह से हम बलात्कार की बातें करते रहेंगे तो इस सीता और सावित्री वाले देश की क्या इमेज होगी। मान्यवर, मैं बाराबंकी जिले में गया था. . . . .

(व्यवधान)

मुगलसराय के थाने के अन्तर्गत दो मुस्लिम युवतियों के साथ बलात्कार हुआ था। जब जांच हुई तो पता चला कि यह सब झूठ ह और वहां पर किसी अराजक तत्व ने डकैती की है, कोई बलात्कार नहीं हुआ है लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से विरोधी दलों के लोगों ने इसको उठाया। अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे विरोधी दल के लोग इस देश की मर्यादा को कायम रखेंगे।

श्री भीखालाल—
अध्यक्ष महोदय, बागपत कांड के सम्बन्ध में तथ्यों पर हर पहलू से प्रकाश डाला जा चुका हं इसलिये में इस सम्बन्ध में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वहां जो कुछ हुआ है वह गलत हुआ है, लज्जा जनक है, शर्मनाक घटना है और एक दुखद घटना है। मुख्य मंत्री जी ने जो यहां पर वक्तव्य दिया हैं उसमें कुछ बातें स्पष्ट नहीं है इसलिये उनके बारें में प्रश्नों के रूप में ही में उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जब पुलिस को सूचना मिली कि चौराहे पर कुछ बदमाश खड़े ह और नरेन्द्र सिंह नाम का पुलिस कर्मचारी जब वहां गया तो पूछताछ करने पर पुलिस व इन व्यक्तियों के बीच हाथा पायी हुयी और डकैतों ने आपके वक्तव्य के अनुसार पुलिस पर गोली चलाई पुलिस ने भी आत्म रक्षा में गोलियां चलाई और गोलियों के आदान प्रदान में तीन आदमी मारे गये तो क्या किसी पुलिस कर्मचारी को भी गोली लगी, कोई पुलिस कर्मचारी जख्मी हुआ या नहीं ? किस प्रकार से गोली चल रही थी कि किसी पुलिस कर्मचारी पर गोली नहीं लगी। दूसरी बात यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि 3 व्यक्ति मारे गये और माया त्यागी तथा ड्राइवर जो गाड़ी से पकड़े गये तो क्या उनके पास से पुलिस को कोई असलहा बरामद हुआ है या नहीं ? अथवा अन्य कोई हथियार पिस्तौल बरामद हुआ या नहीं हुआ यह बात बयान में स्पष्ट नहीं है। अगर असलाहे नहीं थे तो फिर गोलियों कैसे चलाई इस बात को मुख्य मंत्री जी जरूर स्पष्ट कर दें।

यह कहा गया कि महिला को जनता के लोगों ने मारा पीटा। तो क्या मारने पीटने के अपराध में किसी को गिरफ्तार किया गया या नहीं। दूसरी बात यह है कि यह चार्ज लगाया गया कि श्रीमती माया त्यागी को नंगी करके पुलिस द्वारा थाना ले जाया गया। इसमें इस बात को नकारा नहीं गया ह। यह बात सही है या नहीं कि उसे नंगी ले जाया

गया। दूसरी बात यह कि यह घटना 12.50 मिनट में हुई और कहा गया है कि माया त्यागी के गुप्तांगों से खून बह रहा था अगर यह बात थी तो यों डाक्टरी करने में सवा 7 बजे भेजा गया यानी 6 घन्टे का बिलम्ब किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं, कि इतनी बड़ी घटना हो गयी और अखबारों में भी छप गया, सभी विपक्ष के लोग वहां पहुंच गये, पार्लियामेंट के सदस्य वहां पहुंच गये तो क्या इस मंत्रिमंडल का कोई सदस्य या मुख्य मंत्री जी बागपत गये, अगर वह गये हैं तो व्यक्तिगत जानकारी की बात वह बता दें। अगली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ अभियोग आई0पी0सी0 में है जिनमें अगर प्राग्दर्शन में केस बनता है तो नामजद मुलजिमों को चालान किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अगर जुडिशियल इन्क्वायरी भी हो रही हो तो वह चलती रहती है। अगर प्राग्दर्शन मे केस बनता है और तीन व्यक्ति मारे गये और वह कत्ल का केस बनता है तो नामजद मुलजिमों को क्यों जेल नहीं डाला गया। आप कहेंगे कि जुडिशियल इन्क्वायरी चल रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कई अवसरों पर हुआ है मिर्जापुर जिले के एक डी0 वाई0 एस0 पी0 श्री यादव का कत्ल हो गया उसमें 13 आदमी नामजद मुलजिम थे और उनको जेल में डाल दिया गया था जुडिशियल इंन्क्वायरी नियुक्त की गई और वह चलती रही और वह डेढ़ दो साल तक जेल में रहे उनकी जमानत तक नहीं हुई। तो इस केस में क्यों नहीं नामजद लोगों को जेल में डाला गया इस बात का मुख्य मंत्री स्पष्टीकरण कर दें।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र में कब इधर के लोग उधर बैठ जायं और उधर के लोग इधर बैठ जायं यह बात नहीं कह सकते। अगर ऐसा हुआ तो आपको भी उस सरकार के कामों के खिलाफ आन्दोलन करना पड़ेगा तो हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखने की कोशिश कीजिये। बागपत कान्ड के सम्बन्ध में जो सत्याग्रह कर रहे हैं वह कोई चोर और डकैत नहीं है लेकिन सत्याग्रहियों के साथ चोरों और डकैतों का सा सलूक किया जा रहा है। हमारें कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने मुजफ्फरनगर में आन्दोलन किया और 63 आदमी जेल में रखे गए लेकिन उनके साथ क्रिमिलनल सा व्यवहार किया जा रहा है श्री रामनारायण उपाध्याय जो हमारी पार्टी की प्रोवेंसियल एग्जीक्यटिव के मेम्बर हैं उनको सुपीरियर क्लास नहीं दिया गया है और राजनीतिक बंदी की तरह ट्रीट नहीं किया गया है जिसके खिलाफ 3 तारीख से आठ लोग अनशन पर हैं तो इसके बारे में भी मुख्य मंत्री जी ध्यान दें और यह साफ करें कि जो राजनीतिक लोग है उनके साथ क्रिमिनल का सा व्यवहार नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि इन प्रश्नों को मुख्य मंत्री जी अपने जबाव में अवश्य स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

यह चर्चा सवा 6 बजे तक चलेगी और इसी बीच मुझे माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को अपना उत्तर देना है और माननीय मुख्य मंत्री भी उत्तर देंगे। तो इस बात को देखते हुए संभव नहीं है कि और माननीय सदस्यों को अवसर दिया जा सके तो ऐसी परिस्थिति में मैं चाहूंगा कि माननीय राजेन्द्र कुमार जी बोलें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

थोड़ा टाइम मुझ को भी दें। आपको पता है नियम 56 में मैंने एक प्रश्न उठाया था उसमें आपने समय बढ़ाया था।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप सबके सामने जो स्थिति है वह बता दी। अब ऐसी स्थिति में इसकी व्यवस्था कैसे हो सकेगी, क्योंकि अभी राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बोलना है और मुख्य मंत्री जी को उसका उत्तर देना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

केवल दो मिनट मैं बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा शेष समय नेता विरोधी दल को दिया जाए ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सदन के सामने यह कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह पूरी तरह से तथ्यों से परे है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

नेता विरोधी दल को बोलना था तो इन्हें बहस इनिशिएट करना चाहिए था, चूंकि इसे इन्होंने नहीं किया है

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

यदि यह कल भी रखना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

अब बार-बार हम इसका समय बढ़ा नहीं सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जब मुख्य मंत्री जी तैयार हैं तो इसके लिए कल भी समय रख लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष--

मैं ढाई घंटे से ज्यादा किसी हालत में समय नहीं दे सकता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

आपने तो इसमें दो को जोड़ दिया है, इसमें आपने नियम 56 को भी मिला दिया है। दो चीजों को मिलाकर आपने इतना समय दिया है तब तो कल भी समय इसके लिए देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह समझता हूं कि दो घंटे से अधिक समय इस पर लेना मुनासिब नहीं है, इसमें काफी चर्चा हो चुकी है और सभी बातें कही जा चुकी हैं ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

नेता विरोधी दल कह रहे हैं और मुख्य मंत्री जी उसे स्वीकार कर रहे है, तो आप उसे मान लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

हमारे लिए समय बढ़ाना कोई बहुत कष्टकर नहीं, लेकिन में यह निवेदन करना चाहता हूं आखिर इस पर बहस के लिए यह सदन कितना समय देना चाहता है, क्या और कोई बहस नहीं है, क्या और कोई विषय अब नहीं है, जिसके लिए सदन समय चाहे। यदि नहीं है तो मैं आज ही ढ़ाई घंटे का समय दे सकता हूं। लेकिन आज ही पूरा कर लें और इस में आधे घंटे का समय और बढ़ा . . . . ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

अब कल के लिए रख लें, अन्तिम कल कर लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल नेता सदन जो कल का कार्यक्रम है, उसके बाद, 5 बजे के बाद एक बिल भी आना है। इसको भी आप देख लें।

श्री ब्रह्म दत्त--

बिल के बाद हो जायगा, ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, तो आज सवा छः बजे तक चर्चा की जाय, फिर कल 15 मिनट का समय और दे दिया जायगा।

(व्यवधान)

कल के लिए जो समय बढ़ेगा, उसमें माननीय राजेन्द्र कुमार जी और मुख्य मन्त्री जी बोलेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मुझे भी इस पर पांच मिनट का समय दे दिया जाय।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मुझे भी दो मिनट का समय दीजिए, मेरे मेरठ के पड़ोस का यह वाकया है।]

श्री अध्यक्ष--

इसमें दो घंटे का समय दिया जा चुका है। मुख्य मन्त्री और नेता विरोधी दल चाहते हैं तो आधे घंटे का इसमें समय और बढ़ा दिया जायगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

नहीं, एक घंटा बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष--

आधे घंटे तक इस पर बहस होगी और आज सवा छः तक होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अब मै बहुत संक्षेप में इस पर बोलना चाहता हूं....

(श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर--व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप समय का उपयोग तो कृपया होने दें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बयान माननीय मुख्य मन्त्री ने सदन के सामने दिया है वह एस0एस0पी0, मेरठ की सूचना पर आधारित है। इस सम्बन्ध में उसके पहले भी एस0एस0पी0, मेरठ, जिलाधीश और आई0जी0 उत्तर प्रदेश भी दे चुके हैं। यह बयान अखबारों में मौजूद हैं। कभी भी इस घटना का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया। कहा गया कि वे 3 आदमी डकैत थे। 22-6-80 के टाइम्स आफ इंडिया में छपा है कि जब एस0एस0पी0, मेरठ से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस इंसिडेंट में कोई औरत इंवाल्व नहीं थी। 'नन आफ दि मैंन इन्वाल्वड वाज ए वुमैन''। एस0एस0पी0 बयान देते हैं कि इसमें कोई औरत नहीं थी। इन एस0एस0पी0 और आई0 जी, जिन्होंनें वहां के अधिकारियों को एक-एक हजार रुपया देना रिकमेंड किया है उनकी सूचना पर माननीय मुख्य मन्त्री जी को अपना बयान आधारित नहीं करना चाहिए था। यहां पर वह कन्ट्राडिक्शन्स आए। जो बयान श्री नरेन्द्र कुमार ने दिया हमारे मुख्य मन्त्री जी ने उसको नहीं देखा। उसका कहना है कि पुलिस वालों और इन व्यक्तियों के बीच हाथा-पाई हुई। फिर जैसाकि नरेन्द्र सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौके पर 4 आदमी थे। जब वहां पर तीनों आदमियों ने एस0आई0 का पहुंचा पकड़ा तो मैंने दीवान जी से कहा कि असलहा लाओ और फोर्स लाओ। एस0आई0 श्री नरेन्द्र ने यह भी कहा कि पहले हम 3 आदमी गये, उनसे बात-चीत की। उन्होंनें फायर किया और मैंने आड़ ली और बच गया और अपने साथ वे पुलिस फोर्स और असलहे को लाए। तो यह कन्ट्राडिक्शन है।

पुलिस को कानून है कि आत्मरक्षा में गोली चलाए। ये 3 आदमी जो मारे गये, तीनों नरेन्द सिंह की गोली से मारे गये। वे कहते हैं कि 40 राउन्ड गोली चली लेकिन

[श्री राजेन्द्र सिंह]

ये सिर्फ नरेन्द्र सिंह की गोली से मारे गये। कहा यह गया कि ये इंकाउन्टर में हुआ। यह बात बिल्कुल गलत है। कहा गया कि इंकाउन्टर में 2 आदमियों की पीठ में और एक आदमी के सामने गोली लगी। इंकाउन्टर में सामने से गोली लगती है पीछे से नहीं, मारा जाता है। इसलिए एन्काउन्टर नहीं हुआ। एक बात और कही गयी कि उनके नाम श्री ईश्वर त्यागी, राजेन्द्र सिंह आदि पता चला। जब पुलिस को उनके नाम बाद में पता चले तो कैसे कहते हैं कि ये डकैत थे। पुलिस को इसकी पूर्व सूचना नहीं थी वे बदमाश थे और उसके बाद ही उनको पता चला कि उनके ये नाम हैं और उनके ये-ये एन्टीसिडेन्ट हैं। जैसा कि श्री नरेन्द्र कुमार ने रिपोर्ट में लिखा है कि हम लोग वहां पर 3 आदमी गये, उसके बाद जब गोली चली तो एक आदमी को भेज दिया फोर्स और असलहे को लाने के लिए। अगर यह रिपोर्ट सही मान ली जाय तो जब उनको गुंडा कहा जाता है और उनके पास हथियार भी थे तो कैसे कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को गोली नहीं लगी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं कहना चाहता हूं कि यह तथ्य जो सदन में पेश किये गये हैं वे सदन को गुमराह करने के लिए किए गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

नरेन्द्र कुमार की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाद को दो आदमी भागे और उनका पीछा किया। और इनका पीछा किया 4 आदमियों ने। इसके बावजूद 7 आदमी वहीं रहे। उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। जनता ने कैसे किया, वह कैसे कर सकती थी। नरेन्द्र कुमार वहीं मौजूद थे और उनके साथ 6 आदमी और थे जिनके पास राइफलें भी थीं। फिर कौन आदमी हिम्मत कर सकता था अभद्र व्यवहार उस महिला के साथ करने की।

मेडिकल रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसे ही देख लिया जाय। पूरी रिपोर्ट अगर यहां पेश की गयी होती तो हमें अधिक न कहना पड़ता। एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि गुप्तांग में आई हुई चोटें बलात्कार के परिणाम स्वरूप हो सकती हैं। यह भी कहा है कि बलात्कार नहीं हो सकता क्योंकि शुक्राणु नहीं पाए गये। किन्तु दूसरी जो लेडी डाक्टर की मेडिकल रिपोर्ट है उसमें इसे कन्फर्म किया गया है कि बलात्कार से चोटें आई हैं? अगर कन्ट्रानुअस ब्लीडिंग होती है तो शुक्राणु बह जाते हैं। इसलिए यह कहना कि बलात्कार नहीं हुआ, गलत है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने डी0आई0जी0 को टेलीफोन जरूर किया होगा और मामले की जानकारी की होगी। मगर ऊपर से आदेश आये और इसलिए पुलिस के कुकर्म को छुपाने के लिए जुडीशियल इन्क्वायरी बैठा दी। डी0आई0जी0 कक्कड़ साहब की ही रिपोर्ट को अगर सदन में रख दिया जाय तो सही चीज मालूम हो जायेगी।

ट्रांसफर की बात कही गयी कि हमने ट्रांसफर कर दिया है। ए0एस0आई0 का आपने ट्रांसफर किया, उसको एस0ओ0 बना कर दूसरी जगह भेज दिया। उसकी तरक्की कर दी। (शेम शेम)

(व्यवधान)

शान्तिप्रिय सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया गया। जयपाल सिंह नामक एक सत्यग्रही को 19 चोटें आई हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी देखना नहीं चाहते वस्तुस्थिति को और पुलिस जो कर रही है उसे।

आज पेपर्स में आया है कि अब बागपत से घटना इलाहाबाद चली गई है। अभी 1 अगस्त, 1980 को भारत सरकार के गृह मन्त्री श्री जैल सिंह ने यह यहां के मुख्य मन्त्री को

गाइड-लाइन्स भेजी हैं। उन गाइड-लाइन्स में होम मिनिस्टर आफ इंडिया ने कुछ बातें कही हैं इंग्लिश में :

The Center has told the State that all police personnel involved in criminal cases should be straight way suspended from service and proceeded agai nst in the court.

If it was suspected that they were likely te prejudice the outcome of enquiries, they should be transferred to distant places.

नरेन्द्र कुमार को श्रीमन 8 किलो मीटर की दूरी पर ट्रांसफर किया गया। जिस दिन मैं वहां पर गया हूं नरेन्द्र कुमार वहां पर थे। श्रीमन्, एक और बात है गौड़ का ट्रांसफर हुआ जुडीशियल मजिस्ट्रेट साहब ने जो इंन्क्वायरी किया, पेपर के पढ़ने से यह मालूम हुआ कि उनका ट्रान्सफर हुआ। आई0जी0 पुलिस का बयान है, थानाध्यक्ष का तबादला स्थायी नहीं है। क्या तमाशा है। कोई गवाही देने नहीं जायगा, वहां पर यह कहा गया। श्रीमन्, आई0जी0 पुलिस उस समय भी मौजूद थे जब डी0 एम0 ने वहां पर बयान लिया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल संक्षिप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, दि इंसपेक्टर आफ पुलिस वाज आलसो प्रेजेंट। श्रीमन, एक औरत भी उस गैंग की मेम्बर थी। आई0जी0 पुलिस सोये हुए हैं। फलाने-फलाने जुर्म में वह औरत वान्टेड थी। श्रीमन्, इस तरह का यह प्रदेश चल रहा है। बहुत सीरियस मैटर है। मुख्य मन्त्री जी का पौरुष समाप्त हो चुका है। तथ्य पर आइए। अपनी मानवता को जगाइये और उसके बाद जो कुछ कठोर से कठोर दण्ड हो सकता है, वह दीजिए।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, जो मोतीलाल देहलवी ने बहस शुरू की थी या जितने माननीय सदस्यों ने, विरोधी पक्ष की ओर से बहस की, ऐसा लगता है कि उनके अन्दर एक दूसरे की बात को काटने की भावना रहती है। मैं यह जानना चाहता था विरोधी पक्ष से कि आज जो अपराध की स्थिति है इसपर कैसे काबू पाया जा सकता है। मैं यह पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। जनता सरकार के पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया—"अभियुक्त को अदालत में आत्म समर्पण करने के बजाय पुलिस के समक्ष आत्म-समर्पण करना होगा"। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला जनता सरकार का शासन में आने के पहले हुआ था, यही कारण है कि 1976 में अपराधों में कमी हुई थी। जैसे ही जनता सरकार उत्तर प्रदेश में पदार्पण हुई जैसे ही एक अध्यादेश द्वारा इस उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया। इससे अपराधी वर्ग को इस अध्यादेश के द्वारा काफी राहत मिली, क्योंकि अपराधी पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण करना नहीं चाहते थे, चोरी के अपराध में जमानत की राशि 500 रुपए और हत्या की जमानत में राशि 1000 रुपया थी। इस तरह से हत्या के अभियुक्तों की जमानत कोई नहीं लेता था, धनराशि इतनी अधिक होने से उस समय के हिसाब से। यह 115 वर्ष पूर्व की बात है। इसलिए उस समय अपराध भी कम होते थे, परन्तु मान्यवर, सोचने की बात यह है कि अब भी यही रकम जमानत के लिए रखी गयी है और मान्यवर, ऐसा ही नहीं ऐसे खतरनाक अपराधियों की जमानत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

के लिए अधिकतर राजनीतिक लोग ही तैयार हो जाते हैं। इसलिए अपराध करने वाले लोग भी निडर होकर अपराध करते हैं, इनको प्रथम मिलने से यह अपराधीगण खुलकर अपराध करते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सभा में जो सवाल हुए हैं सन् 79 में पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार किए जाने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कल भी यह आपका भाषण जारी रहेगा, अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
5 अगस्त, 1980।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 684 पर)

संख्या 2206/15-8-3004(2)/74

प्रेषक,

डा० गुरुमौज प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग। लखनऊ, दिनांक 5 फरवरी, 1980

विषय—राज्य निधि से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सेवा निवृत्तिक लाभों में परिवर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 750/15-8-3004/77, दिनांक 28-7-78 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में राजाज्ञा संख्या 5310/15-8-3004(2)/74, दिनांक 31-3-78 द्वारा पेंशन समानता का लाभ राज्य निधि से सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से 30 जून, 1974 तथा 28 फरवरी, 1977 (दोनों दिन सम्मिलित की अवधि में सेवा निवृत्ति हुए अध्यापकों भी इस प्रतिबन्ध से साथ अनुमन्य किया गया है पेंशन समानता का लाभ का वरण करने वाले अवकाश प्राप्त अध्यापकों के उनके ऊपर लागू अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के अधीन प्रबन्धकीय/स्थानीय निकाय के अंशदान एवं राजकीश अंशदान अनुमन्य न होगा तथा जिन्हें उक्त अंशदान का भुगतान किया जा चुका है, उन्हें भुगतान किये गये अंशदानों की सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा करना अनिवार्य होगा। शासन से यह मांग की गयी है कि चूंकि अधिकतर अध्यापकों द्वारा उक्त अंशदान की धनराशि को अपने निजी कार्य में व्यय कर लिया गया है तथा अब वे राजकोष में जमा करने की स्थिति में नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत उनको बढ़ी हुई पेंशन की धनराशि का अवशेष उनके द्वारा आहरित उपयुक्त अंशदान की धनराशि से अधिक है अतः बढ़ी हुई पेंशन की उक्त धनराशि में जिसका भुगतान शिक्षकों को नई पेंशन योजना के अन्तर्गत किया जाना है। उपर्युक्त अंशदान की धनराशि को जिसे राजकोष में जमा किया जाना है, समायोजित कर लिया जाय, शासन ने विचारोपरान्त इस मांग को स्वीकार कर लिया है। अतः राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि 30-6-74 से 28-2-77 तक (दोनों दिन सम्मिलित) उपर्युक्त श्रेणी के केवल ऐसे अवकाश प्राप्त शिक्षकों के मामले में जिन्हें नई पेंशन योजना के अन्तर्गत बढ़ी हुई पेंशन की देय धनराशि उन के अंशदायी भविष्य निधि में जमा प्रबन्धकीय और राजकीय अंशदान की धनराशि से, जिसका वे आहरण कर चुके हैं, अधिक है उनसे अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत प्रबन्धकीय और राजकीय अंशदान की धनराशि कोषागार में जमा न करवा कर उनको देय पेंशन की धनराशि से काटकर समायोजित कर ली जाय। अन्य मामलों में यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

2—आपसे अनुरोध है कि आप कृपया प्रत्येक शिक्षक के मामले में आगणन करवाकर उपर्युक्तानुसार अग्रित कार्यवाही करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों में उपर्युक्तानुसार ही कार्यवाही की जा रही है।

3—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई–11–18/दस/80 दिनांक 4 फरवरी, 1980 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
गुरुमौज प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या 2206(1)/पन्द्रह/8–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाएं, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त बालिका विद्यालय निरीक्षिकाएं, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) उत्तर प्रदेश की समस्त नगर महापालिका के मुख्य नगराअधिकारी।
(10) उत्तर प्रदेश के समस्त जिला परिषदों के अध्यक्ष।
(11) उत्तर प्रदेश के समस्त टाउन एरिया कमेटियों के चेंयरमैन।
(12) उत्तर प्रदेश के समस्त नगर पालिकाओं के अध्यक्ष/प्रशासक।
(13) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(14) वित्त सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
(15) स्वायत्त शासन शाखा के समस्त अनुभाग।
(16) पंचायत राज अनुभाग 1 व 2।
(17) शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
(18) सामान्य प्रशासन अनुभाग–1।
(19) शिक्षा अधिकारी, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
गुरुमौज प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश संसदीय

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 697 पर)

रपट की मुख्य बातें

बस्ती जिले के कुछ अराजक गुण्डों ने शोषित समाज दल के राज्य सम्मेलन के खुले अधिवेशन में सहायता करके पर्चे वितरित किए, जिसमें उनके राष्ट्रीय नेताओं का अपमान किया तथा मना करने पर तैनात पुलिस गिरोह के पीछे में यह धमकी दिया कि सम्मेलन अन्दर भंगी और ब्राह्मण को बराबर करना चाहता है, उसका सबेरा नहीं होगा। दिनांक 4/5 मार्च, 1978 की रात्रि में करीब 1 बजे शोषित समाज दल के तम्बू पर पेट्रोल छिड़क कर हमारे राष्ट्रीय नेताओं को आग से मार डालने की नियत तथा सम्पूर्ण अर्जक एवं शोषित साहित्य नष्ट करने की भावना से आग लगाकर जला दिया गया। कार्यकर्ताओं के प्रयास से किसी तरह नेताओं की जान बचाई गयी परन्तु सारा सामान जल गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 707 पर)

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लि0, 12-बी, माल एवेन्यू, लखनऊ।

कार्यरत सिनेमागृहों में पूंजीगत व्यय का ब्यौरा

परिशिष्ट 'क'

केन्द्र का नाम	उद्घाटन तिथि	पूंजीगत व्यय (रु0 लाख में)	वर्ष
1—फतेहपुर (बाराबंकी)	11-12-77	7.48	1977-78
2—फतेहपुर (मुख्यालय)	20-11-78	6.50	1978-79
3—ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)	25-12-78	7.20	1978-79
4—ओबरा (मिर्जापुर)	22-9-79	8.30	1979-80
5—रामराज (मुजफ्फरनगर)	26-12-79	6.50	1979-80
6—जालौन	31-12-79	8.40	1979-80
7—लहरपुर (सीतापुर)	27-1-80	7.95	1979-80
8—बांगरमऊ (उन्नाव)	29-2-80	8.25	1979-80
9—मलिहाबाद (लखनऊ)	15-3-80	8.32	1979-80
10—खागा (फतेहपुर)	1-4-80	7.95	1979-80
11—महमूदाबाद (सीतापुर)	26-4-80	8.10	1980-81
12—दरियाबाद (बाराबंकी)	10-5-80	7.40	1980-81
13—पुवायां (शाहजहांपुर)	22-5-80	8.20	1980-81
14—सिरमस (इलाहाबाद)	11-6-80	7.70	1980-81

नोट—क्रम संख्या 4 से 14 तक के व्यय के आंकड़े अनुमानित हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्यरत सिनेमाघरों के लाभ–हानि का वर्षवार ब्यौरा

परिशिष्ट 'ख'

(रु0 हजार में)

केन्द्र का नाम	प्रदर्शन की तिथि	1977–78		1978–79		1979–80		1980–81	
		लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
1––फतेहपुर (बाराबंकी)	.. 11–12–77	..	61–00	..	10–00	1–22	..	2–07	..
2––फतेहपुर (मुख्यालय)	.. 20–11–78	..	..	..	74–00	..	59–47	..	15–52
3––ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)	.. 25–12–78	..	..	..	48–00	72–49	..	24–39	..
4––ओबरा (मिर्जापुर)	.. 22–9–79	..	..	..	..	..	1–54	6–58	..
5––रामराज (मुजफ्फरनगर)	.. 26–12–79	..	..	..	..	..	55–25	..	21–56
6––जालौन	.. 31–12–79	..	..	..	..	..	15–74	78–50	..
7––लहरपुर (सीतापुर)	.. 27–1–80	..	..	..	..	..	29–71	49–52	..
8––बांगरमऊ (उन्नाव)	.. 29–2–80	..	..	..	..	..	48–76	49–95	..
9––मलिहाबाद (लखनऊ)	.. 15–3–80	..	..	..	..	..	55–33	54–96	..
10––खागा (फतेहपुर)	.. 1–4–80	..	..	..	..	..	..	102–63	..
11––महमूदाबाद (सीतापुर)	.. 26–4–80	..	..	..	..	..	..	19–30	..
12––दरियाबाद (बाराबंकी)	.. 10–5–80	..	..	..	..	..	..	28–57	..
13––पुवायां (शाहजहांपुर)	.. 22–5–80	..	..	..	..	..	..	28–33	..
14––सिरसम (इलाहाबाद)	.. 11–6–80	..	..	..	..	..	..	10–89	..
कुल योग	..	..	61–00	..	132–00	73–71	265–80	455–69	37–08

नोट––वित्तीय वर्ष 1979–80 के लेखा को अन्तिम रूप दिया जा रहा है अतः इस वर्ष से सम्बन्धित अनुमानित आंकड़े दिए गये हैं।

अनंत विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ नं0 709 पर)

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	ग्रामों के नाम
1	2	3
1	वीरोंखाल ..	.. 1—वीरोंखाल 2—डयेला मल्ला 3—सैंरा मल्ला 4—सेरा तल्ला 5—स्युंसी 6—स्यूंसी टाउन 7—बैजरों टाउन 8—किमोली 9—ककरोरा 10—नौगांव 11—रत्थाधार काफतसैंण 12—कोटाधारी 13—चोरखण्डा 14—लोडली 15—कोठी 16—सिसई 17—रगड़ी गेछ 18—डांग 19—डांगू मल्ला 20—डुयेला तल्ला 21—मरोली तल्ली 22—मरोली मल्ली 23—गूरिंडा 24—अरकण्डी बल्ली 25—अरकण्डी पल्ली 26—चण्डोली 27—वेदीखाल 28—परिन्दा 29—बमनखोला 30—लच्चोरा 31—रतकोटू 32—अमकुलौन 33—रिखण्ड 34—मांसी

उत्तर प्रदेश विधानसभा

1	2	3
1—बीरोखाल (समाप्त)		35—बमरारी
		36—सुकई
		37—कुण्ड
		38—टोपन
		39—भवकुण्ड
		40—मटियाला
		41—लच्छी
		42—सैगांव
		43—मटेला
		44—रेघेरा
		45—मुराद
		46—मंगरो
		47—पकरखौला
		48—केकारगली
		49—खेतू
		50—सिदूड़ी मल्ली
		51—थोडियाना
		52—नाकुरी
		53—नौगांव
		54—धार
		55—मैठाना
		56—गुरिखाल
		57—मैठावा बाजार
		58—जोवई
		59—खेलदार
2—थलीसैंण	.. ..	1—थलीसैंण
		2—मुसेटी
		3—कफल्ड
3—पोखड़ो ..	.. ..	1—पितरोड़ा
		2—गाड़की बीना
		3—मेलगांव
		4—कबरी बल्ली
		5—बीना मल्ली
4—पावो ..	.. ..	1—चोपरियों गांव
		2—पावो
		3—सिमखेत
		4—पोखरी
		5—किसल्ड
		6—कोटा
		7—ताल

सत्यमेव जयते विधान सभा

1	2	3
4—पावो (समाप्त)		8—पसना 9—विडाली 10—यरोडा 11—पिपली
5—नैनीडांडा	.. ..	1—धयाकोट 2—कसना पल्ला 3—कसना उल्ला 4—कोचियार 5—नाल 6—वडियार गांव 7—जारखण्ड 8—सिंगलिया 9—सिंगलिया पल्ला 10—चिनवारी 11—कोटला 12—धूलखोली 13—चोरगढ़मल्ला 14—चोरखण्डा तल्ला 15—मनीखेंत 16—अदवारा बल्ला 17—अदवारा पल्ला 18—धोली खेंत 19—नैनी डांडा 20—देवलधार 21—क्वीना 22—आदली 23— कुटेण्डा ठीक्ला 24—कुटेण्डा पल्ला 25—डुंगरी तल्ली 26—डोवरियाल सौर 27—कुटेण्डा वल्ला 28—पलासी 29—खिरारीखाल 30—कुलसिया 31—वसोली पल्ली 32—डुंगरी मल्ली 33—पनजारा मल्ला 34—पनजारा विछला 35—पनजारा तढ़न्ला 36—थूडेथ 37—सल्ड महादेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
5—नैनीडांडा (समाप्त)		38—खिरी तल्ला 39—नलनी उल्ली 40—नलनी पल्ली 41—नलनी तल्ली 42—कोठियाल गांव 43—कोठियाल गांव तल्ला 44—देवलाद 45—पटिगांव मल्ला 46—पटिगांव तल्ला 47—डोका 48—कोली 49—रिंगलठी 50—धमाकोठ गांव 51—उरियाखेत

उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग

पी0एस0यू0पी0—एल0 197 वि0सभा (337)—1982—8131